MMRC

वार्षिक रिपोर्ट
२०१८-१९

मुंबई मेट्रो

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LTD.

ALSTOM
mobility by nature
MMRC
Unveil of
Mumbai Metro Line 3
Rolling Stock Mockup
05 November 2019

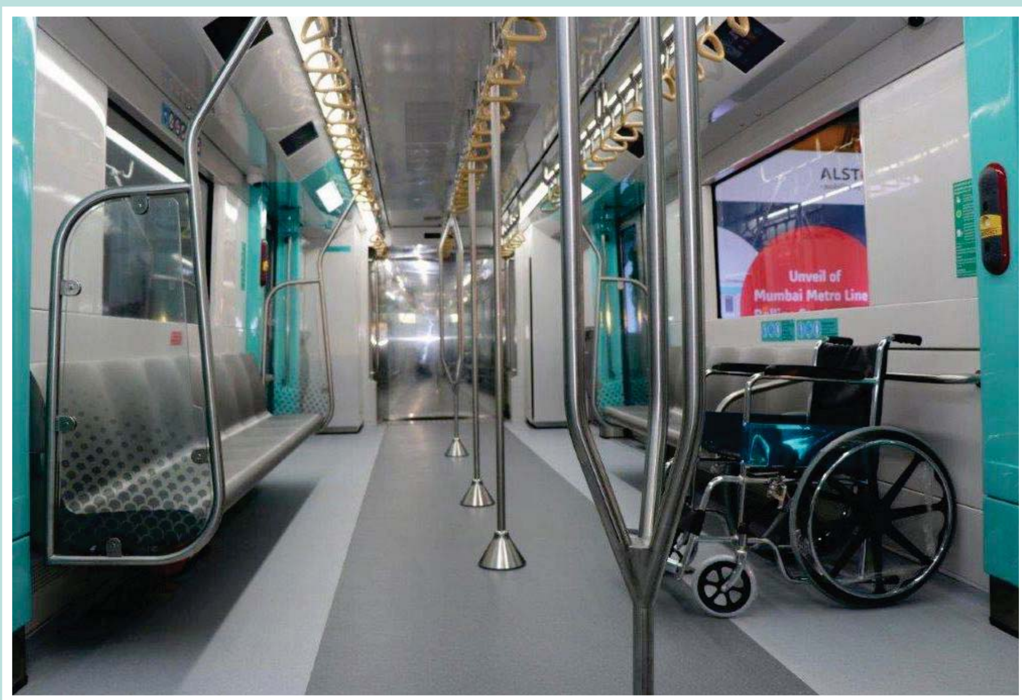
Unveil of
Mumbai Metro Line

परियोजना की प्रगति

परियोजना की प्रगति

परियोजना की प्रगति

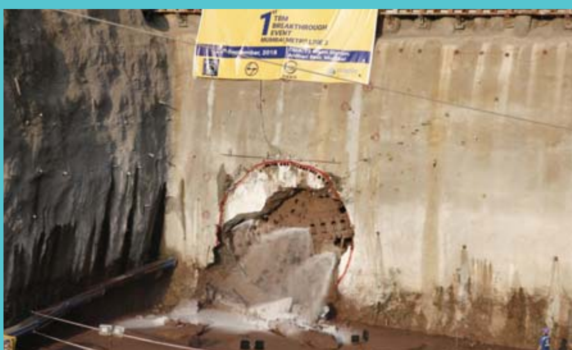

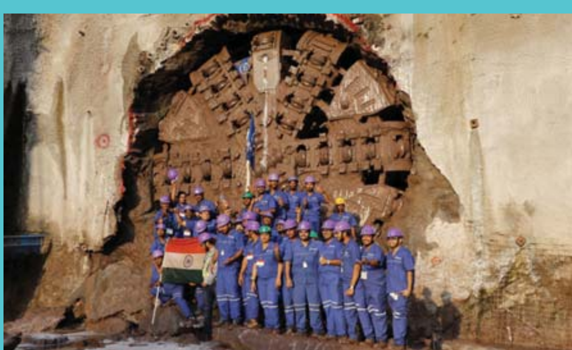

परियोजना की प्रगति

MMRC
WARMLY WELCOMES YOU
2nd TBM BREAKTHROUGH EVENT
MUMBAI METRO LINE 3
SEEPZ Metro Station, Andheri East, Mumbai
L&T-STEC

परियोजना की प्रगति

MMRC
WARMLY WELCOMES YOU
L&T-STEC
2nd TBM BREAKTHROUGH EVENT
MUMBAI METRO LINE 3
SEEPZ Metro Station, Andheri East, Mumbai

MMRC
MMRC

परियोजना की प्रगति

वार्षिक मिलन समारोह

वार्षिक मिलन समारोह

विषय

१.	निदेशक मंडल	२
२.	ए.जी.एम. की नोटीस	३
३.	अध्यक्ष का भाषण	११
४.	निदेशक की रिपोर्ट	१३
५.	स्वतंत्र सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, परिशिष्टों के साथ	२७
६.	भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	५७
७.	स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	५९
८.	३१ मार्च २०१८ तक का बैलेंस शीट	७१
९.	३१ मार्च २०१८ को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि पत्रक	७२
१०.	३१ मार्च २०१८ को समाप्त हुए वर्ष का कैश फ्लो पत्रक	७३
११.	वित्तिय पत्रकों के भाग रहनेवाली टिप्पणीयां	७६
१२.	प्रॉक्सि फॉर्म	११३

निदेशक मंडल

श्री. दुर्गा शंकर मिश्रा	अध्यक्ष, एम.एम.आर.सी.एल. तथा सचिव – आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्रीमती अश्विनी भिडे	प्रबंध निदेशक, एम.एम.आर.सी.एल.
श्रीमती झांजा त्रिपाठी	संयुक्त सचिव तथा वित्तिय सलाहकार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्री. एम. के. सिन्हा	निदेशक, एम.एम.आर.सी.एल. तथा ओ.एस.डी. (यू.टी.) और एक्स ऑफिशिओ संयुक्त सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्री. ए. के. गुप्ता	निदेशक, एम.एम.आर.सी.एल. तथा नामित निदेशक, भारत सरकार
श्री. एस. एस. जोशी	निदेशक, एम.एम.आर.सी.एल. तथा निदेशक विद्युत, भारत सरकार
श्री. अचल जैन	निदेशक, एम.एम.आर.सी.एल. तथा मंडल रेल प्रबंधक, मुंबई सेंट्रल विभाग, पश्चिम रेल्वे, भारत सरकार
श्री. आर. ए. राजीव	निदेशक, एम.एम.आर.सी.एल. तथा महानगर आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार
श्री. अजॉय मेहता	निदेशक, एम.एम.आर.सी.एल. तथा बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार
डॉ. नितिन करीर	निदेशक, एम.एम.आर.सी.एल. तथा मुख्य सचिव नगर विकास-१, महाराष्ट्र सरकार
श्री. यू.पी.एस. मदान	निदेशक, एम.एम.आर.सी.एल. तथा अपर मुख्य सचिव वित्त, महाराष्ट्र सरकार
श्री. राहुल अस्थाना	स्वतंत्र निदेशक
श्री. ए. पी. मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक
श्री. एस. के. गुप्ता	निदेशक (योजना), एम.एम.आर.सी.एल.
श्री. ए. ए. भट्ट	निदेशक (प्रणाली), एम.एम.आर.सी.एल.
श्री. अबोध खण्डेलवाल	निदेशक (वित्त), एम.एम.आर.सी.एल.

कंपनी सचिव
श्रीमती रितु देब

वैधानिक लेखा परिक्षक
मे. कल्याणीवाला ऍण्ड मिस्त्री एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकौंन्टन्ट्स,
२री मंजिल, एस्पलानेड हाऊस,
२९ हजारीमल सोमानी मार्ग
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१

सचिवालय लेखा परिक्षक
श्रीमती रागिनी चोकसी
रागिनी चोकसी ऍण्ड कं.
कंपनी सेक्रेटरीज,
३४, कामेर बिल्डिंग, ५वी मंजिल
३८ कावसजी पटेल स्ट्रीट,
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१

बैंकर्स

१. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
२. एच.डी.एफ.सी. बैंक
३. युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
४. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक

पंजिकृत कार्यालय

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उद्यम)
१ली मंजिल, ए - विंग, "ई" ब्लाक, सिटी पार्क उत्तर दिशा,
आयकर कार्यालय के पिछे, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा - पू., मुंबई - ४०० ०५१

नोटीस

सूचित किया जाता है कि, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम.एम.आर.सी.एल.) के सदस्यों की ११वी वार्षिक साधारण सभा तारीख २८ सितंबर २०१९ को सुबह ठिक ११ बजे कंपनी के पंजिकृत कार्यालय "ट्रान्जिट ऑफिस", ई-ब्लाक, सिटी पार्क उत्तर दिशा, आयकर कार्यालय के पिछे, ए-विंग, बांद्रा (पू.), बी.के.सी., मुंबई - ४०० ०५१ को निम्न विषयों पर व्यवहार करने के लिए आयोजित की गई है:

सामान्य व्यवहार :

१) ३१ मार्च २०१९ तक लेखा परीक्षण की गई बैलेंस शीट एवं उस दिन संपन्न हुए वित्तिय साल के लाभ और हानि लेखा पत्रक के साथ निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, जिसमें भारत लेखानियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट भी शामील है, उनका का ग्रहण, विमर्श एवं स्वीकृती करना।

२) कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की धारा १३९(५) पठित धारा १४२ के प्रावधानों के अनुसार भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखापरीक्ष द्वारा कंपनी पर नियुक्त किये गए वैधानिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार देना।

विशेष व्यवहार:

३) श्री. एस. एस. जोशी को कंपनी का नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करना

विचार करके और अगर उचित लगे तो किसी भी सुधार के साथ/ बिना **साधारण प्रस्ताव** पारित किया जाता है कि :

"**प्रस्ताव पारित** किया जाता है कि, भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से तारीख २६ नवंबर २०१८ को प्राप्त पत्र नं. के-१४०११/१२/२०१४-एमआरटीएस पठित कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की धारा १६०, १६१ तथा इस संबंध में लागू होनेवाले अन्य प्रावधानों के साथ, तथा इस संबंध में लागू होनेवाली सारी संवैधानिक मंजूरीयों के अधीन रहते हुए **श्री. एस. एस. जोशी, निदेशक (आर.एस.), डी.एम.आर.सी., डी.आई.एन. नं. ०८०७७२६७** को ता. १७ जनवरी २०१९ से भारत सरकार द्वारा अगले निर्देश मिलने तक कंपनी में एक्स ऑफिशिओ नामित निदेशक पर नियुक्त किया जाता है।"

"**आगे प्रस्ताव पारित किया जाता है कि,** उपरलिखित नियुक्ती की जानकारी कारपोरेट कार्य मंत्रालय को सूचित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल और/ या कंपनी के कंपनी-सचिव को सारे आवश्यक कार्य करने के लिए एवं ई-फॉर्म दाखिल करने के लिए इस मामले में सारे आवश्यक कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

४) कंपनी के नामित निदेशक के तौर पर श्री. प्रविण परदेशी की नियुक्ती:

विचार करके और अगर उचित लगे तो किसी भी सुधार के साथ/ बिना **साधारण प्रस्ताव** पारित किया जाता है कि :

"**प्रस्ताव पारित किया जाता है कि**, महाराष्ट्र सरकार की ओर से ता. १० मई २०१९ को प्राप्त हुए पत्र नं. ए.एस.पी.के. एईओ-१११९/१०/२०१९/१० के साथ इस संबंध में लागू हो सकनेवाली कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की धारा १६०, १६१ के प्रावधानों के अनुसार तथा इस संबंध में लागू होनेवाली अन्य सभी संवैधानिक मंजूरीयों के अधीन रहते हुए **श्री. प्रविण परदेशी** को ता. १० मई २०१९ से श्री. अजॉय मेहता की जगह पर को नामित किया जाता है। इसके अनुसार मंडल द्वारा **श्री. प्रविण परदेशी** को ता. १० मई २०१९ से कंपनी के निदेशक मंडल पर नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।"

"**आगे प्रस्ताव पारित किया जाता है कि**, उपरलिखित नियुक्ती की जानकारी कारपोरेट कार्य मंत्रालय को सूचित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल और/ या कंपनी के कंपनी-सचिव को सारे आवश्यक कार्य करने के लिए एवं ई-फॉर्म दाखिल करने के लिए इस मामले में सारे आवश्यक कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

५) कंपनी के नामित निदेशक के तौर पर श्री. संजय रस्तोगी (पी.ई.डी./एस.पी.वी.) रेल्वे की नियुक्ती:

विचार करके और अगर उचित लगे तो किसी भी सुधार के साथ/ बिना **साधारण प्रस्ताव** पारित किया जाता है कि :

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, महाराष्ट्र सरकार द्वारा ता. १९ मई २०१९ को जारी किये गए पत्र नं. के-१४०११/१२/२०१४-एमआरटीएस-२ के साथ इस संबंध में लागू हो सकनेवाली कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की धारा १६०, १६१ के प्रावधानों के अनुसार तथा इस संबंध में लागू होनेवाली अन्य सभी संवैधानिक मंजूरीयों के अधीन रहते हुए श्री**. संजय रस्तोगी (प्रधान कार्यकारी निदेशक विशेष वाहन (पी.ई.डी. / एस.पी.वी.), रेल्वे मंडल**, भारत सरकार को ता. १९ मई २०१९ से श्री. अचल जैन के स्थान पर नामित किया जाता है। इसके अनुसार मंडल द्वारा श्री. संजय रस्तोगी को ता. १९ मई २०१९ से कंपनी के निदेशक मंडल पर नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।"

"**आगे प्रस्ताव पारित किया जाता है कि**, उपरलिखित नियुक्ती की जानकारी कारपोरेट कार्य मंत्रालय को सूचित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल और/ या कंपनी के कंपनी-सचिव को सारे आवश्यक कार्य करने के लिए एवं ई-फॉर्म दाखिल करने के लिए इस मामले में सारे आवश्यक कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

६) उधार सीमा में वृद्धि

विचार करके और अगर उचित लगे तो किसी भी सुधार के साथ/ बिना **विशेष प्रस्ताव** पारित किया जाता है कि :

"**प्रस्ताव पारित किया जाता है कि**, तारीख २३ मार्च २००५ को आयोजित कंपनी की तीसरी विशेष साधारण सभा में पारित किया हुआ पूर्व का प्रस्ताव तथा समय-समय पर सुधारित किए गए कंपनीयों का अधिनियम २०१३ के अन्य लागू प्रावधानों को अधिक्रमित करके, समय-समय पर कोई भी ऐसी राशि या रकम, जो पहले कंपनी द्वारा लिए गए कर्जों का राशियों के साथ (व्यवसाय के नित्य व्यवहार में आने के अनुसार लिये गए अथवा लिए जानेवाले अस्थाई कर्जों को छोडकर) कंपनी का अदायगी हुआ पुरा मूलधन, मुक्त आरक्षित निधि एवं प्रतिभूति अधिमूल्य से अगर ज्यादा होगा, याने आरक्षित निधि किसी भी विशेष प्रयोजन के लिए अलग से सुरक्षित नहीं रखा हो; ऐसी राशि कर्ज के स्वरुप में लेने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को इस प्रस्ताव द्वारा दी जाएं (आगे इसे "मंडल" उल्लेखित किया गया है, जिस संज्ञा में प्रस्तुत

प्रस्ताव द्वारा प्रदान किये हुए अधिकारों का उपयोग करनेवाले उस समय में अस्तित्व में रहनेवाली किसी भी समिति का समावेश रहेगा)। लेकिन इस प्रकार कर्ज स्वरुप ली गई कुल शेष राशि किसी भी समय पर कंपनी के इक्विटी पूंजी, मुक्त आरक्षित निधि और प्रतिभूति अधिमूल्य इनसे ज्यादा नहीं होगा, याने उसका प्रमाण ४:१ होगा। ऐसी स्थिती में ४ संख्या कुल कर्ज की राशि दर्शाएगी और १ संख्या मुक्त आरक्षित निधि एवं प्रतिभूति अधिमूल्य दर्शाएगी।

"**आगे प्रस्ताव पारित किया जाता है कि**, समय - समय पर उधार लिए जाने वाले पैसों के लिए ब्याज, पुनर्भुगतान, सुरक्षा और अन्य तरीकों, जो ठिक लगें उनके नियम तथा शर्तों को व्यवस्थिक करके उन्हे स्थापित करने के लिए सभी कार्य, कृत्य, मामलों के लिए और उससे संबंधित सारे दस्तावेज, अनुबंध और विलेखों को जरूरत के अनुसार निष्पादित करने के लिए मंडल को अधिकार हैं और अधिकार रहेंगे।

स्थान : मुंबई
तारीख : १२.०७.२०१९

मंडल के आदेश से

टिप्पणी

अ) सभा को उपस्थित रहकर मत देने का अधिकार होनेवाले सदस्य को प्रॉक्सि की नियुक्ते करके उस प्रॉक्सि को सदस्य की ओर से सभा में उपस्थित रहकर मत देने का अधिकार, जरूरी नहीं की ऐसा प्रॉक्सि कंपनी का सदस्य हो। कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की धारा १०५ के प्रावधानों के अनुसार पचास से ज्यादा सदस्यों से कम के लिए और कंपनी के कुल शेअर पूंजी में एक साथ दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं उतने शेअरों के लिए एक व्यक्ति प्रॉक्सि के तौर पर कार्य कर सकता है। कंपनी में जिन सदस्यों नें कंपनी के कुल शेअर पूंजी के दस प्रतिशत शेअर धारण किए हैं, वे अपने प्रॉक्सि के तौर पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, जो किसी भी अन्य सदस्य के लिए प्रॉक्सि के तौर पर कार्य नहीं कर सकता। प्रॉक्सि का अनुबंध प्रभावि होने के लिए उसे पुरा भरके और हस्ताक्षर करके कंपनी के पंजिकृत कार्यालय में सभा के शुरू होने से ४८ घंटे पहले जमा करना होगा। प्रॉक्सि फॉर्म को इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया है। मर्यादित कंपनीयां, सोसाईटीयां आदि के प्रॉक्सियों के पास उचित प्रस्ताव / प्राधिकार के सहायक दस्तावेज होना जरूरी है।

ब) सदस्यों / प्रॉक्सियों से विनती है कि, सभा में उपस्थित रहने के लिए वह अपने साथ इससे संलग्न की हुई हाजिरी की स्लिप पुरी तरह से भरकर साथ में लाएं।

क) कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की धारा १०२ के अनुसार वार्षिक साधारण सभा (AGM) के लिए विशेष व्यवहार से संबंधित विनिमय के लिए स्पष्टीकरण निवेदन साथ में संलग्न किया गया है।

ड) वार्षिक साधारण सभा के दिन के पहले तक कंपनी के शेअर धारकों के लिए कंपनी के ज्ञापन और कंपनी के आर्टिकल ऑफ असोसिएशन पंजिकृत कार्यालय में सारे कार्यालयिन दिनों पर (सोमवार से शुक्रवार) सुबह ११:०० बजे से दोपहर ३:०० बजे तक उपलब्ध है।

नोटीस पर स्पष्टीकरणात्मक निवेदन

(कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की धारा १०२ के अनुसार)

विषय नं. ३ :

भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से प्राप्त पत्र नं. K14011/12/2014-MRTS-II ता. २६ नवंबर २०१९ के अनुसार श्री. एस.एस. जोशी को ०७.०१.२०१९ से कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की धारा १६०, १६१ और अन्य प्रावधानों के साथ और सभी अन्य वैधानिक मंजूरीयों के अधीन रहकर कंपनी में नामित निदेशक नियुक्त किया जाता है। **(श्री. एस. एस. जोशी, DMRC, भारत सरकार DIN No. 08077267)**। इसके अनुसार निदेशक मंडल द्वारा श्री. एस.एस. जोशी को कंपनी के निदेशक मंडल पर १७.०१.२०१९ से नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

उक्त नियुक्ति के लिए कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की धारा १५२ के प्रावधानों द्वारा शेअर धारकों की मंजूरी आवश्यक है।

कंपनी में निदेशक के तौर पर नियुक्त होने के लिए **श्री. एस.एस. जोशी, DMRC भारत सरकार, DIN No. 08077267** ने अपनी लिखित सम्मति दी है और उन्हें कंपनीयों का अधिनियम २०१३ के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं किया गया, ऐसा घोषित किया है।

श्री. एस.एस. जोशी और अन्य निदेशकों के बीच आपसी आन्तरिक संबंध नहीं है।

श्री. एस.एस. जोशी DMRC, भारत सरकार के अलावा निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय अधिकारीयों (KMP) या उनके रिश्तेदारों का इस प्रस्ताव में कोई स्वारस्य या संबंध व्यक्तिगत या निजी तौर पर नहीं है, वह केवल संबंधित सरकार के नामित शेअर धारक है और उसके अनुसार संबंधित सरकारों के नामनिर्देशित के तौर पर निदेशक मंडल पर हैं।

मंडल ने विषय नं. ३ के प्रस्ताव को सदस्यों द्वारा सामान्य प्रस्ताव के तौर पर मंजूरी देने की सिफारिश की है।

विषय नं. ४

महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त मुख्य सेक्रेटरी (सेवाएं) द्वारा जारी पत्र नंबर A.S.P.K. AEO-1119/10/2019/10, ता. १० मई २०१९ के अनुसार श्री. अजोय मेहता के स्थान पर **श्री. प्रवीण परदेशी** को ता. १० मई २०१९ से नामनिर्देशित किया जाता है। तदनुसार, मंडल ने श्री प्रवीण परदेशी को १० मई, २०१९ से कंपनी के निदेशक मंडल में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

नियुक्ति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों द्वारा शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र सरकार के नामनिर्देशित **श्री. प्रवीण परदेशी** ने कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी है और घोषणा की है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है।

श्री. प्रवीण परदेशी और अन्य निदेशकों के बीच कोई आंतरिक-संबंध नहीं है।

केवल अपने संबंधित सरकारों के नामनिर्देशितों के तौर पर धारण किये हुए शेअरों के अलावा तथा संबंधित सरकारों के निदेशक मंडल के नामनिर्देशित के अलावा, निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों (KMP) या उनके रिश्तेदारों में से किसी के भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्देशित **श्री. प्रविण परदेशी** के प्रस्ताव में किसी भी तरह के व्यक्तिगत या निजी स्वरुप में किसी भी तरह का स्वारस्य या संबंध नहीं है।

विषय नं. ४ में दिये हुए प्रस्तावों को सदस्यों द्वारा सामान्य प्रस्तावों के तौर पर मंजूरी देने की निदेशक मंडल सिफारिश करता है।

विषय नं. ५

भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी पत्र नं. K14011/12/2014-MRTS-II ता. १९ मई २०१९ के अनुसार ता. १९ जुन २०१९ से श्री. अचल जैन के स्थान पर **श्री. संजय रस्तोगी** को नामित किया जाता है। तदनुसार, मंडल ने **श्री. संजय रस्तोगी** को १९ जुन २०१९ से कंपनी के निदेशक मंडल में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

उक्त नियुक्ति के लिए कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की धारा १५२ के प्रावधानों के अनुसार शेअर धारकों की मंजूरी आवश्यक है।

भारत सरकार के नामनिर्देशित **श्री. संजय रस्तोगी** ने कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी है और घोषणा की है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है।

श्री. संजय रस्तोगी और अन्य निदेशकों के बीच कोई आंतरिक-संबंध नहीं है।

केवल अपने संबंधित सरकारों के नामनिर्देशितों के तौर पर धारण किये हुए शेअरों के अलावा तथा संबंधित सरकारों के निदेशक मंडल के नामनिर्देशित के अलावा, निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों (KMP) या उनके रिश्तेदारों में से किसी के भी भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित **श्री. संजय रस्तोगी** के प्रस्ताव में किसी भी तरह के व्यक्तिगत या निजी स्वरुप में किसी भी तरह का स्वारस्य या संबंध नहीं है।

विषय नं. ५ में दिये हुए प्रस्तावों को सदस्यों द्वारा सामान्य प्रस्तावों के तौर पर मंजूरी देने की निदेशक मंडल सिफारिश करता है।

विषय नं. ६

तारीख २३ मार्च २०१५ को आयोजित की गई विशेष साधारण सभा में कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की धारा १८०(१) (c) के तहत कंपनी नें अपनी उधार सीमा के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया। कंपनीयों का अधिनियम

२०१३ की धारा १८०(१) (c) के अनुसार कंपनी के कोई भी उधार (अस्थाई कर्जों और उधारों के अलावा) शेअर पूंजी के १००% भुगतान से ज्यादा हो, तो शेअर धारकों की पूर्व मंजूरी से विशेष प्रस्ताव पारित करके कंपनी के मुक्त भंडार एवं प्रतिभूतियों के अधिशूल्क को लिया जा सकता है।

कॉर्पोरेशन के वर्तमान मंजूर परियोजना की लागत रू.२३,१३६ करोड है, जिसमें से इक्विटी हिस्सेदारी इसके दोनो हितधारक भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार दोनों की १०.४% समान रूप मे है। जापान इंटरनैशनल एजन्सी (JICA) तथा भारत सरकार और महाराष्ट्र सहकार एवं अन्य स्त्रोतों की ऋण राशि ८०% है।

उपरलिखित परिदृष्य के आधार पर ऋण - इक्विटी का प्रमाणा ४:१ रखने की सिफारिश की जाती है। तदनुसार शेअर धारकों मंजूरी लेना मंडल द्वारा प्रस्तावित की गई है, जिससे कि कंपनी की कुल उधार किसी भी समय पर ४:१ प्रमाण से अधिक नहीं हो जाएगा, जिसमें से ४ संख्या कंपनी द्वारा की गई कुल उधार है और एक संख्या इक्विटी, मुक्त भंडार और कंपनी के सुरक्षा अधिशूल्क को दर्शाती है।

इसके अलावा प्रदत्त पूंजी के ऊपर कंपनी अधिकतम रू.१९,००० करोड तक का उधार लेने में सक्षम है।

मंडल सदस्यों से सिफारिश करता है कि विषय नं. ६ में दिये गए प्रस्तावों को विशेष प्रस्तावों के तौर पर मंजूर किया जाए।

केवल अपने संबंधित सरकारों के नामनिर्देशितों के तौर पर धारण किये हुए शेअरों के अलावा तथा संबंधित सरकारों के निदेशक मंडल के नामनिर्देशित के अलावा, निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों (KMP) या उनके रिश्तेदारों में से किसी के भी प्रस्तावों से कोई भी निजी या व्यक्तिगत रुप में स्वारस्य या संबंध नहीं है।

स्थान : मुंबई
तारीख : १२.०७.२०१९

मंडल के आदेश द्वारा

सेक्रेटरियल मानक - १ के तहत
अतिरिक्त जानकारी का प्रकटीकरण

निदेशक का नाम	श्री. एस एस जोशी	श्री. प्रवीण परदेशी	श्री. संजय रस्तोगी
उम्र	६० साल	५७ साल	५८ साल
योग्यता	इंजिनीयर	आईएएस	इंजिनीयर
वर्तमान पदनाम पर नियुक्ति की पहली तारीख	१७ जनवरी २०१८	१० मई २०१९१९	जुन २०१९
कंपनी में शेअरों की धारणा	शून्य	शून्य	शून्य
पिछले मंजूर किये गए पारिश्रमिक का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

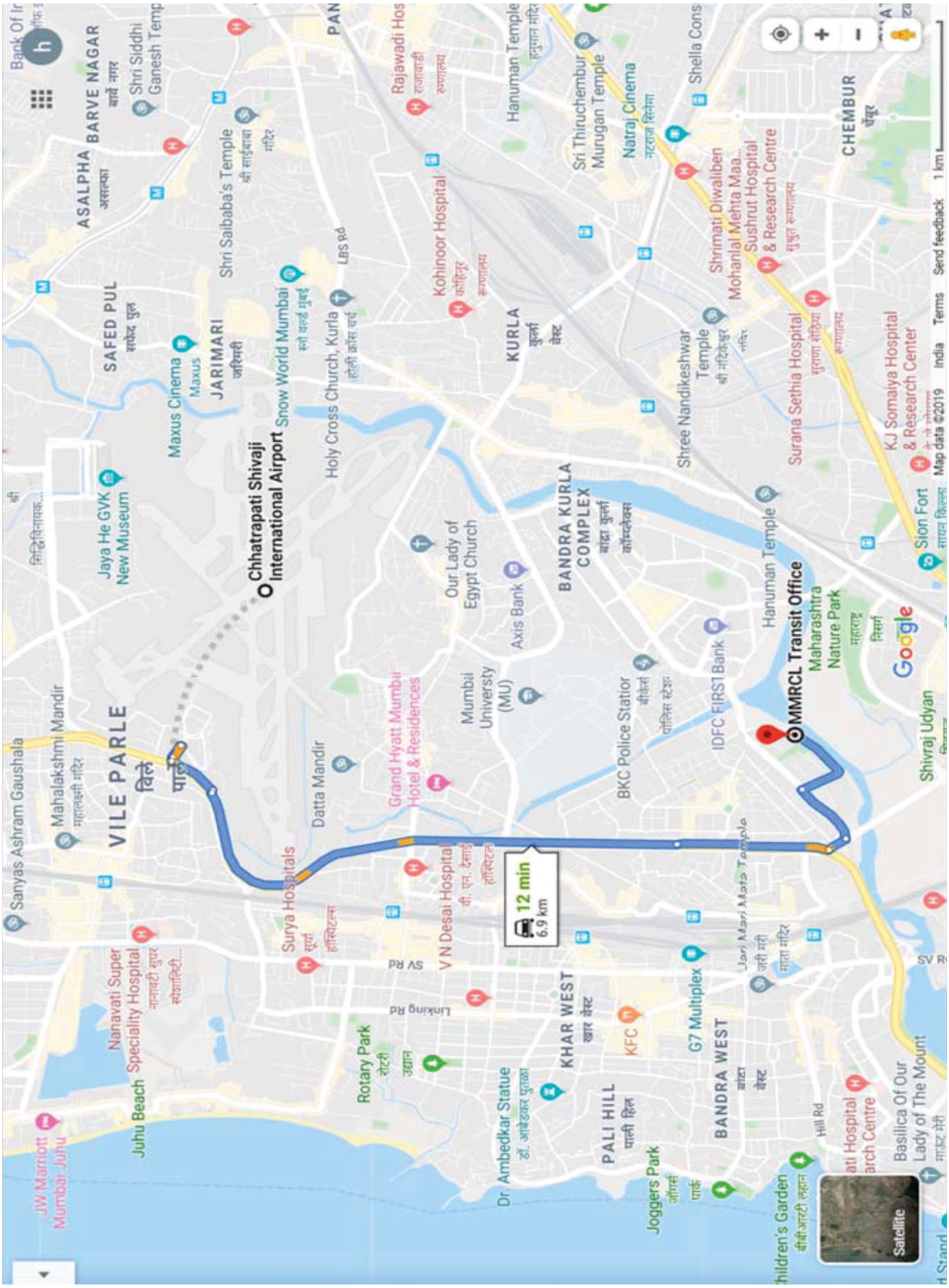
Chhatrapati Shivaji International Airport
MMRCL Transit Office
12 min
6.9 km
VILE PARLE
KURLA
BANDRA KURLA COMPLEX
KHAR WEST
BANDRA WEST
PALI HILL
CHEMBUR
JARIMARI
SAFED PUL
ASALPHA
BARVE NAGAR
Maharashtra Nature Park
Sion Fort
Shivaji Udyan
Google
Satellite

अध्यक्षीय भाषण

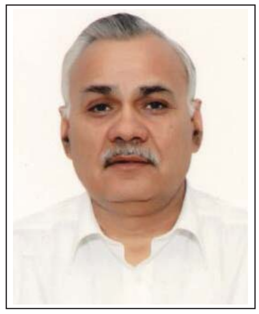

प्रिय शेअरधारक,

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ११वी वार्षिक साधारण सभा के इस अवसर पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ।

आप सभी को मंडल की रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लेखापरीक्षण किए हुए वार्षिक लेखा, वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ भारत के लेखानियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा उसपर की गई टिप्पणीयां आदि वितरित किये जा चुके हैं और आप की अनुमति से मैं कहता हूँ कि, आप सभी नें उसको पढा है।

कंपनी की शेअर पूंजी ३१ मार्च २०१९ तक बढकर रू.२,३१५.२० करोड हुई है (जो पहले रू.१,३१५.२० करोड थी)। आपकी कंपनी नें अपने लघुकालिक अधिशेष तथा अर्जित ब्याज की रू.३४.१७ करोड राशि को वर्ष २०१८-१९ में बहुत सावधानी से तैनात किया है। सरकारी अनुदानों में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा ता. २० सितंबर २०१८ को कंपनीयों के (भारतीय लेखा मानक) द्वितीय संशोधन नियम २०१८ (नियम) सूचीत किया गया है। नियम में AS-20 के तहत "सरकारी अनुदान के लेखा और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण" में सुधार किया गया है और नाममात्र मूल्य पर मिले सरकारी गैर-वित्तीय अनुदानों को अभिलेखित करने का विकल्प संस्थाओं को मंजूर किया है। इसके अनुसार हमने २०१८-१९ के वित्तीय पत्रों में उसे प्रभावी किया है।

आप को जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो री है कि, मेट्रो लाईन ३ में १७ टीबीएम एक साथ विभिन्न जगहों पर कार्य कर रहें हैं, इससे सभी ७ पैकेजेस के टनेलिंग कार्य में प्रगति हुई है। आज तक कुल टनेलिंग कार्य ३३ किमी तक पुरा हुआ है (५०% से ज्यादा) और कुल परियोजना का ४५% लक्ष्य हासिल किया गया है। एमएमआरसी नें कुल ३२ में से १७ टनल को पुरा किया है। जिनमें से एक जुडवा टनल है जो दादर में है और उसे जनवरी २०१९ में पुरा किया गया। सीएसआईए टी२ में पहले टीबीएम का ब्रेकथ्रु महाराष्ट्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय नें ता. २४ सितंबर २०१८ में देखा। बहुतसी जगहों पर जिसमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मिठी नदी के निचे का स्थान भी शामिल है, वहां पर न्यु ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड (एनएटीएम) का प्रारंभ किया गया है।

आपसे यह बात साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिती में १६ अगस्त २०१९ को मुंबई मेट्रो ने उसके रोलिंग स्टॉक के डिजाईन और मॉडल का अनावरण किया। रोलिंग स्टॉक के लिए एमएमआरसी नें एएलएसटीओएम (ALSTOM) से सितंबर २०१८ में अनुबंध किया था।

वर्ष २०१८-१९ में आपकी कंपनी को पहले ही मुख्य प्रणाली अनुबंधों के पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमे रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग और ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, टेलिकॉम सिस्टम, प्लैटफार्म स्क्रीन डोअर्स, एटोमेटीक फेअर कैन्सलेशन सिस्टम, टनेल वेंटिलेशन तथा एनवायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, लिफ्ट, एस्केलेटर, पावर सप्लाई सिस्टम, डेपो (ई और एम) सिस्टम आदि का समावेश है।

मुझे आप को जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि, मेक इन इंडिया के तह हमने ३१ ट्रेन सेट मंगाए हैं (८ डिब्बे हेवी राईडशिप के लिए संचालन के प्रारंभ में मांग) जिनका भारत में निर्माण किया जाएगा। उनमें आधुनिक संचार प्रणाली पर आधारित ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी) प्रौद्योगिकी से ड्राईवर रहित ट्रेन संचालन होगा जो राईडरशिप में आगे काम संभालेगा। पूरी ऊंचाई के प्लैटफार्म स्क्रीन डोअर्स सारे अंडरग्राऊंड मेट्रो स्टेशनों में लगाए जाएंगे, जो प्रवासियों को अतिरिक्त सुरक्षा और आराम देंगे। इससे ऊर्जा की खपत कम से कम होगी जो सभी स्टेशनों की पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली की जरूरतों को पूरा करेगी।

मुझे यह बात सूचीत करते हुए खुशी हो रही है कि, बहुतसी अनुबंध प्रणालीयों में 'भारतीय फर्मों का सहभाग' लिया गया है, जिसमें देशी प्रणाली के घटक मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार लगाए गए हैं। तथा आंतर मोडल सुकर प्रवास के लिए एटोमेटीक फेअर प्रणाली को लागू किया गया है, जो कॉमन मोबिलिटी कार्ड को सपोर्ट करेगी, जिसे सरकार द्वारा मुंबई महानगर प्रदेश के सारे सार्वजनिक यातायात संचालकों के लिए जारी किया गया है।

आपकी कंपनी ने अपने मुंबई मेट्रो लाईन - ३ के संचालन तथा रखरखाव के लिए हाईब्रीड मोडल ऑफ डाईरेक्ट मैनेजमेन्ट पद्धति को स्वीकारा है, जो लागत को कम करेगी।

आपकी कंपनी नें रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्डाईजेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को पुरा करने के लिए अन्य मेट्रो कॉर्पोरेशन के साथ तथा मंत्रालय के निर्देशों के तहत जो योगदान दिया है, उसकी मैं सराहना करता हूँ।

कंपनी नें सारे जमीन खण्ड संपादित किये हैं (कायम और अस्थाई दोनों) जिनकी परियोजना में जरूरत है। परियोजना से प्रभावित २८८८ परिवारों में से २०६८ परियोजना बाधित परिवारों का पुनर्वास किया गया है ७३४ परिवारों का उसी क्षेत्र के १९ इमारतों में पुनर्वास किया गया है।

मुझे आपको जानकारी देते हुए अति आनंद हो रहा है कि, कंपनी ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में २ अगस्त २०१९ को १७००० पेडों का वृक्षारोपण किया है। कंपनी ने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के साथ मिलकर अपना नया कैलेंडर तैयार किया है।

आज तक एमएमआरसी में २२४ पद भर्ती किये गये हैं (नियमित, प्रतिनियुक्ति और दीर्घ-कालिक अनुबंधित कर्मचारी)।

कंपनी समय-समय पर प्रेस रिलिज जारी करती है, जिसमें परियोजना से संबंधित सकारात्मक विकास को उभारकर दर्शाया जाता है। कंपनी मेट्रो क्युब से मासिक खबरनामा प्रसिद्ध करती है जिसमें कंपनी की अब तक की प्रगति, परियोजना की प्रगति, अन्य कार्य आदि की जानकारी होती है। मुंबई की बुनियादी रचना में युवा राज्य को प्रोत्साहन देने के लिए एमएमआरसी और ऑबजरवर रिसर्च ऑफ मुंबई द्वारा मुंबई मेट्रो लाईन ३ विद्यार्थि प्रतियोगिता का स्टेशनों के नियोजन और प्रबंधन क्षेत्र में आयोजन किया गया। ऑबजरवर रिसर्च फौंडेशन के सहयोग से एमएमआरसी नें मुंबई में यह प्रतियोगिता का ता. २१ जुन २०१९ को उद्घाटन किया। जिसमें मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र के १३ इंजिनीयरिंग और आर्किटेक्चर कॉलेजों के ५२ टिमों के २३८ रचनात्मक दिमागों नें सहभाग लिया।

निदेशक मंडल की ओर से मैं सभी बाहरी निधिकरण संस्थाएं, जापान इंटरनैशनल कोऑपरेशन एजन्सी (जेआईसीए) तथा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के सारे विभिन्न विभागों द्वारा दी गई सदिच्छा और सहयोग के प्रति उनके आभार व्यक्त करता हूँ।

कंपनी के कर्मचारि, जिनके बिना देश में पहली अंडरग्राऊंड मेट्रो रेल नेटवर्क टनेलिंग में सामने आई जटीलताओं का सामना करके उन्हे मात देकर अबतक अपनी निष्ठा और कठोर परिश्रम से कार्य करके कंपनी की प्रगति को संभव बनाया है, उनके प्रति मैं निदेशक मंडल की ओर से अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ।

धन्यवाद.

<हस्ताक्षर/->
(दुर्गा शंकर मिश्रा)
सेक्रेटरी
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार
तथा अध्यक्ष, एमएमआरसी

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
मुंबई

वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के लिए कंपनी व्यवसाय, परिचालन तथा वित्तीय स्थिति पर कंपनी के निदेशक मंडल का ११वां प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण आपके निदेशक सहर्ष कर रहे हैं।

1. वित्तीय परिणाम और प्रदर्शन

३१ मार्च, २०१९ को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति

(सभी संख्याएं लाख रूपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिए	वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिए
कुल आय	३५६८.०१	२२१७.०५
कम: परिचालन व्यय	२३५०.१८	२२१३.०५
कम: मूल्यह्रास	४१०.७३	९४.२१
कम: वित्तीय व्यय	४३२.१५	१९३.३०
कम: आपवादिक मदें कर पूर्व लाभ (हानि)कम:	०	०
कर व्यय	३७४.९५	(२८३.५१)
कर	(३१.७२)	९५९.६८
कर पश्चात शुद्ध लाभ (हानि)	४०६.६७	(१२४३.१९)
ओ.सी.आई. समायोजन	१७.७३	(१३.३०)
साधारण भंडार में हस्तांतरण	०	०
बैलेंस शीट में अग्रेनीत लाभ / (हानि)	४२४.४०	(१२५६.४९)

२. साधारण भंडार में हस्तांतरण:

मंडल द्वारा साधारण भंडार में कोई भी राशि का हस्तांतरण नहीं किया गया है।

३. वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिए लाभांश

वर्तमान वर्ष के लिए कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया है।

४. कंपनी की स्थिति

कंपनी को अप्रैल २००८ में गठीत किया गया। वित्तीय वर्ष (२०१४-१५) में कंपनी भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच ५०:५० का संयुक्त उद्यम (एमएमआरडीए द्वारा) बनी।

५. कंपनी के शेअरों का निर्गमन

कंपनी की अधिकृत शेअर पूंजी रू.५०,००,००,००० (रूपए पांच हजार करोड केवल) है, इसमें रू.१००/- प्रति मूल्य के ५० करोड इक्विटी शेअर्स हैं।

अ. क्र.	शेअर आबंटन समिति की बैठक की तारीख	शेअरों की संख्या	कुल प्रतिफल
१.	३१ जुलाई, २०१८	२,००,००,०००	२,००,००,००,०००
२.	२३ जनवरी, २०१९	२,००,००,०००	२,००,००,००,०००
३.	११ मार्च, २०१९	६,००,००,०००	६,००,००,००,०००
४.	५ जुलाई, २०१९	२,००,००,०००,	२,००,००,००,०००,

६. कंपनी का परिचालन

केन्द्र सरकार के पत्र संख्या १४०११/ ३६/ २००९ मेट्रो / एमआरटीएस-।। (संस्कारण ।।।) ता. १८ जुलाई २०१३ के अनुसार अनुमतित कंपनी कुलाबा-बांद्रा-सीप्झ लाईन के लिए मेट्रो लाईन - ३ परियोजना के लिए एसपीवी बनाई गई है। वर्तमान में कॉर्पोरेशन कुलाबा-बांद्रा-सीप्झ की से मेट्रो लाईन-३ का कार्यान्वयन कर रही है।

कॉर्पोरेशन ने लगभग १७ ब्रेकथ्रू हासिल किये हैं तथा ५६ किमी की कुल टनेलिंग परियोजना में ३३.८४ किमी का काम पुरा किया है। भौतिक प्रगति ४५% हुई है और आरे कॉलोनी से बीकेसी तक पहले चरण का शुरूआत दिसंबर २०२१ में एवं बीकेसी से कफ परेड तक दुसरे चरण की जुन २०२२ तक होने की संभावना है।

७. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी

प्रतिवेदन के कालावधि में निदेशक मंडल की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। प्रतिवेदन की तारीख तक निदेशक मंडल की स्थिति निम्न प्रकार है:

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के दौरान एवं प्रतिवेदन के दिन तक निदेशकों की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति:

अ) श्री. आर. ए. राजीव, महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए, महाराष्ट्र सरकार को कंपनी में ता. ०२.०५.२०१८ से मनोनीत निदेशक नियुक्त किया गया।

ब) श्री. अचल जैन, मंडल रेल प्रबंधक, मुंबई सेंट्रल विभाग, पश्चिम रेल, भारत सरकार को कंपनी में ता. २३.०७.२०१८ से मनोनीत निदेशक नियुक्त किया गयै।

क) श्री. एस. एस. जोशी, निदेशक (आरएस) डीएमआरसी, भारत सरकार को को कंपनी में श्री. अनूप कुमार गुप्ता के स्थान पर ता. १७.०१.२०१९ से मनोनीत निदेशक नियुक्त किया गया।

ड) श्री. प्रवीणसिंह प्रतापसिंह परदेशी, बृह्न्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार को कंपनी में श्री. अजोय मेहता के स्थान पर ता. १०.०५.२०१९ से मनोनीत निदेशक नियुक्त किया गया।

निदेशक का नाम	डीन	नियुक्ति की तारीख	पदनाम
श्री. दुर्गा शंकेर मिश्रा	०२९४४२१२	२३/०६/२०१७	मनोनीत निदेशक / अध्यक्ष
श्रीमती. अश्विनी सतिश भिडे	०२८६१००८	०५/०१/२०१५	प्रबंध संचालक
श्री. सुधांशु शेखर जोशी	०८०७७२६७	१७/०१/२०१९	नामांकित निर्देशक
श्री. संजय रस्तोगी	०६४८६६८४	१९/०६/२०१९	नामांकित निर्देशक
श्री. आर ए राजीव	०३१२५९५२	०२/०५/२०१८	नामांकित निर्देशक
डॉ.नितीन नंदकिशोर करीर	०१६२४८६३	०५/०१/२०१५	नामांकित निर्देशक
श्री. प्रविणसिंग प्रतापसिंग परदेशी	०७६८३३८१	१०/०५/२०१९	नामांकित निर्देशक
श्री. सुबोध कुमार गुप्ता	०७११४२९२	१४/०१/२०१५	निदेशक - परियोजनाएँ
श्री. अजयकुमार ए भट्ट	०७११००९७	०६/०२/२०१५	निदेशक - प्रणालियाँ
श्री.अबोध खंडेलवाल	०७८०७३९४	२८/०४/२०१७	निदेशक वित्त / सीएफओ

इ) श्री. संजय रस्तोगि, प्रमुख कार्यकारी निदेशक विशेष उद्देश्य वाहन, रेल मंडल, भारत सरकार को कंपनी में श्री. अचल जैन के स्थान पर ता. १९.०६.२०१९ से मनोनीत निदेशक नियुक्त किया गया।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियुक्तियों का अनुमोदन आनेवाली वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के दौरान तथा प्रतिवेदन के दिन तक निदेशकों का सेवा समापन:

अ) भारत सरकार द्वारा मनोनयन स्थानांतरण / वापस लेने के कारण श्री. डी. के. जैन का निदेशक मंडल में भाग ता. ०५/०५/२०१८ से समाप्त हुआ है। श्री. डी. के. जैन का कंपनी में कार्यकाल के दौरान दिये गए योगदान के अभिमूल्यन को निदेशक मंडल द्वारा प्रशंसनिय अभिलेखित किया गया है।

ब) भारत सरकार द्वारा मनोनयन स्थानांतरण / वापस लेने के कारण श्री. के. के. अग्गरवाल का निदेशक मंडल में भाग ता. ३०/०१/२०१८ से समाप्त हुआ है। श्री. के. के. अग्गरवाल का कंपनी में कार्यकाल के दौरान दिये गए योगदान के अभिमूल्यन को निदेशक मंडल द्वारा प्रशंसनिय अभिलेखित किया गया है।

क) श्री. राहुल अस्थाना ने ता. २५/०६/२०१८ को त्यागपत्र देने के कारण उनका स्वतंत्र निदेशक पद समाप्त हुआ है। कंपनी में उनके कार्यकाल के दौरान दिये गए योगदान के अभिमूल्यन को निदेशक मंडल द्वारा प्रशंसनिय अभिलेखित किया गया है।

ड) श्री. ए. पी. मिश्रा ने ता. ०२/०७/२०१८ को त्यागपत्र देने के कारण उनका स्वतंत्र निदेशक पद समाप्त हुआ है। कंपनी में उनके कार्यकाल के दौरान दिये गए योगदान के अभिमूल्यन को निदेशक मंडल द्वारा प्रशंसनिय अभिलेखित किया गया है।

इ) श्री. अनूप कुमार गुप्ता ता. १३/१०/२०१८ को स्वर्गवासी होने के कारण उनका निदेशक पद समाप्त हुआ है। कंपनी में उनके कार्यकाल के दौरान दिये गए योगदान के अभिमूल्यन को निदेशक मंडल द्वारा प्रशंसनिय अभिलेखित किया गया है।

फ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा मनोनयन स्थानांतरण / वापस लेने के कारण श्री. यू. पी. एस. मदान का निदेशक मंडल में भाग ता. १०/०५/२०१९ से समाप्त हुआ है। श्री. यू. पी. एस. मदान का कंपनी में कार्यकाल के दौरान दिये गए योगदान के अभिमूल्यन को निदेशक मंडल द्वारा प्रशंसनिय अभिलेखित किया गया है।

ज) महाराष्ट्र सरकार द्वारा मनोनयन स्थानांतरण / वापस लेने के कारण श्री. अजोय मेहता का निदेशक मंडल में भाग ता. १०/०५/२०१९ से समाप्त हुआ है। श्री. अजोय मेहता का कंपनी में कार्यकाल के दौरान दिये गए योगदान के अभिमूल्यन को निदेशक मंडल द्वारा प्रशंसनिय अभिलेखित किया गया है।

च) भारत सरकार द्वारा मनोनयन स्थानांतरण / वापस लेने के कारण श्री. अंचल जैन का निदेशक मंडल में भाग ता. १९/०६/२०१९ से समाप्त हुआ है। श्री. अंचल जैन का कंपनी में कार्यकाल के दौरान दिये गए योगदान के अभिमूल्यन को निदेशक मंडल द्वारा प्रशंसनिय अभिलेखित किया गया है।

इस प्रतिवेदन की कालावधि के दौरान मुख्य प्रबंधकीय अधिकारीयों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

कार्यकारी निदेशक, प्रबंधकीय निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय अधिकारीयों को भुगतान किये गए पारिश्रमिक का विवरण साथ में संलग्न किये हुए फॉर्म एमजीटी-९ के प्रारूप में दिया हुआ है।

८. निदेशक मंडल की बैठकों एवं समिति की बैठकों का विवरण

(अ) निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के दौरान निदेशक मंडल ने ५ बार बैठक की, जिनका विवरण निम्न अनुसार है:

निदेशक मंडल के बैठक की संख्या	निदेशक मंडल के बैठक की तारीख	उपस्थित निदेशकों की संख्या
४८वी निदेशक मंडल बैठक	६ जुन, २०१८	८
४९वी निदेशक मंडल बैठक	२३ जुलाई, २०१८	६
५०वी निदेशक मंडल बैठक	२८ सितंबर, २०१८	८
५१वी निदेशक मंडल बैठक	१७ जनवरी, २०१९	१०
५२वी निदेशक मंडल बैठक	२८ फरवरी, २०१९	५

निदेशक का नाम	वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या		
	आयोजित	उपस्थिती के लिए पात्र	उपस्थिती
श्री. दुर्गा शंकर मिश्रा	5	5	5
श्री. अजोय मेहता	5	5	1
डॉ. नितीन नंदकिशोर करीर	5	5	2
श्रीमती. अश्विनी सतिश भिडे	5	5	5
श्री. उरविंदर पाल सिंग मदान	5	5	1
श्री. अनुप कुमार गुप्ता	5	3	0
श्री. मुकुंद कुमार सिन्हा	5	5	4
श्रीमती. झांजा त्रिपाठी	5	5	2
श्री. अजयकुमार ए भट्ट	5	5	4
श्री. सुबोध कुमार गुप्ता	5	5	3
श्री. अबोध खंडेलवाल	5	5	5
श्री. आचल जैन	5	4	3
श्री. आर ए राजीव	5	5	1
श्री. सुधांशु शेखर जोशी	5	2	2
श्री. राहूल दुर्गाप्रसाद अस्थाना	5	1	1
श्री. आदित्य प्रकाश मिश्रा	5	1	0

निदेशक मंडल की दो बैठकों के बीच का समयांतर १२० दिनों से अधिक नहीं था। निदेशक मंडल की सभी बैठकों के लिए पर्याप्त गणपूर्ति थी। निदेशक मंडल की बैठकों के संचालन के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्था (ICSI) द्वारा जारी किये गए संशोधित सचिविय मानक-१ ("SS-1") के तहत आवश्यक अनुपालन का अनुसरण किया कंपनी द्वारा किया जाता है।

(ब) लेखापरीक्षण समिति

कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा निदेशक मंडल की लेखापरीक्षण समिति का गठन किया है।

लेखापरीक्षण समिति के लिए २ सदस्यों की व्यक्तिगत रूप में उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक है।

लेखापरीक्षण समिति की संरचना एवं उसके सदस्यों द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया गया, उनका विवरण निम्न प्रकार है:

अ. क्र.	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या		
			आयोजित	अधिकारी	उपस्थिती
१	श्रीमती झांजा त्रिपाठी	मनोनीत निदेशक / अध्यक्ष	१	१	१
२	श्री. अजयकुमार ए. भट्ट	निदेशक प्रणाली / सदस्य	१	१	१
३	श्री. यू. पी. एस. मदान	मनोनीय निदेशक सदस्य	१	०	०
४	श्रीमती अश्विनी भिडे	प्रबंधकीय निदेशक / स्थाई आमंत्रित	१	१	१
५	श्री. अबोध खंडेलवाल	निदेशक वित्त और सीएफओ / स्थाई आमंत्रित	१	१	१

शवित्तीय वर्ष २०१८-१९ के दौरान लेखापरीक्षण समिति की बैठक ता. २८ सितंबर, २०१८ को आयोजित की गई।

एमसीए द्वारा संशोधन एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निदेशक मंडल नें मंडल में ता. २८ जुलाई, २०१८ को लेखापरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया।

अ. क्र.	नाम	पदनाम
१	श्री. यू.पी.एस. मदान*	मनोनीत निदेशक / सदस्य
२	श्रीमती झांजा त्रिपाठी	मनोनीत निदेशक /
३	श्री. अजयकुमार ए. भट्ट	निदेशक प्रणाली / सदस्य
४	श्रीमती अश्विनी भिडे	स्थाई आमंत्रित
५	श्री. अबोध खंडेलवाल	स्थाई आमंत्रित

* श्री. यू.पी.एस. मदान का मनोनीत निदेशक पद ता. १०/०५/२०१९ से समाप्त हुआ है।

(क) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनीयों का अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना एवं ता. ३१ मार्च, २०१९ को आयोजित बैठक का विवरण निम्न प्रकार है:

अ. क्र.	नाम	पदनाम	आयोजित बैठकों की संख्या
१	श्रीमती झांजा त्रिपाठी	अध्यक्ष	०
२	डॉ. नितिन करीर	सदस्य	०
३	श्रीमती अश्विनी भिडे	सदस्य	०

वर्ष के दौरान किसी भी नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया गया।

नामांकन और पारिश्रमिक नीति की प्रतिलिपि प्रस्तुत प्रतिवेदन में **परिशिष्ट १** अनुसार संलग्न की गई है।

(ड) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

कंपनीयों का अधिनियम, २०१३ की धारा १३५ के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल नें निदेशक मंडल की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की गणपूर्ति के लिए दो सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना एवं ता. ३१ मार्च, २०१९ को आयोजित बैठका का विवरण निम्न प्रकार है:

अ. क्र.	नाम	पदनाम	आयोजित बैठकों की संख्या
१	श्री. यू.पी.एस मदान**	अध्यक्ष	०
२	श्रीमती झांजा त्रिपाठी	सदस्य	०
३	श्रीमती अश्विनी भिडे	सदस्य	०

** श्री. यू.पी.एस. मदान का मनोनीत निदेशक पद ता. १०/०५/२०१९ से समाप्त हुआ है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

कंपनीयों का अधिनियम, २०१३ की धारा १३५ (१) के तहत निर्देशित किये हुए मानदंडों के अनुसार कंपनी को शुद्ध मूल्य के संबंध में सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक है। हलांकि, पिछले तीन वर्षों में कंपनी नें कोई भी लाभ नहीं बनाया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान लिया जाने वाला सीएसआर दायित्व शून्य है।

सीएसआर नीति के साथ सीएसआर व्यय और व्यय न करने के कोई कारण है, उनका विवरण प्रस्तुत प्रतिवेदन के साथ **परिशिष्ट-२** मे संलग्न किया है।

(इ) शेअर आबंटन समिति

कंपनीयों का अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की शेअर आबंटन समिति का गठन किया है। यह समिति निदेशक मंडल की गैर-अनिवार्यता समिति है।

शेअर आबंटन समिति के लिए दोन सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति गणपूर्ति के लिए अनिवार्य है।

शेअर आबंटन समिति की संरचना एवं उसके सदस्यों द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया गया, उसका विवरण निम्न प्रकार है:

अ. क्र.	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या	
			अधिकारी	उपस्थिती
१	श्री. यू.पी.एस मदान***	मनोनीत निदेशक / अध्यक्ष	३	३
२	श्रीमती झांजा त्रिपाठी	मनोनीत निदेशक / सदस्य	३	०
३	श्रीमती अश्विनी भिडे	मनोनीत निदेशक / सदस्य	३	३

*** श्री. यू.पी.एस. मदान का मनोनीत निदेशक पद ता. १०/०५/२०१९ से समाप्त हुआ है।

वर्ष में ३१ जुलाई, २०१८, २३ जनवरा २०१९ और ११ मार्च, २०१९ को शेअर आबंटन समिति की बैठकें आयोजित की गई थी।

चुंकि श्री. यू.पी.एस. मदान का पद समाप्त होने के कारण शेअर आबंटन समिति का ता. २६ जुन, २०१९ की बैठक में पुनर्गठन किया गया।

अ. क्र.	नाम	पदनाम
१	डॉ. नितिन करीर	अध्यक्ष
२	श्रीमती झांजा त्रिपाठी	सदस्य
३	श्रीमती अश्विनी भिडे	सदस्य

९. निदेशक मंडल का वार्षिक मूल्यांकन:

कंपनीयों का अधिनियम, २०१३ के तहत अनिवार्यता के अनुसार निदेशक मंडल के वार्षिक मूल्यांकन के लिए निदेशक मंडल द्वारा मूल्यांकन ढांचे का अंगीकार किया गया है। नामांकन और पारिश्रमिक नीति के प्राचलों में निर्धारित किये गए स्थापित मानदंडों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति सभी निदेशकों के प्रदर्शनों का मूल्यांकन करती है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल द्वारा स्थापित मानदंडो के आधार पर निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समितियों एवं समग्र रूप से निदेशक मंडल के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है।

१०. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बदलाव और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हैं जो कंपनी में वित्तीय वर्ष के अंत तक वित्तीय पत्रों से संबंधित हैं और प्रतिवेदन की तारीख के पहले हुए हैं।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई भी बदलाव एवं प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जो कि, कंपनी में वित्तीय वर्ष के अंत तक वित्तीय पत्रों से संबंधित हैं और प्रतिवेदन की तारीख के पहले हुए हैं।

११. नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित किए हुए महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश, जो कि कंपनी की लगातार क्रियाशील स्थिति को और कंपनी के भविष्यकालिन परिचालन को प्रभावित कर सकते हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी की लगातार क्रियाशील स्थिति तथा कंपनी के भविष्यकालिन परिचालन को प्रभावित कर सकने वाले पारित किये गए महत्वपूर्ण एवं भौतिक आदेशों का समीक्षण किया जा रहा है।

- WP 957 of 2018 उच्च न्यायालय, मुंबई, सुभाष रामराव सागर विरूद्ध एमआईडीसी, एमएमआरसीएल। ता. २८.०३.२०१८ को दिया हुआ दिया गया 'यथास्थिति' आदेश ता. ०७.०८.२०१८ को हटा दिया गया। याचिकाकर्ता ने वर्तमान संरचना रिक्त करने और एमआईडीसी द्वारा दी गई वैकल्पिक संरचना को स्वीकार करना मान्य किया है। निष्कासन पर यथास्थिति को हटाया गया है और प्रकरण का निपटान हो गया है।

- WP 2890 of 2018 जमशेद नोशिर सुखडवाला और अन्य विरूद्ध यूओआई और अन्य। ता. २५.०७.२०१८ के यथास्थिति आदेश को ता. ३०.११.२०१८ को हटा दिया गया। न्यायालय ने प्रकरण का निपटान किया और जेएसएस रोड के अताश बेहराम मंदिर के निचे मेट्रो टनेलिंग को मंजूरी दी।

- Arbitration Petition (L) No. 1170 of 2018 एक्जिक्युटिव गारमेन्ट प्रोसेसर्स प्रा. लि. विरूद्ध एमएमआरडीए और अन्य। ता. २०.१०.२०१८ के आदेश के साथ याचिका का निपटान किया गया। पंच द्वारा अंतरिम राहत आवेदन की निपटान किये जाने तक एक्जिक्युटिव गारमेन्ट को १४ पानी के टैंकर की आपुर्ति करने का अंतरिम आदेश उच्च न्यायालय ने पारित किया है।

- WP (L) No. 2107 of 2017, उच्च न्यायालय, मुंबई, रॉबिन जयसिंघानी विरूद्ध वरिष्ठ पुलीस निरीक्षक, कफ परेड पुलीस थाना और अन्य। ताय ११.०८.२०१७ के यथास्थिति आदेश को उच्च न्यायालय ने दा. २४.०८.२०१८ को हटाया, रात के समय में निर्माण कार्य तथा आनुषंगिक कार्य करने के लिए एमएमआरसीएल को अनुमति दी गई।

- Application No. (L 34 of 2015) 45 of 2018 (WZ) OA no 187 of 2018(PB) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष वनशक्ति द्वारा भारत गणराज्य और अन्य के विरूद्ध दाखिल किया गया। एमएमआरसीएल को डेब्रिज के डंपिंग, रिक्लेमेशन और पेडों की कटाई से प्रतिबंधित करने का ता. १४.०५.२०१८ के आदेश को हटाया गया और वनशक्ति ने उचित न्यायमंच के समक्ष आवेदन दाखिल करने के लिए उसे वापस लेने पर ता. २०.०९.२०१८ को निपटान किया गया।

- WP 3411 of 2018, उच्च न्यायालय, मुंबई, प्रीति शर्मा मेनन विरूद्ध भारत गणराज्य और अन्य। आरे में मेट्रो कार शेड के लिए जब तक ऐसी अनुमतियां नहीं मिलती, तबतक पेडों की अंधाधुंद तथा अपरिपक्वता से कटाई करने पर रोक लगाने के लिए प्रीति शर्मा मेनन द्वारा याचिका दायर की गई। यह विषय वृक्ष प्राधिकरण के समक्ष विचाराधिन होने के कारण ता. ११.१०.२०१८ को प्रकरण का निपटान किया गया। आपत्तियों पर उचित सुनवाई देने के निर्देश उच्च न्यायालय ने वृक्ष प्राधिकरण को दिये हैं।

- WPL/2766/2017, उच्च न्यायालय, मुंबई, अमृता भट्टाचारजी और बिज्जु औगस्टिन कट्टैन विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य और अन्य। इन्होंने ता. २४.०८.२०१७ और ०९.११.२०१७ की अधिसूचनाओं को चुनौती दी है। जमीन के उपयोग में विना विकास से 'मेट्रो कार डेपो' बदलाव। न्यायालय द्वारा अधिसूचना को बरकरार रखा गया औ प्रकरण का ता. २६.१०.२०१८ को निपटान किया गया।

- NOM no 384 of 2018 in PIL NO.46 of 2015, उच्च न्यायालय, मुंबई, झोरू दरायस भठेना विरूद्ध वृक्ष प्राधिकरण और अन्य। समिति पर विशेषज्ञ सदस्यों की अनुपस्थिति का उद्धरण देते हुए, मुंबई उच्च न्यायालय ने ता. २४.१०.२०१८ को वर्तमान वृक्ष प्राधिकरण (बृ.मुं.म.पा.) के कार्य पर रोक लगा दी और वृक्ष प्राधिकरण पर विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति का निर्देश दिया।

१२. जमा:

समीक्षांतर्गत वर्ष में कंपनी ने कोई भी जमा का ग्रहण, स्वीकृति नहीं की है। इसके अतिरिक्त, कंपनीयों के (जमाओं की स्वीकृति) नियम, २०१४ के परिप्रेक्ष्य में कोई भी बकाया राशियाँ नहीं हैं।

१३. सांविधिक लेखा परीक्षक:

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनीयों का अधिनियम, २०१३ की धारा १३९(५) के अनुसार भारत के लेखानियंत्रक और महालेखापाल (CAG) कार्यालय नें कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गई है।

भारत के लेखानियंत्रक और महालेखापाल ने उनके ता. ३१ जुलाई, २०१९ के पत्र नं. CA. V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, MMETRO (१)/७५) अनुसार वर्ष २०१९-२०२० के लिए मेसर्स कल्याणीवाला ऍण्ड मिस्त्री एलएलपी, चार्टर्ड अकाऊन्टेट्स (BO0049) को सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

इसके अतिरिक्त, कंपनीयों का अधिनियम, २०१३ की धारा १४३(१२) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक नें केंद्रीय सरकार को आवश्यक निदेशकों के प्रतिवेदन के प्रकटीकरण में किसी भी धोखाधडी को सूचित नहीं किया है।

१४. सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियां:

सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में कोई योग्यता नहीं है। हलांकि, IND- AS 20 में लेखा नीतियों में किये गए बदलाव पर सांविधिक लेखापरीक्षक नें जोर दिया है।

१५. भारत के लेखानियंत्रक और महालेखापाल (CAG) का प्रतिवेदन:

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिए भारत के लेखानियंत्रक और महालेखापाल की समीक्षा तथा लेखापरीक्षण विलंबित है और तदनुसार लेखापरीक्षक प्रतिवेदन का प्रतीक्षित है।

१६. सचिविय लेखापरीक्षक:

कंपनीयों का अधिनियम, २०१३ की धारा २०४ के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा मेसर्स रागिणी चोकसी ऍण्ड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई को कंपनी के सचिविय लेखापरीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। उनका सचिविय लेखापरीक्षण प्रस्तुत प्रतिवेदन का परिशिष्ट-३ के रूप में एक भाग है।

१७. ऊर्जा संवर्धन, प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गमन:

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के दौरान ऊर्जा संवर्धन, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गमन का विवरण निम्न प्रकार है:

A) ऊर्जा का संवर्धन:	
(i) ऊर्जा संवर्धन के प्रभाव पर उठाए गए कदम;	i. सभी प्रकार के मेट्रो स्टेशनों / डिपो में एलईडी लाइट एनर्जी सेविंग इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम (साइनेज सहित) का उपयोग करने की योजना है। ii. ट्रेन संचालन के गैर-राजस्व / गैर-पीक / पीक अवधियों में केंद्रीकृत प्रकाश नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से अनुकूलित उजाले के स्तर को बनाए रखा जाना है। iii. जहां लागू हो, उन प्रणालियों में वीवीवीएफ (वेरीयेबल वोल्टेज वेरीयेबल फ्रिक्वेन्सी) ड्राईव का उपयोग किया जाता है।
(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोंतों के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम;	i. SECI (सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया), DISCOM आदि की सहायता से उपयुक्त मेट्रो पावर समझौते (PPA) के माध्यम से भूमिगत मेट्रो प्रणाली में सहायक मुख्य प्रणाली (AMS) के लिए सौर ऊर्जा के दोहन की योजना। ii. प्रत्येक आरएसएस और सभी कवर शेड / ओसीसी में ग्रिड इंटरएक्टिव नेट मीटरिंग के साथ रूफ टॉप सोलर पीवी प्लांट होगा। iii. एमएमआरसी ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय भवन में अपना फर्स्ट रूफटॉप माउंटेड सोलर पीवीप्लांट (17.6 kWp) स्थापित किया है और अक्तुबर १७ से परिचालन शुरू किया है। यह प्लांट एमएमआरसी ऑफिस के लाइटिंग लोड के साथ-साथ 120kW के कुल लोड डिमांड के १४% को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
(iii) ऊर्जा संवर्धन उपकरण पर पूंजी निवेश;	रूफटॉप माउंटेड सोलर पीवी प्लांट (17.6 kWp) के लिए 10,63,810 / - रुपये का ठेका दिया गया(B) प्रौद्योगिकी अवशोषण:

(B) प्रौद्योगिकी अवशोषण:	
I) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास;	i.) वीवीवीएफ आधारित प्रोपल्शन प्रणाली रिजनरेशन के साथ। ii.) बग्घियों में एलईडी लाईटिंग और वीवीवीएफ ड्राईव इन्वर्टर आधारित वातानुकुलन प्रणाली।
ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ;	शून्य
iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात) -	शून्य
a) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण;	शून्य
b) आयात का वर्ष;	
c) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अवशोषित की गई है;	शून्य
d) यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं की गई है, तो ऐसे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है, और इसके कारण; तथा	लागू नहीं
iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय।	लागू नहीं
c) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गमन:	
वर्ष के दौरान वास्तविक प्रवाह के संदर्भ में अर्जित हुई विदेशी मुद्रा और विदेशी मुद्रा विनिमय का निर्गमन।	विदेशी मुद्रा अर्जन - शून्य विदेशी मुद्रा निर्गमन - Rs. 9,18,57,10,889.71

१८. कंपनीयों का अधिनियम, २०१३ की धारा १३४(३) (g) के अनुसार ऋणों, निवेशों तथा गारंटी का विवरण:

समीक्षांतर्गत वर्ष के दौरान कंपनीयों का अधिनियम, २०१३ की धारा १३४ (३) (g) के परिप्रेक्ष्य में कंपनी नें कोई भी ऋण नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है या किसी भी ऋणों पर गारंटीयाँ नहीं दी हैं, इसलिए इसका कोई भी प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

१९. पक्षकारों से संबंधित कान्ट्रेक्ट्स या अनुबंधो का विवरण:

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिए कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा १८८ (१) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था के विवरण निर्धारित प्रारूप में, AOC-2 को "परिशिष्ट-४" के रूप में इस रिपोर्ट में संलग्न किया गया है।

२०. वार्षिक प्रतिफल के उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत फॉर्म एमजीटी -9 में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न का अर्क इस रिपोर्ट में "परिशिष्ट ५" के रूप में संलग्न है।

२१. कर्मचारी

(i) रू.८,५०,००० या प्रति वर्ष रू.१,०२,००,००० से अधिक पारिश्रमिक लेनेवाले कोई भी कर्मचारी नहीं हैं। वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लेखापरीक्षण में कार्यरत निदेशकों को भुगतान किये गए पारिश्रमिक का विवरण दिया गया है।

(ii) इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल यहां निवेदन करता है कि, समीक्षांतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2011" के तहत कंपनी को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

२२. जोखिम प्रबंधन नीति:

कंपनी की कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप जोखिम प्रबंधन नीति है। निदेशक मंडल / लेखापरीक्षण समिति नियमित रूप से उसी की समीक्षा और निगरानी का कार्य करती है, जैसा कि उचित समझा जाता है।

मंडल की राय में, कंपनी के अस्तित्व को खतरा होने वाले कोई भी जोखिम नहीं हैं।

२३. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण:

निदेशक मंडल वित्तीय स्थितियों के संबंध में कंपनी की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का समीक्षण करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि धोखाधड़ी और त्रुटियों का एक क्रमबद्ध और कुशलता से पता लगाया जा सके। इसके अलावा, आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय सूचना तैयार करने की प्रणाली भी विद्यमान है।

२४. ICSI द्वारा जारी सचिवीय मानकों के प्रावधानों का अनुपालन

निदेशक मंडल इसके द्वारा आईसीएसआई द्वारा जारी और सचिवीय मानक -१ ("बोर्ड बैठक") और सचिवीय मानक - 2 ("सामान्य बैठक") के प्रावधानों के अनुपालन की घोषणा करता है और वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिए सभी मंडल और कंपनी की साधारण बैठकों के लिए कंपनीयों का अधिनियम, २०१३ की धारा ११८(१०) के तहत एमसीए द्वारा सूचित किया गया है।

२५. निदेशकों के उत्तरदायित्व का निवेदन

निदेशकों द्वारा यहां निवेदन किया जाता है कि:

(a) वार्षिक लेखों की तैयारी करते समय सामग्री की रवानगी के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानदंडों का पालन किया गया है;

(b) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया गया है तथा निर्णय किया गया है एवं आकलन किया गया है, जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष परिदृष्य देने के लिए उचित और विवेकपूर्ण है;

(c) निदेशकों द्वारा कंपनी के संपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए और धोखाधडी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए एवं उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानियाँ बरती हैं;

(d) निदेशकों द्वारा निरंतर क्रियाशीलता स्थिति पर आधारित वार्षिक लेखों को तैयार किया गया था; तथा

(e) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को तैयार किया है और इस तरह के सिस्टम पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे हैं।

२६. स्वीकृतियां:

निदेशक मंडल द्वारा भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और नियामक प्राधिकरणों से मिले सहयोग के लिए उनके प्रति आभार प्रदर्शित किये जाते हैं। निदेशक मंडल अपने बैंकर्स, कर्मचारी तथा अधिकारीयों द्वारा सहयोग दिये जाने पर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करता है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान: मुंबई
तारीख: २८.०९.२०१९

परिशिष्ट 1
नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति

अ. क्र.	सूची	
१	प्रस्तावना	
२	नीति के मुख्य उद्देश्य	
३	प्रभावी तारीख	
४	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन	
५	व्याख्या	
६	प्रयोज्यता	
७	निदेशक मंडल/ प्रबंधकीय निदेशक / पूर्ण-कालिक निदेशकों पर नीति की प्रयोज्यता	
८	समिती के सदस्य	
९	समिति की गणपूर्ति	
१०	समिति की बैठकें	
११	मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति तथा निष्कासन	
१२	अवधि / कार्यकाल	
१३	मूल्यांकन	
१४	निष्कासन	
१५	सेवानिवृत्ति	
१६	निदेश/के.एम.पी./वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारी के पारिश्रमिक की नीति	
१७	कार्यान्वयन	
१८	संशोधन	

१. प्रस्तावना:

कंपनी ने इस नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति को कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की धारा १७८(३) के प्रावधानों के साथ लागू होने वाले अन्य नियम, विनियमों के साथ सूत्रबद्ध किया है। यह नीति सरकारी कंपनीयों को लागू होनेवाली नीतियों के अनुसार कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ कर्मचारीयों पर लागू होगी।

२. नीति के मुख्य उद्देश्य:

नीति के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

a) मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति तथा निष्कासन के संबंध में मंडल को मार्गदर्शन करना।

b) वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारीयों या कर्मचारीयों के कार्यप्रदर्शन का मूल्यांकन करना तथा अधिक मूल्यांकन के लिए मंडल को आवश्यक रिपोर्ट देना।

c) मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंध के देय पारिश्रमिक के बारे में मंडल को सिफारीश करना।

३. प्रभावी तारीख:

मंडल द्वारा मंजूरी दी गई तारीख पर नीति प्रभावि हो जाएगी।

४. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन:

निदेशक मंडल की क्रमशः ५ मार्च २०१६ तथा २७ मार्च २०१६ को हुई ३८वी और ३९वी बैठकों में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का समिति की संदर्भित शर्तों के साथ गठन किया गया है।

५. व्याख्या

- "मंडल" मतलब कंपनी का निदेशक मंडल।
- "निदेशक" मतलब कंपनी के निदेशक।
- "समिति" मतलब मंडल द्वारा गठित या पुनर्गठित की गई कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिती।
- "कंपनी" मतलब मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
- "महाराष्ट्र सरकार" अथवा "सरकार" इसके मतलब में अगर अन्य तरीकों से स्पष्ट नहीं किया गया हो, तो महाराष्ट्र की सरकार का समावेश रहेगा।

- "केंन्द्रीय सरकार" मतलब भारत सरकार। भारत सरकार में भारत के राष्ट्रपति अथवा उनके अन्य नामितों का समावेश होगा।
- "स्वतंत्र निदेश" मतलब कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की धारा १४९ (६) में संदर्भित किया हुआ निदेशक।
- "वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी" मतलब निदेशक मंडल के अलावा कंपनी का वह अधिकारी, जो आन्तरिक प्रबंधन टीम का सदस्य हो। इसमें कार्यकारी निदेशकों के एक स्तर निचे के सारे प्रबंधकीय सदस्य शामील हैं, जिसमें कि सारे कार्यात्मक प्रमुखों का समावेश होगा, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाएं।

जब तक संदर्भ की आवश्यकत न हों, तब तक जिन्हें व्याख्यांकित नहीं किया है, लेकिन कंपनीयों का अधिनियम २०१३ और उसमें समय समय पर किये गए सुधारों में व्याख्यांकिय किया गया है, ऐसे उपयोजित शब्द और अभिव्यक्तियों का मतलब उन्हें नामित किये गये संबंधित अर्थों के अनुसार रहेगा।

६. प्रयोज्यता:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा तारीख ५ जुन २०१५ को जारी की गई अधिसूचना नं. GSR ४६३(E) के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति निम्न के लिए लागू होगी:

(a) कार्यात्मक/पूर्ण-कालिक निदेशक (कंपनी के कर्मचारी और जिन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित या नियुक्त न किया गया है)

(b) मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी (कंपनी के कर्मचारी)

(c) वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारी

(d) अन्य कर्मचारी

आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन के अनुसार महाराष्ट्र सरकार या केन्दीय सरकार द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल पर नियुक्त किये गए निदेशकों पर इस नीति की कोई भी प्रयोज्यता नहीं होगी।

७. निदेशक मंडल / प्रबंधन निदेशक / पूर्ण-कालिक निदेशकों पर नीति की प्रयोज्यता:

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन तथा भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा ता. ५ जुन २०१५ को जारी की गई अधिसूचना नं. GSR ४६३(E) के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल पर धारा १७८ की उप-धारा (२), (३) और (४) के प्रावधान नहीं लागू होंगे (जबतक की वे कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं)।

एक सरकारी कंपनी होने की हैसियत से तथा कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन के अनुसार प्रबंधन निदेशक के लिए शर्ते, नियम, कार्यकाल और पारिश्रमिक या तो महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार द्वारा तय किये जाते हैं। उसी के

अनुसार सरकार द्वारा प्रबंधन निदेशक / पूर्ण-कालिक निदेशक नियुक्त किये जाने के कारण उनकी नियुक्ति तथा पारिश्रमिक पर यह नीति लागू नहीं होती।

तथा मुख्य प्रबंधकीय अधिरायों से संबंधित भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा ता. ५ जुन २०१५ को जारी की गई अधिसूचना नं. GSR ४६३(E) के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल पर धारा १७८ की उप-धारा (२), (३) और (४) के प्रावधान सरकारी कंपनी के प्रबंधन निदेशक या पूर्ण-कालिक निदेशक पर लागू नहीं होते हैं। अतः इस नीति में मुख्य प्रबंधकीय अधिकारीयों से संबंधित कुछ भी प्रबंधन निदेश और पूर्ण-कालिक निदेशक के लिए लागू नहीं होता है।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन के अनुसार महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार को कंपनी के निदेशक मंडल पर कुछ निदेशकों को नामित और नियुक्त करने का अधिकार है। ऐसी नियुक्तियां प्रस्तुत नीति की परिधि से बाहर रहेंगी।

८. समिति के सदस्य:

समिती में कम से कम ३ निदेशक होंगे। समिति स्वतंत्र निदेशकों के ५०% बहुमत से बनी होगी। समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा।

९. समिति की गणपूर्ति

समिती की गणपूर्ति के लिए कम से कम २ निदेशकों की आवश्यकता होगी

१०. समिति की बैठकें

जैसा उचित लगें ऐसे समय और अंतराल पर समिति की बैठक होगी। समिति के सदस्यों को जो स्थान सुविधाजनक लगें ऐसे स्थानों पर बैठकों का आयोजन किया जाएगा। समिती की बैठकों में जिन मामलों को किसी भी वैधानिकता के तहत प्रतिबंधक किया गया हो, उन्हें छोडकर विडियो कॉन्फरेन्सिंग के प्रावधान का समावेश होगा।

बैठक में पारित होनेवाले किसी भी प्रस्ताव को प्रचलन में लागू किसी भी वैधानिकता के तहत कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो, ऐसे मामलों को छोडकर परिसंचरण से पारित किया जाएगा।

मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति तथा निष्कासन

अ) कंपनी की नीतियों के अनुसार के.एम.पी. या वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के लिए कंपनी विशेषज्ञ व्यक्ति की ईमानदारी, योग्यता, निपुणता और अनुभव को पहचान कर और उसकी सुनिश्चिती करके उसके नियुक्ति की सिफारिश करेगी।

ब) जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त योग्यता, निपुणता और अनुभव हो उसका पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। पद के लिए व्यक्ति की योग्यता, निपुणता और अनुभव पर्याप्ट / समाधानकारीक है या नहीं इसका निर्णय समिति करेगा।

क) सत्तर साल की उम्र होनेवाले किसी भी व्यक्ति को कंपनी पूर्ण-कालिक निदेशक के तौर पर नियुक्त नहीं करेगी या उसकी सेवा आगे शुरू नहीं रखेगी। तथापि यह पद धारण करनेवाली व्यक्ति की सेवा विशेष प्रस्ताव पारित करके शेअर धारकों की मंजूरी से सत्तर सालों से आगे की उम्र तक विस्तारित की जा सकती है।

११. अवधि/कार्यकाल

प्रबंधन निदेशक/पूर्ण-कालिक निदेशक:

महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्रबंधन निदेशक / पूर्ण-कालिक निदेशकों के अवधि और कार्यकाल सरकार द्वारा निश्चित किये जाएंगे।

स्वतंत्र निदेशक:

कंपनी के निदेशक मंडल पर स्वतंत्र निदेशक निरन्तर पांच साल तक पद धारण नहीं कर सकता और कंपनी द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव पर वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हो जाएगा तथा उसके नियुक्ति की जानकारी मंडल की रिपोर्ट में प्रसिद्ध की जाएगी।

कोई भी स्वतंत्र निदेशक लगातार प्रत्येक ५ सालों के दो से ज्यादा अवधि तक पद धारण नहीं कर सकता, लेकिन स्वतंत्र निदेशक के रूप में उसका पद समाप्त होने के बाद तीन साल पुरे होने के बाद वह फिर से स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए पात्र हो जाएगा।

तथापि, उक्त तीन सालों के कालावधी में स्वतंत्र निदेशक को कंपनी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी में नियुक्त या संबंध्द नहीं होना चाहिए।

१२. मूल्यांकन

समिति वार्षिक तौर पर या उसे आवश्यक लगें ऐसे उचित मध्यांतरों पर मुख्य प्रबंधकीय अधिकारीयों एवं वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारीयों के कार्यनिष्पादनों का मूल्यांकन करेगी।

१३. निष्कासन

कंपनीयों का अधिनियम २०१३, नियम और विनियम तथा कंपनी की नीतियों के प्रावधानों एवं अनुपालन के आधार पर समिति लिखित कारणों से किसी भी मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी या वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी के निष्कासन की सिफारिश कर सकती है।

१४. सेवानिवृत्ति

कानून के लागू होने वाले प्रावधानों तथा कंपनी की प्रचलित नीति के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी की सेवानिवृत्ति होगी। सेवानिवृत्ति की उम्र हो जाने के बाद कंपनी के फायदे के लिए मुख्य प्रबंधकीय

अधिकारी, वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी को उसी पद / पारिश्रमिक या अन्य रूप से बरकरार रखने के लिए मंडल को विवेकाधिकार होगा।

१५. निदेशकों / मुख्य प्रबंधकीय अधिकारीयों / वरिष्ठ प्रबंधक अधिकारीयों के पारिश्रमिक के लिए नीति

गैर-कार्यकारी / स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक:

अ) कंपनीयों का अधिनियम २०१३ के प्रावधानों दी गई अनुमेयता के अनुसार गैर-कार्यकारी / स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क और अन्य पारिश्रमिक प्राप्त होंगे। बैठक शुल्क नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सिफारिशों और निदेश मंडल की मंजूरी के अनुसार होगा।

ब) गैर-कार्यकारी / स्वतंत्र निदेशकों के सभी पारिश्रमिक (कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की धारा १९७ (५) मे बैठकों में उपस्थिती के पारिश्रमिक के निर्धारण के अलावा) कंपनीयों का अधिनियम २०१३ में की गई उच्चतम सीमा / मर्यादाओं के लिए किये गए प्रावधानों तथा उसके तहत किये गये नियमों या उस समय के प्रभावी पुनःजारी कानून के प्रावधानों के अधीन रहेंगे। ऐसे पारिश्रमिक की राशि नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति की सिफारिशें एवं निदेशक मंडल या शेअर धारकों के यथास्थित मंजूरी के अनुसार होगी।

क) स्वतंत्र निदेशक स्टॉक विकल्प प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा और कंपनी के किसी भी शेयर आधारित भुगतान योजनाओं में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा।

ड) व्यावसायिक स्वरुप की प्रदान की गई सेवाओं के लिए गैर-कार्यकारी / स्वतंत्र निदेशक को दिया गया पारिश्रमिक उपरोक्त खंड (ब) के उद्देश्यों के पारिश्रमिक तबतक भाग नहीं होगा, जबतक कि निम्न शर्तों का समाधान न हों:

i) ऐसे निदेशक द्वारा उसकी व्यावसायिक क्षमता में सेवाएं प्रदान की गई हो, और
ii) समिति के मतानुसार निदेशक उस व्यावसायिकता को निभाने के लिए आवश्यक योग्यता रखता हो।

मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रबंधन का पारिश्रमिक:

अ) मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक में स्थायी वेतन एवं प्रोत्साहन वेतन शामिल है जो कि कंपनीयों के अधिनियम २०१३ के प्रावधानों और कंपनी की उचित नीति का पालन करते हैं।

ब) मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी का पारिश्रमिक बाजार के मानकों या महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के विनियमों के अनुसार तय किया जाता है।

१६. कार्यान्वयन

अ) यह पारिश्रमिक नीति कंपनी के सभी वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर जिनमें मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी तथा निदेशक मंडल शामिल हैं, मतलब यह नीति निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत करने के बाद भविष्य में बनाए जानेवाले सभी

कर्मचारी अनुबंधों पर लागू होगी। मंडल द्वारा प्रस्तुत नीति की स्वीकृती से पहले की ऐसी कोई भी नियुक्तियां की गई हों, तो उन्हें उक्त नियुक्तियों की नियम और शर्तों में हुए सुधार, संशोधन या किसी भी बदलाव के समय प्रस्तुत नीति के प्रावधानों का पालन करना जरूरी होगा।

ब) अन्य संदर्भों में मंडल को पारिश्रमिक नीति मार्गदर्शन करेगी। इस नीति के प्रावधान कंपनीयों का अधिनियम २०१३ के से संबंधित नियम और विनियम विषय में समय-समय पर दिए गए दिशा निर्देशों में किए गए किसी भी या सभी सुधार / संशोधन के अधीन रहेंगे। ऐसा कोई भी संशोधन प्रस्तुत नीति को अपनेआप संशोधित करेगा और उसके लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति या निदेशक मंडल के मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसा संशोधन इस नीति से संलग्न किया जाएगा और उसे संबंधित व्यक्तियों के लिए कंपनी की वेबसाईट पर तैयार संदर्भ के लिए डाला जाएगा तथा नामांकन और पारिश्रमिक समिति और निदेशक मंडल की अगली बैठक में उसे पेश किया जाएगा।

क) इस नीति के अच्छे कार्यान्वयन के लिए जो भी उचित समझे जाएं ऐसे दिशा निर्देश, कार्यपद्धतियां, फॉरमेट्स, रिपोर्टिंग यंत्रणा तथा मैनुअल्स समिति जारी कर सकती है।

ड) समिति अपने अधिकारों के एक या अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित कर सकती है।

७. संशोधन

कोई भी कारण दिये बिना निदेशक मंडल इस नीति में किसी भी समय संशोधन या सुधार या पुनरिक्षण कर सकता है। ऐसे संशोधन या सुधार या पुनरिक्षण इस नीति से संलग्न किए जाएंगे और उन्हें मंडल की बैठक तथा समिति की बैठक के कार्यवृत्तान्त में उल्लेखित करना जरूरी होगा।

परिशिष्ट २

सी.एस.आर. क्रियाओं / उपक्रमों पर रिपोर्ट

[कंपनीयों का अधिनियम, २०१३ की धारा १३५ एवं उसके तहत किये गए नियमों के अनुसार]

कंपनी की सी.एस.आर. नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित प्रकल्पों या कार्यक्रमों की शुरूआत की जानी हैं तथा सी.एस.आर. नीति और प्रकल्प या कार्यक्रमों से संबंदित वेब-लिंक के संदर्भ भी शामिल हैं।

मएम.एम.आर.सी.एल की सी.एस.आर. नीति का उद्देश्य समाज के लिए शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य और कल्याण और जैव विविधता, ऊर्जा और जल संरक्षण सहित पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना है। इस उद्देश्य में समाज के निचले तबके को जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के अवसर प्रदान करके उन्हें सहायता देकर सामर्थ्यवान बनाने का समर्थन है। यह परियोजनाएँ कंपनीयों का अधिनियम, २०१३ की अनुसूची ७ के व्यापक ढांचे के भीतर होंगी। सी.एस.आर. नीति और कंपनी द्वारा किए हाथ में ली गई परियोजनाओं या कार्यक्रमों कंपनी के विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

१. Web Link:www.mmrcl.com कंपनी के इस पोर्टल पर सी.एस.आर. नीति देख सकते हैं।

२. ३१ मार्च २०१९ तक गठित की गई सी.एस.आर. समिती:

नाम	पदनाम
श्री. यु.पी.एस. मदान	अध्यक्ष
श्रीमती झांजा त्रिपाठी	सदस्य
श्रीमती अश्विनी भिडे	सदस्य

* श्री. यू. पी. एस. मदान का नामित निदेशक पद तारीख १०/०५/२०१९ से समाप्त हो गया है।

३. पिछले ३ वित्तिय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ*:

वित्तिय वर्ष	धारा १९८ के अनुसार लाभ
२०१६-१७	(३६१.३७)
२०१७-१८	(७२०.४२)
२०१८-१९	(९७७.४२)
कुल	(२०५७.२१)

४. निर्धारित सी.एस.आर. खर्च (राशिका २%): शून्य

५. वर्ष के दौरान हाथ में लिए गए सी.एस.आर. गतिविधियों / परियोजनाओं का विवरण:

अ) वित्तिय वर्ष के लिए खर्च की जानेवाली कुल राशि - शून्य

ब) खर्च नहीं की हुई राशि (अगर है) - शून्य

क) वित्तिय वर्ष के दौरान राशि किस प्रकार खर्च की गई, उसका विवरण निम्न प्रकार है:

१	२	३	४	५	६	७	८
अ. क्र.	सी.एस.आर. परियोजना / गतिविधी	क्षेत्र	परियोजनाएं / कार्यक्रम १. स्थानिय क्षेत्र / अन्य- २. राज्य का नाम बताएं, जहाँ पर परियोजना / कार्यक्रम शुरू किया गया था	परियोजना / कार्यक्रम के अनुसार राशि का परिव्यय (बजट)	परियोजना / कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप-शीर्ष: १. परियोजना / कार्यक्रम पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च, २. ओवरहेड्स	रिपोर्टिंग की अवधि तक संचित व्यय	खर्च हुई राशि: प्रत्यक्ष / एजन्सी* के माध्यम से *
लागू नहीं							

६. यदि कंपनी पिछले ३ वित्तिय वर्षों के या उसके किसी भी भाग में अपने औसत शुद्ध लाभ का २% खर्च करने में विफाल हुई है, तो मंडल के रिपोर्ट में उसके खर्च न करने के कारण

पिछले तीन वित्तिय वर्षों में घाटा होने के कारण कंपनी के ऊपर कोई सी.एस.आर. दायित्व नहीं है। तदनुसार चालू वर्ष में कंपनी नें कोई सी.एस.आर. खर्च नहीं किया।

७. सी.एस.आर. समिती के उत्तरदायित्व पत्र में दिया गया है कि, कंपनी के सी.एस.आर. उद्देश्यों एवं नीतियों के अनुसार सी.एस.आर. नीतियों का कार्यान्वयन किया जाता है तथा उसपर निगरानी रखी जाती है।

कंपनी की सी.एस.आर. समिती द्वारा पुष्टीकरण किया जाता है कि, कंपनी के सी.एस.आर. उद्देश्यों तथा नीति के अनुसार सी.एस.आर. नीति का कार्यान्वयन तथा निगरानी का काम शुरू किया गया है।

स्थान : मुंबई
तारीख:२८.०९.२०१९

हस्ताक्षर
अध्यक्ष

हस्ताक्षर
कॉर्पोरेट सोशल
रिस्पॉन्सिबिलीटी समिती के अध्यक्ष

फॉर्म नं. MR-3

सेक्रेटरियल लेखापरीक्षण रिपोर्ट
०१-०४-२०१८ से ३१-०३-२०१९ तक कालावधि के लिए

[कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की धारा २०४(१) तथा कंपनीयों के (प्रबंधकीय अधिकारीयों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम २०१४ के नियम नं. ९ के अनुसार]

प्रति,
सदस्य,
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ट्रान्जिट कार्यालय ई-ब्लाक
सिटी पार्क की उत्तर दिशा
आयकर कार्यालय के पिछे
ए-विंग, बांद्रा (पू.), बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
मुंबई ४०० ०५१

हमने **मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CIN: U60100MH2008SGC181770)** (इसे आगे कंपनी कहा गया है) का सेक्रेटरियल लेखापरीक्षण लागू होनेवाले वैधानिक प्रावधानों और कंपनी द्वारा अच्छी तरह से पालन की गई कॉर्पोरेट प्रैक्टिस से किया है। हमने कॉर्पोरेट संचालन / वैधानिक पालन के संचालन के अच्छे आधार देनेवाले तरीके से सेक्रेटरियल लेखापरीक्षण संचालित किया और उसपर हमार मत अभिव्यक्त किया है।

हमने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पुस्तकें, कागजात, मिनिट बूक, फॉर्म और फाईल किये गये रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों एवं कंपनी, उसके अधिकारी, एजंट्स और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हमारे सेक्रेटरियल लेखापरीक्षण के दौरान दी गई जानकारी के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि, हमारे मत में कंपनी ने **१ अप्रैल २०१८ से ३१ मार्च २०१९** तक के लेखापरीक्षण कालावधि में इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तरीके और विषय में निम्न सूचित वैधानिक प्रावधानों का पालन किया है तथा कंपनी की मंडल प्रक्रिया यथोचित है और यंत्रणा का पालन किया है:

हमने **मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी")** द्वारा अनुरक्षित पुस्तकें, कागजात, मिनिट बूक, फॉर्म तथा भरे हुए रिटर्न एवं अन्य अभिलेखों का **१ अप्रैल २०१८ से ३१ मार्च २०१९** कालावधि के लिए परीक्षण किया, वे प्रावधान इस प्रकार हैं:

(i) कंपनीयों का अधिनियम २०१३ ("कानून") तथा उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, १९५६ ('SCRA') और उसके तहत बनाए गए नियम; **(रिपोर्टिंग की कालावधि में लागू नहीं हैं)**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, १९९६ तथा उसके तहत बनाए गए विनियम और बाई-लॉज्, **(रिपोर्टिंग की कालावधि में लागू नहीं हैं)**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम १९९९ तथा उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष प्रवासी निवेश और बाहरी वाणिज्यित उधार की हद तक बनाए गए नियम और विनियम; **(रिपोर्टिंग की कालावधि में लागू नहीं हैं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम १९९२ (सेबी एक्ट) के तहत निर्धारित किये गए विनियम और दिशा निर्देश: **(रिपोर्टिंग की कालावधि में लागू नहीं हैं)**

a. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम २०११.

b. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम २०१५.

c. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम २००९.

d. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेअर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम २०१४.

e. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम २००८.

f. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेअर अंतरण अभिकर्ता) विनियम १९९३ कंपनीयों का अधिनियम और ग्राहक से व्यवहार के संबंध में।

g. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेअरों की असूचीबद्धता) विनियम २००९.

h. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम २००९.

(vi) कंपनी को निम्न विशेष क्षेत्र के अधिनियम लागू होते हैं:

a. मेट्रो रेल्वेज (निर्माण कार्य) अधिनियम १९७८.
b. मेट्रो रेल्वेज (संचालन और रखरखाव) अधिनियम २००२
c. मेट्रो रेल्वेज (संशोधन) अधिनियम २००२
d. भारतीय रेल्वेज अधिनियम १८९०

कार्यकारी प्रमुखों एवं विभिन्न ठेकेदारों द्वारा कंपनी ने प्राप्त किये हुए अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर हम उपरोक्त संविधों के पालन पर भरोसा करते हैं।

हमने भारतीय कंपनी सेक्रेटरियों के संस्थान द्वारा जारी किए हुए सेक्रेटरियल मानक याने SS-1 और SS-2 की लागू होनेवाली धाराओं का पालन करके परीक्षण किया है।

समीक्षण कालावधि के तहत कंपनी द्वारा **निम्न उल्लेखित को छोडकर** अन्य सभी अधिनियम, नियम, विनियम, दिशा निर्देश, मानक आदि का पालन किया है:

१. कंपनी नें निम्न समितियों का गठन किया है, लेकिन रिपोर्टिंग कालावधि में कोई भी बैठकें नहीं हुई हैं:

- कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति
- नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति

२. कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के वैधानिक फॉर्म्स को ठिक से दाखिल किया है, लेकिन कुछ फॉर्म्स दाखिल करने में विलंब हुआ था।

हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि रिपोर्टिंग कालावधि के दौरान:

- कंपनी ने कार्यकारी निदेशकों तथा गैर-कार्यकारी निदेशकों से संतुलित निदेशक मंडल का गठन किया है।
- समीक्षण कालावधि के दौरान निदेशक मंडल की रचना बदलाव हुए हैं और वह कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए किये गए हैं।
- निदेशक मंडल की अनुसूचीत बैठकों, विषयों तथा विवरणों के पर्याप्त नोटीस सभी निदेशकों को कम से कम सात दिन पूर्व भेजे गए हैं और बैठक के विषयों पर अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने की प्रणाली मौजुद है, जिससे कि बैठक में अर्थपुर्ण सहभाग हो सकें।
- बहुमत से निर्णय किया जाता है, जब कि असंतुष्ट सदस्यों के विचार सुनकर उन्हें मिनिट के भाग के रूप में पकडा और अभिलेखित किया जाता है।
- कंपनी के अनुरूप कंपनी के आकार और संचालनों को मॉनिटर करने तथा लागू होनेवाले कानून, नियमों, विनियमों तथा दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, रिपोर्टिंग कालावधि के दौरान कंपनी के प्रबंधन में निम्न प्रकार के बदलाव हुए हैं:

- रिपोर्टिंग कालावधि के दौरान नियुक्तियां:

१) ता. ०२/०५/२०१८ से प्रभावि श्री. आर.ए. राजीव की कंपनी में नामित निदेशक नियुक्ति की गई।
२) ता. ०२/०७/२०१८ से प्रभावि, श्री. अचल जैन की कंपनी में नामित निदेशक नियुक्ति की गई।
३) ता. १७/०१/२०१९ से प्रभावि, श्री. एस.एस. जोशी की कंपनी में नामित निदेशक नियुक्ति की गई।

- रिपोर्टिंग कालावधि में समाप्तियां:

१) ता. ०५/०५/२०१८ से प्रभावि, श्री. डी.के. जैन का कंपनी के नामित निदेशक का पद समाप्त हुआ।
२) ता. २५/०६/२०१८ से प्रभावि, श्री. राहुल अस्थाना का कंपनी के नामित निदेशक का पद समाप्त हुआ।
३) ता. ०२/०७/२०१८ से प्रभावि, श्री. ए. पी. मिश्रा का कंपनी के नामित निदेशक का पद समाप्त हुआ।
४) ता. १३/१०/२०१८ से प्रभावि, श्री. अनूप कुमार गुप्ता का कंपनी के नामित निदेशक का पद समाप्त हुआ।

हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि, रिपोर्टिंग कालावधि के दौरान कंपनी का पंजिकृत कार्यालय एमएमआरडीए इमारत से प्लाट नं. सी-१४-१५, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ और ट्रान्जिट कार्यालय, ई-ब्लाक, सिटी पार्क की उत्तर दिशा, आयकर कार्यालय के पिछे, ए - विंग, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई - ४०० ०५१ में स्थलांतरित हो गया है।

हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि, रिपोर्टिंग कालावधि के दौरान कंपनी द्वारा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्देशितों के अधिकार कंपनी ने बनाए हैं जो कि कानून की धारा ६२ तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करते हैं:

१) २३ जुलाई २०१८ को रू.१०० प्रत्येक के २,००,००,००० इक्विटी शेअरों के अधिकार प्रस्तावित किये गए, जिसका वितरण ३१ जुलाई २०१८ को किया गया।

२) १७ जनवरी २०१९ को रू.१०० प्रत्येक के २,००,००,००० इक्विटी शेअरों के अधिकार प्रस्तावित किये गए, जिसका वितरण २३ जनवरी२०१९ को किया गया।

३) ता. २८ फरवरी २०१९ को रू.१०० प्रत्येक के ६,००,००,००० इक्विटी शेअरों के अधिकार प्रस्तावित किये गए।

रागिनी चोकसी एण्ड कंपनी के लिए
कंपनी सेक्रेटरी

स्थान : मुंबई
तारीख: ३१.०७.२०१९

किरण ठाकरे (पार्टनर)
सी.पी. नंबर : - २१२१०
एफसीएस नंबर: -२३१६

परिशिष्ट

प्रति,
सदस्य,
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ट्रान्जिट कार्यालय ई-ब्लाक
सिटी पार्क की उत्तर दिशा
आयकर कार्यालय के पिछे
ए-विंग, बांद्रा (पू.), बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
मुंबई ४०० ०५१

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के साथ इस पत्र को पढें।

१. सेक्रेटरियल अभिलेखों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर इन सेक्रेटरियल अभिलेखों पर हमारी मत अभिव्यक्त करने की हमारी जिम्मेदारी है।

२. सेक्रेटरियल अभिलेखों के सामग्री की अचुकता के बारे में पर्याप्त सुनिश्चिति मिलने के लिए हमने उचित लेखा रितियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षा आधारित है, जिससे कि सेक्रेटरियल अभिलेखों के सही तथ्य सुनिश्चित हो सकें। हमारे मत के लिए हमने प्रक्रियाओं एवं रितियों का पर्याप्त पालन किया है, ऐसा हमें विश्वास है।

३. कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की अचुकता और पर्याप्तता का सत्यापन हमने नहीं किया है।

४. जहां आवश्यक हों, वहां हमने कानून, नियमों तथा विनियमों के पालन और हो रही घटनाओं आदि के ले प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

५. कॉर्पोरेट और अन्य लागू होनेवाले कानून, नियम, विनियम और मानकों के प्रावधानों का पालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण परीक्षा आधारित सत्यापन तक सीमित है।

६. सेक्रेटरियल लेखापरीक्षण न तो कंपनी की अगली व्यवहार्यता को और न हीं कंपनी के कारोबार को प्रबंधन किस कार्यक्षमता और प्रभावि ढंग से चलाता है, इसकी सुनिश्चिति करता है।

रागिनी चोकसी एण्ड कंपनी के लिए
कंपनी सेक्रेटरी

स्थान : मुंबई
तारीख: ३१.०७.२०१९

किरण ठाकरे (पार्टनर)
सी.पी. नंबर : - २१२१०
एफसीएस नंबर: -२३१६

वित्तिय वर्ष २०१८-१९ के लिए निदेशकों का रिपोर्ट परिशिष्ट-IV:
फॉर्म नं. AOC - २

(अधिनियम की धारा १३४ की उपधारा (३) की चरण (h) एवं कंपनीयों के (लेखा) नियम, २०१४ के नियम ८ (२) के अनुसार)

कंपनीयों का अधिनियम, २०१३ की धारा १८८ की उप-धारा (१) के संदर्भ में संबंधित पक्षकारों से कंपनी द्वारा प्रवेशित किये गए कान्ट्रैक्ट्स / व्यवस्थाओं के विवरण के लिए फॉर्म, जिसमें तृतीय निर्धारणा के तहत निकट गैरसंपर्क से किये गए वित्तिय व्यवहार शामील हैं।

1	निकट गैरसंपर्क के कान्ट्रैक्ट या व्यवस्थाएं या वित्तिय व्यवहार आदी का विवरण	
(a)	संबंधित पक्षकार का नाम तथा संबंध का स्वरुप	लागू नहीं
(b)	कान्ट्रैक्ट / व्यवस्था / वित्तिय व्यवहार का स्वरुप	
(c)	कान्ट्रैक्ट / व्यवस्था / वित्तिय व्यवहार का कालावधि	
(d)	कान्ट्रैक्ट्स या व्यवस्थाएं या वित्तिय व्यवहारों की मुख्य शर्तें, मूल्य के साथ (अगर है तो)	
(e)	इस तरह के कान्ट्रैक्ट्स या व्यवस्थाएं या वित्तिय व्यवहारों में प्रवेशित होने का औचित्य	
(f)	मंडल द्वारा मंजूरी की तारीखें	
(g)	अग्रिमों के लिए अदा की गई रकम, अगर है तो	
(h)	धारा १८८ की प्रथम निर्धारणा के तहत आवश्यकता के अनुसार साधारण सभा में पारित किये गए विशेष प्रस्ताव की तारीख	
2	निकट गैरसंपर्क के नहीं है ऐसे महत्वपूर्ण कान्ट्रैक्ट्स या व्यवस्थाएं या वित्तिय व्यवहारों के विवरण	
(a)	संबंधित पक्षकार का नाम तथा संबंध का स्वरुप	लागू नहीं
(b)	कान्ट्रैक्ट / व्यवस्था / वित्तिय व्यवहार का स्वरुप	
(c)	कान्ट्रैक्ट / व्यवस्था / वित्तिय व्यवहार का कालावधि	
(d)	कान्ट्रैक्ट्स या व्यवस्थाएं या वित्तिय व्यवहारों की मुख्य शर्तें, मूल्य के साथ (अगर है तो)	
(e)	मंडल द्वारा मंजूरी की तारीखें, अगर हैं तो	
(f)	अग्रिमों के लिए अदा की गई रकम, अगर है तो	

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

<हस्ताक्षर/->
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई
तारीख: २१.०७.२०१९

फॉर्म नं. एमजीटी ९

वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

३१.०३.२०१९ को समाप्त हुए वित्तिय वर्ष तक

कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की धारा ९२(३) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम २०१४ के नियम १२(१) अनुसार).

I	**पंजिकरण और अन्य विवरण:**	
i	सी.आई.एन.	U60100MH2008SGC181770
ii	पंजिकरण की तारीख	181770
iii	कंपनी का नाम	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
iv	कंपनी की श्रेणी / उप श्रेणी	भागों से मर्यादित कंपनी
v	पंजिकृत कार्यालय का पता और संपर्क का विवरण	टट्रान्जिट कार्यालय ई-ब्लाक सिटी पार्क की उत्तर दिशा आयकर कार्यालय के पिछे ए-विंग बांद्रा (पू.) बी.के.सी. मुंबई मुंबई शहर एमएच ४०० ०५१
vi	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	लागू नहीं
vii	रजिस्ट्रार और ट्रान्सफर एजंट का नाम, पता और संपर्क का विवरण.	लागू नहीं

II **कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ**

कंपनी के कुल कारोबार में १०% या अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाएगा

अ. क्र.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं के नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एन.आई.सी. कोड	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
१	सामान्य जनता को शीघ्रता से विश्वसनीय, सुलभ, कार्यक्षम, आधुनिक और किफायती सार्वजनिक यातायात का तरीका प्रदान करने के लिए मुंबई में रेल आधारित सामूहिक द्रुत यातायात प्रणाली व्यवसाय स्थापित करना, उसका प्रबंधन, प्रचालन एवं रखरखाव करना।	६०२१२	शून्य

III **होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनीयों का विवरण**

अ. क्र.	कंपनी का नाम और पता	सी.आई.एन. / जी.एल.एन.	होल्डिंग / सहायक / सहयोगी	धारण किए हुए भाग
१	लागू नहीं.			

IV शेअर होल्डिंग पैटर्न (इक्विटी शेयर का प्रतिशत कुल)

शेअर धारकों की श्रेणी	साल के शुरूआत में शेअर धारकों की संख्या				साल के अंत में धारण किये हुए शेअर्स की संख्या				साल में बदलाव का प्रतिशत	
	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेअर्स का प्रतिशत	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेअर्स का प्रतिशत		
अ. प्रवर्तक										
(१) भारतीय										
अ)व्यक्ति / एच.यू.एफ.		0	0	0%		0	0	0%		
ब) केंद्र सरकार या राज्य सरकार		131520000	131520000	100%		231520000	231520000	100%		
क) कॉर्पोरेट संस्थाएं		0	0	0		0	0	0		
ड) बैंक/वि.सं.		0	0	0		0	0	0		
इ) अन्य		0	0	0		0	0	0		
उप-योग:(अ((१)		131520000	131520000	100%		231520000	231520000	100%		
(२) विदेशी										
अ) एन.आर.आई. व्यक्ति		0	0	0		0	0	0		
ब) अन्य व्यक्ति		0	0	0		0	0	0		
क) कॉर्पोरेट संस्था		0	0	0		0	0	0		
ड) बैंक्स/एफ.आई.		0	0	0		0	0	0		
इ) अन्य...		0	0	0		0	0	0		
उप-योग (अ) (२)		0	0	0		0	0	0		
पप्रवर्तकों का कुल शेअर होल्डिंग (अ)=(अ)(१) + (अ)(२)		131520000	131520000	100%		231520000	231520000	100%		
ब. सार्वजनिक शेअर होल्डिंग										
(१) संस्थाएं										
अ) म्युच्युअल फंड्स		0	0	0		0	0	0		
ब) बैंक्स/वि.सं.		0	0	0		0	0	0		
क) केंद्र सरकार		0	0	0		0	0	0		

शेअर धारकों की श्रेणी	साल के शुरूआत में शेअर धारकों की संख्या				साल के अंत में धारण किये हुए शेअर्स की संख्या				साल में बदलाव का प्रतिशत	
	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेअर्स का प्रतिशत	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेअर्स का प्रतिशत		
ड) राज्य सरकार		0	0	0		0	0	0		
इ) वेंचर कैपिटल फंड		0	0	0		0	0	0		
फ) बिमा कंपनीयां		0	0	0		0	0	0		
ग) एफ.आई.आई.एस.		0	0	0		0	0	0		
ह) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड		0	0	0		0	0	0		
ई) अन्य (स्पष्ट करें)		0	0	0		0	0	0		
उप-योग (ब)(१):										
(२) गैर संस्थाएं		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
अ) कॉर्पोरेट संस्थाएं										
१) भारतीय		0	0	0		0	0	0		
२) विदेशी		0	0	0		0	0	0		
ब) व्यक्ति		0	0	0		0	0	0		
१) रू.१ लाख तक के नाममात्र		0	0	0		0	0	0		
शेअर कैपिटल धारण करनेवाले स्वतंत्र शेअरहोल्डर		0	0	0		0	0	0		
२) रू.१ लाख से ज्यादा के नाममात्र शेअर धारण करनेवाले स्वतंत्र शेअरहोल्डर		0	0	0		0	0	0		
क) अन्य (स्पष्ट करें)		0	0	0		0	0	0		
उप-योग (ब)(२):										
एकूण सार्वजनिक भागभांडवल		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
कुल सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग (ब)=(ब)(१)+(ब)(२)ठेवले आहेत		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
क. जी.डी.आर. और ए.डी.आर. के लिए कस्टोडियन द्वारा धारण किए गए		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
शेअर्स										
कुल योग (अ+ब+क)		**131520000**	**131520000**	**100%**		**231520000**	**231520000**	**100%**		

(ii) प्रवर्तकों द्वारा धारण किये हुए शेअर

अ. क्र.	शेअर धारक का नाम	वर्ष के शुरूआत में धारण किये हुए शेअर			वर्ष की समाप्ति पर धारण किये हुए शेअर			वर्ष में शेअर की धारणा में बदलाव का प्रतिशत
		शेअर की संख्या	कंपनी के कुल शेअरों का प्रतिशत	कुल शेअरों में गिरवी रखे गए शेअरों का प्रतिशत	शेअर की संख्या	कंपनी के कुल शेअरों का प्रतिशत	कुल शेअरों में गिरवी रखे गए शेअरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति के द्वारा श्री. दुर्गा शंकर मिश्रा	65,760,000	50%	0	115,760,000	50%	0	39.17%
2	महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा श्री. यू.पी.एस. मदान	65,760,000	50%	0	115,760,000	50%	0	39.17%
	Total	**131,520,000**	**100%**		**231,520,000**	**100%**		

(iii) प्रवर्तकों की शेअरों की धारणा में बदलाव (कोई बदलाव नहीं है, तो स्पष्ट करें)

अ. क्र.	शेअर धारक का नाम	वर्ष के शुरूआत में धारण किये हुए शेअर		वर्ष में संचयी शेअरों की धारणा	
1	भारत के राष्ट्रपति के द्वारा श्री. दुर्गा शंकर मिश्रा	शेअरों की संख्या	कंपनी के कुल शेअरों का प्रतिशत	शेअरों की संख्या	कंपनी के कुल शेअरों का प्रतिशत
	वर्ष की शुरूआत में	65760000	50.00%	65760000	50.00%
	३१ जुलाई २०१८ तक शेअरों का वितरण	10000000	50%	10000000	50%
	२३ जनवरी २०१९ तक शेअरों का वितरण	10000000	50%	10000000	50%
	११ मार्च २०१९ तक शेअरों का वितरण	30000000	50%	30000000	50%
	वर्ष की समाप्ति तक	115760000	50%	115760000	50%

अ. क्र.	शेअर धारक का नाम	वर्ष के शुरूआत में धारण किये हुए शेअर		वर्ष में संचयी शेअरों की धारणा	
2	महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा श्री. यू.पी.एस. मदान	शेअरों की संख्या	कंपनी के कुल शेअरों का प्रतिशत	शेअरों की संख्या	कंपनी के कुल शेअरों का प्रतिशत
	वर्ष की शुरूआत में	65760000	50.00%	65760000	50.00%
	३१ जुलाई २०१८ तक शेअरों का वितरण	10000000	50%	10000000	50%
	२३ जनवरी २०१९ तक शेअरों का वितरण	10000000	50%	10000000	50%
	११ मार्च २०१९ तक शेअरों का वितरण	30000000	50%	30000000	50%
	वर्ष की समाप्ति तक	115760000	50%	115760000	50%

(iv) शीर्ष के शेअर धारकों का शेअरों की धारणा का पैटर्न (निदेशक, प्रवर्तक तथा जी.डी.आर. और ए.डी.आर. के अलावा)

अ. क्र.	शेअर धारक का नाम	वर्ष के अंत तक शेअरो की धारणा		वर्ष के दरमियान संचित शेअरों की धारणा	
1	शीर्ष १० शेअर धारकों में प्रत्येकी	शेअरों की संख्या	कंपनी के कुल शेअरों में प्रतिशत	शेअरों की संख्या	कंपनी के कुल शेअरों में प्रतिशत
	वर्ष के शुरूआत मेंवर्ष के दरमियान प्रवर्तकों के शेअरों की धारणा में वृद्धि / घटाव उनके वृद्धि/घटाव के कारणों के साथ (उदा. वितरण /हस्तांतरण/बोनस/इक्विटी के एस.डब्ल्य.इ. आदि)	०	०.००%	०	०.००%
	वर्ष के अंत में (या वर्ष में विभाजन के दिन तक)	०	०%	०	०%

(v) निदेशक एवं के.एम.पी. के शेअरों की धारणा

अ. क्र.	शेअर धारक का नाम	वर्ष के अंत तक शेअरो की धारणा		वर्ष के दरमियान संचित शेअरों की धारणा	
1	प्रत्येक निदेशक और के.एम.पी. के लिए	शेअरों की संख्या	कंपनी के कुल शेअरों में प्रतिशत	शेअरों की संख्या	कंपनी के कुल शेअरों में प्रतिशत
	डॉ. नितिन करीर वर्ष के शुरूआत मेंवर्ष के दरमियान प्रवर्तकों के शेअरों की धारणा में वृद्धि / घटाव उनके वृद्धि/घटाव के कारणों के साथ (उदा. वितरण /हस्तांतरण/बोनस/इक्विटी के एस.डब्ल्य.इ. आदि)	१	०.००%	१	०.००%
	वर्ष के अंत में	१	०%	१	०%

अ. क्र.	शेअर धारक का नाम	वर्ष के अंत तक शेअरो की धारणा		वर्ष के दरमियान संचित शेअरों की धारणा	
2	प्रत्येक निदेशक और के.एम.पी. के लिए	शेअरों की संख्या	कंपनी के कुल शेअरों में प्रतिशत	शेअरों की संख्या	कंपनी के कुल शेअरों में प्रतिशत
	श्रीमती अश्विनी भिडे वर्ष के शुरूआत मेंवर्ष के दरमियान प्रवर्तकों के शेअरों की धारणा में वृद्धि / घटाव उनके वृद्धि/घटाव के कारणों के साथ (उदा. वितरण /हस्तांतरण/बोनस/इक्विटी के एस.डब्ल्य.इ. आदि)	१	०.००%	१	०.००%
	वर्ष के अंत में	१	०%	१	०%

अ. क्र.	शेअर धारक का नाम	वर्ष के अंत तक शेअरो की धारणा		वर्ष के दरमियान संचित शेअरों की धारणा	
3	प्रत्येक निदेशक और के.एम.पी. के लिए	शेअरों की संख्या	कंपनी के कुल शेअरों में प्रतिशत	शेअरों की संख्या	कंपनी के कुल शेअरों में प्रतिशत
	श्री. अबोध खंडेलवाल वर्ष के शुरूआत मेंवर्ष के दरमियान प्रवर्तकों के शेअरों की धारणा में वृद्धि / घटाव उनके वृद्धि/घटाव के कारणों के साथ (उदा. वितरण /हस्तांतरण/बोनस/इक्विटी के एस.डब्ल्य.इ. आदि)	१	०.००%	१	०.००%
	वर्ष के अंत में	१	०%	१	०%

नोट: डॉ. नितिन करीर, श्रीमती अश्विनी भिडे और श्री. अबोध खंडेलवाल महाराष्ट्र सरकार की ओर से शेअरों की धारणा कर रहे हैं

(v) ऋणग्रस्तता

कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें बकाया / उपार्जित राशि शामिल हैं लेकिन भुगतान के कारण नहीं (रू. लाखों में)

विवरण	जमा को छोडकर सुरक्षित कर्जे	असुरक्षित कर्जे	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तिय वर्ष की शुरूआत में ऋणग्रस्तता				
१) मूलधन राशि	०.००	३५५१३२.१६	५८९.५८	३५५७२१.७४
२) देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया ब्याज	०.००	३०२८.९९	०.००	३०२८.९९
३) देय नहीं लेकिन उपार्जित ब्याज	०.००	१३७.५६	०.००	१३७.५६
कुल=(१+२+३)	**०.००**	**३५८२९८.७१**	**५८९.५८**	**३५८८८८.२९**
वित्तिय वर्ष में ऋणग्रस्तता में बदलाव				
परिवर्धन	०.००	२९०१५६.५८	१९३.७०	२९०३५०.२८
घटौती	०.००	०.००	०.००	०.००
नक्त परिवर्तन	०.००	२९०१५६.५८	०.००	२८३९८६.७८
वित्तिय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
१) मूलधन राशि		६३९११८.९४	७८३.२८	६३९९०२.२२
२) देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया ब्याज	०.००	९०९४.७३	०.००	९०९४.७३
३) देय नहीं लेकिन उपार्जित ब्याज	०.००	२४१.६२	०.००	२४१.६२
कुल=(१+२+३)		**६४८४५५.२९**	**७८३.२८**	**६४९२३८.५७**

(vi) निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय अधिकारीयों के पारिश्रमिक:

A. प्रबंधकिय निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

अ. क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	एम.डी./डब्ल्यू.टी.डी. / प्रबंधक का नाम	कुल राशि
१	**सकल वेतन**	श्रीमती अश्विनी भिडे	
	(अ) आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १७(१) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	२६०२५५०	२६०२५५०
	(ब) आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १७(२) के तहत अनुलाभ मूल्य		
	(क) आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १७(३) के तहत वेतन के बदले लाभ		
२	स्टॉक का विकल्प		
३	उद्यम इक्विटी		
४	कमीशन		
	लाभ में प्रतिशतअन्य (स्पष्ट करें)		
५	अन्य, कृपया स्पष्ट करें		
	इतर, कृपया निर्दिष्ट करा		
	कुल (अ)	२६०२५५०	२६०२५५०
	कानून के अनुसार मर्यादा (लागू नहीं)		

B. अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक:

अ. क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम	कुल राशि
१	स्वतंत्र निदेशक	श्री राहुल दुर्गाप्रसाद अस्थाना	
	(अ)मंडल समिती बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क(ब)	१८०००	१८०००
	कमीशन		
	(क) अन्य, कृपया स्पष्ट करें		
	कुल (१)	१८०००	१८०००
२	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक		
	(अ)मंडल समिती बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क		
	(ब) कमीशन		
	(क) अन्य, कृपया स्पष्ट करें		
	कुल (२)		
	कुल (ब)=(१+२)		
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	१८०००	१८०००
	कानून के अनुसार समस्त मर्यादा	१८०००	१८०००

C. एम.डी./प्रबंधक/डब्ल्यू.टी.डी. के अलावा अन्य मुख्य प्रबंधकीय अधिकारीयों के पारिश्रमिक

अ. क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी	
१	**सकल वेतन**	**कंपनी सेक्रेटरी (रितू देब)**	
	(अ) आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १७(१) के	२,३७९,८८७	३,३५९,६९८
	प्रावधानों के अनुसार वेतन		
	(ब) आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १७(२) के तहत		
	अनुलाभ मूल्य		
	(क) आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १७(३) के तहत		
	वेतन के बदले लाभ		
२	स्टॉक का विकल्प		
३	उद्यम इक्विटी		
४	कमीशन		
	लाभ में प्रतिशत		
	अन्य (स्पष्ट करें)		
५	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	१६०,४३७	
	एकूण	२,५४०,३२४	३,३५९,६९८

(vii) दंड / सजा / अपराधों की गणना

प्रकार	कंपनीयों का अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड / सजा / अपराधों की गणना का विवरण	प्राधिकारण (आर.डी./ एन.सी.एल.टी. /न्यायालय)	क्या कोई अपील की गई है (विवरण दें)
अ. कंपनी					
दंड					
सजा					
गणना					
ब. निदेशक					
दंड					
सजा					
गणना					
क. अन्य दोषी अधिकारी					
दंड					
सजा					
गणना					

ठिकाण: मुंबई
तारीख: २१.०७.२०१९

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.
मके लिए

<हस्ताक्षर/->
अध्यक्ष

फॉर्म नं. MR-3

सेक्रेटरियल लेखापरीक्षण रिपोर्ट
०१-०४-२०१८ से ३१-०३-२०१९ तक कालावधि के लिए

[कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की धारा २०४(१) तथा कंपनीयों के (प्रबंधकीय अधिकारीयों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम २०१४ के नियम नं. ९ के अनुसार]

प्रति,
सदस्य,
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ट्रान्जिट कार्यालय ई-ब्लाक
सिटी पार्क की उत्तर दिशा
आयकर कार्यालय के पिछे
ए-विंग, बांद्रा (पू.), बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
मुंबई ४०० ०५१

हमने **मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CIN: U60100MH2008SGC181770)** (इसे आगे कंपनी कहा गया है) का सेक्रेटरियल लेखापरीक्षण लागू होनेवाले वैधानिक प्रावधानों और कंपनी द्वारा अच्छी तरह से पालन की गई कॉर्पोरेट प्रैक्टिस से किया है। हमने कॉर्पोरेट संचालन / वैधानिक पालन के संचालन के अच्छे आधार देनेवाले तरीके से सेक्रेटरियल लेखापरीक्षण संचालित किया और उसपर हमार मत अभिव्यक्त किया है।

हमने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पुस्तकें, कागजात, मिनिट बूक, फॉर्म और फाईल किये गये रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों एवं कंपनी, उसके अधिकारी, एजंट्स और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हमारे सेक्रेटरियल लेखापरीक्षण के दौरान दी गई जानकारी के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि, हमारे मत में कंपनी ने **१ अप्रैल २०१८ से ३१ मार्च २०१९** तक के लेखापरीक्षण कालावधि में इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तरीके और विषय में निम्न सूचित वैधानिक प्रावधानों का पालन किया है तथा कंपनी की मंडल प्रक्रिया यथोचित है और यंत्रणा का पालन किया है:

हमने **मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी")** द्वारा अनुरक्षित पुस्तकें, कागजात, मिनिट बूक, फॉर्म तथा भरे हुए रिटर्न एवं अन्य अभिलेखों का **१ अप्रैल २०१८ से ३१ मार्च २०१९** कालावधि के लिए परीक्षण किया, वे प्रावधान इस प्रकार हैं:

(i) कंपनीयों का अधिनियम २०१३ ("कानून") तथा उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, १९५६ ('SCRA') और उसके तहत बनाए गए नियम; **(रिपोर्टिंग की कालावधि में लागू नहीं हैं)**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, १९९६ तथा उसके तहत बनाए गए विनियम और बाई-लॉज्, **(रिपोर्टिंग की कालावधि में लागू नहीं हैं)**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम १९९९ तथा उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष प्रवासी निवेश और बाहरी वाणिज्यित उधार की हद तक बनाए गए नियम और विनिमय; **(रिपोर्टिंग की कालावधि में लागू नहीं हैं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम १९९२ (सेबी एक्ट) के तहत निर्धारित किये गए विनियम और दिशा निर्देश: **(रिपोर्टिंग की कालावधि में लागू नहीं हैं)**

a. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम २०११.

b. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम २०१५.

c. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम २००९.

d. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेअर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम २०१४.

e. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम २००८.

f. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेअर अंतरण अभिकर्ता) विनियम १९९३ कंपनीयों का अधिनियम और ग्राहक से व्यवहार के संबंध में।

g. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेअरों की असूचीबद्धता) विनियम २००९.

h. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम २००९.

(vi) कंपनी को निम्न विशेष क्षेत्र के अधिनियम लागू होते हैं:

a. मेट्रो रेल्वेज (निर्माण कार्य) अधिनियम १९७८.
b. मेट्रो रेल्वेज (संचालन और रखरखाव) अधिनियम २००२
c. मेट्रो रेल्वेज (संशोधन) अधिनियम २००२
d. भारतीय रेल्वेज अधिनियम १८९०

कार्यकारी प्रमुखों एवं विभिन्न ठेकेदारों द्वारा कंपनी ने प्राप्त किये हुए अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर हम उपरोक्त संविधों के पालन पर भरोसा करते हैं।

हमने भारतीय कंपनी सेक्रेटरियों के संस्थान द्वारा जारी किए हुए सेक्रेटरियल मानक याने SS-1 और SS-2 की लागू होनेवाली धाराओं का पालन करके परीक्षण किया है।

समीक्षण कालावधि के तहत कंपनी द्वारा **निम्न उल्लेखित को छोडकर** अन्य सभी अधिनियम, नियम, विनियम, दिशा निर्देश, मानक आदि का पालन किया है:

१. कंपनी नें निम्न समितियों का गठन किया है, लेकिन रिपोर्टिंग कालावधि में कोई भी बैठकें नहीं हुई हैं:

- कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति
- नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति

२. कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के वैधानिक फॉर्म्स को ठिक से दाखिल किया है, लेकिन कुछ फॉर्म्स दाखिल करने में विलंब हुआ था।

हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि रिपोर्टिंग कालावधि के दौरान:

- कंपनी ने कार्यकारी निदेशकों तथा गैर-कार्यकारी निदेशकों से संतुलित निदेशक मंडल का गठन किया है।
- समीक्षण कालावधि के दौरान निदेशक मंडल की रचना बदलाव हुए हैं और वह कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए किये गए हैं।
- निदेशक मंडल की अनुसूचीत बैठकों, विषयों तथा विवरणों के पर्याप्त नोटीस सभी निदेशकों को कम से कम सात दिन पूर्व भेजे गए हैं और बैठक के विषयों पर अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने की प्रणाली मौजुद है, जिससे कि बैठक में अर्थपुर्ण सहभाग हो सकें।
- बहुमत से निर्णय किया जाता है, जब कि असंतुष्ट सदस्यों के विचार सुनकर उन्हें मिनिट के भाग के रूप में पकडा और अभिलेखित किया जाता है।
- कंपनी के अनुरूप कंपनी के आकार और संचालनों को मॉनिटर करने तथा लागू होनेवाले कानून, नियमों, विनियमों तथा दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, रिपोर्टिंग कालावधि के दौरान कंपनी के प्रबंधन में निम्न प्रकार के बदलाव हुए हैं:

- रिपोर्टिंग कालावधि के दौरान नियुक्तियां:

१) ता. ०२/०५/२०१८ से प्रभावि श्री. आर.ए. राजीव की कंपनी में नामित निदेशक नियुक्ति की गई।
२) ता. ०२/०७/२०१८ से प्रभावि, श्री. अचल जैन की कंपनी में नामित निदेशक नियुक्ति की गई।
३) ता. १७/०१/२०१९ से प्रभावि, श्री. एस.एस. जोशी की कंपनी में नामित निदेशक नियुक्ति की गई।

- रिपोर्टिंग कालावधि में समाप्तियां:

१) ता. ०५/०५/२०१८ से प्रभावि, श्री. डी.के. जैन का कंपनी के नामित निदेशक का पद समाप्त हुआ।
२) ता. २५/०६/२०१८ से प्रभावि, श्री. राहुल अस्थाना का कंपनी के नामित निदेशक का पद समाप्त हुआ।
३) ता. ०२/०७/२०१८ से प्रभावि, श्री. ए. पी. मिश्रा का कंपनी के नामित निदेशक का पद समाप्त हुआ।
४) ता. १३/१०/२०१८ से प्रभावि, श्री. अनूप कुमार गुप्ता का कंपनी के नामित निदेशक का पद समाप्त हुआ।

हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि, रिपोर्टिंग कालावधि के दौरान कंपनी का पंजिकृत कार्यालय एमएमआरडीए इमारत से प्लाट नं. सी-१४-१५, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ और ट्रान्जिट कार्यालय, ई-ब्लाक, सिटी पार्क की उत्तर दिशा, आयकर कार्यालय के पिछे, ए - विंग, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई - ४०० ०५१ में स्थलांतरित हो गया है।

हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि, रिपोर्टिंग कालावधि के दौरान कंपनी द्वारा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्देशितों के अधिकार कंपनी ने बनाए हैं जो कि कानून की धारा ६२ तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करते हैं:

१) २३ जुलाई २०१८ को रू.१०० प्रत्येक के २,००,००,००० इक्विटी शेअरों के अधिकार प्रस्तावित किये गए, जिसका वितरण ३१ जुलाई २०१८ को किया गया।

२) १७ जनवरी २०१९ को रू.१०० प्रत्येक के २,००,००,००० इक्विटी शेअरों के अधिकार प्रस्तावित किये गए, जिसका वितरण २३ जनवरी२०१९ को किया गया।

३) ता. २८ फरवरी २०१९ को रू.१०० प्रत्येक के ६,००,००,००० इक्विटी शेअरों के अधिकार प्रस्तावित किये गए।

राागिनी चोकसी एण्ड कंपनी के लिए
कंपनी सेक्रेटरी

स्थान : मुंबई
तारीख: ३१.०७.२०१९

किरण ठाकरे (पार्टनर)
सी.पी. नंबर : - २१२१०
एफसीएस नंबर: -२३१६

परिशिष्ट

प्रति,
सदस्य,
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ट्रान्जिट कार्यालय ई-ब्लाक
सिटी पार्क की उत्तर दिशा
आयकर कार्यालय के पिछे
ए-विंग, बांद्रा (पू.), बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
मुंबई ४०० ०५१

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के साथ इस पत्र को पढें।

१. सेक्रेटरियल अभिलेखों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर इन सेक्रेटरियल अभिलेखों पर हमारी मत अभिव्यक्त करने की हमारी जिम्मेदारी है।

२. सेक्रेटरियल अभिलेखों के सामग्री की अचुकता के बारे में पर्याप्त सुनिश्चिति मिलने के लिए हमने उचित लेखा रितियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षा आधारित है, जिससे कि सेक्रेटरियल अभिलेखों के सही तथ्य सुनिश्चित हो सकें। हमारे मत के लिए हमने प्रक्रियाओं एवं रितियों का पर्याप्त पालन किया है, ऐसा हमें विश्वास है।

३. कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की अचुकता और पर्याप्तता का सत्यापन हमने नहीं किया है।

४. जहां आवश्यक हों, वहां हमने कानून, नियमों तथा विनियमों के पालन और हो रही घटनाओं आदि के ले प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

५. कॉर्पोरेट और अन्य लागू होनेवाले कानून, नियम, विनियम और मानकों के प्रावधानों का पालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण परीक्षा आधारित सत्यापन तक सीमित है।

६. सेक्रेटरियल लेखापरीक्षण न तो कंपनी की अगली व्यवहार्यता को और न हीं कंपनी के कारोबार को प्रबंधन किस कार्यक्षमता और प्रभावि ढंग से चलाता है, इसकी सुनिश्चिति करता है।

रागिनी चोकसी एण्ड कंपनी के लिए
कंपनी सेक्रेटरी

स्थान : मुंबई
तारीख: ३१.०७.२०१९

किरण ठाकरे (पार्टनर)
सी.पी. नंबर : - २१२१०
एफसीएस नंबर: -२३१६

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड - I, मुम्बई

सत्यमेव जयते

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
COMMERCIAL AUDIT AND EX-OFFICIO MEMBER,
AUDIT BOARD-I, MUMBAI

गोपनीय/शीघ्र डाक

संख्या: जीए/सीए-I/लेखा/MMRCL/2018-19/ 160

19/09/2019

सेवा में,
प्रबंध निदेशक
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एम एम आर सी ट्रांसिट ऑफिस बिल्डिंग, 'A' विंग, 'E' ब्लॉक,
North Side of City Park, Behind Income Tax Office,
Bandra Kurla Complex, Bandra East
मुंबई- 400051

विषय:- 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा दी गई टिप्पणियाँ इस पत्र के साथ संलग्न हैं। टिप्पाणियों को मुद्रित वार्षिक प्रतिवेदन के विषयसूची में उचित संकेत सहित सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के आगे रखा जाये।

वार्षिक सामान्य बैठक के समापन के पश्चात, वित्तीय विवरणों, सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को अपनाते हुए सामान्य वार्षिक बैठक की कार्यवाही की एक प्रतिलिपि इस कार्यालय को अविलंब अग्रेषित की जाए। मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की दस प्रतियाँ भी इस कार्यालय को भेजी जाये।

कृपया इस पत्र एवं संलग्नकों की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीया,

(रूप राशि)
महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I मुंबई

संलग्न: यथोपरि।

सातवी मंजिल, आर.टी.आई. बिल्डींग, प्लॉट नं. सी-2, जी. एन. ब्लॉक, एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूट के पीछे, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Seventh Floor, R.T.I. Building, Plot No. C-2, G. N. Block, Behind Asian Heart Institute, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019

The preparation of financial statements of Mumbai Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 21.07.2019.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Mumbai Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2019 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Roop Rashi)
Director General of Commercial Audit and
ex-officio Member, Audit Board-I, Mumbai

Place : Mumbai
Date : 19.09.2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

वित्तीय पत्रों के लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

हमनें **मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** ("कंपनी") के साथ में दिये हुए वित्तीय पत्रों का, जिसमें कि ३१ मार्च २०१९ तक की तुलना पत्र तथा लाभ और हानि पत्र (साथ में शामिल अन्य व्यापक आय), उसी समाप्त हुए वर्ष के इक्विटी में हुए बदलाव तथा नगदी प्रवाह के पत्र और वित्तीय पत्रों पर हमारी टिप्पणियों के साथ महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं अन्य स्पष्टीकरणात्मक जानकारी (आगे इसे "वित्तीय पत्र" कहा गया है) आदि का समावेश है।

हमारे मत में और हमारी उचित जानकारी तथा हमे दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरलिखित वित्तीय पत्रों में कंपनीयों का अधिनियम २०१३ ("कानून") की आवश्यकता के अनुसार जो जानकारी दी गई है वह भारत में सामान्यतः अंगीकृत किये गए लेखा तत्वों की दृष्टी से कंपनी का ३१ मार्च २०१९ तक के कारोबार का सत्य और निष्पक्ष विवरण प्रदर्शित करते हैं और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ तथा अन्य व्यापक आय, इक्विटी के बदलाव और नगदी प्रवाह को दर्शाते हैं।

अभिमत के आधार

उक्त कानून की धारा १४३(१०) में निर्दिष्ट किये गए लेखा के मानकों (SAs) के अनुसार हमने लेखा परीक्षण किया है। उन मानकों के तहत हमारी रिपोर्ट के वित्तीय पत्रों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां के तहत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण दिया गया है। चार्टर्ड अकौंन्टन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी की हुई नैतिक आचार संहिता के साथ उक्त कानून तथा उसके तहत बनाए गए नियमों से संबंधिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हमने कंपनी के वित्तीय पत्रों का स्वतंत्रता से लेखा परीक्षण किया है, तथा नैतिक आचार संहिता और आवश्यकताओं के लिए अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को हमने पूर्ति की है।

मामलों की अवधारणा

तारीख २० सितंबर २०१८ को जारी की गई अधिसूचना नं. G.S.R. ९०३(E) के अनुसार अनुच्छेद २३ से इंड ए.एस. २० तक किये गए सुधारों के आधार पर कंपनी ने वित्तीय पत्रों से संबंधित बदली हुई लेखा नीति जो नोट २९ में दी गई है, उस तरफ हम ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें सरकार ने गैर-मौद्रिक संपत्ति जैसे कि मिल्कियत के भाग की जमीन, संयंत्र और उपकरण के लिए दी गई मंजूरी तथा अमूर्त संपत्ति का भाग होनेवाली 'अनुमति' का उचित मूल्य पर हिसाब लगाया है, जिसका अब नाममात्र मूल्य से हिसाब किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप कायम जमीन मूल्य की उचित राशि का व्युत्क्रम होकर वह ३१ मार्च २०१८ तक रू.१,१२,१३७.६८ लाख हो गई (जो १ अप्रैल २०१७ को रू.१,०४,५९८.३१ लाख थी) और ३१ मार्च २०१८ तक अनुमतियों की रकम (अस्थायी जमीन के लिए) रू.१,८७,१६७.९६ लाख हुई है (जो १ अप्रैल २०१७ तक रू.१,६५,५६९.५९ लाख थी)।

इस मामले के संदर्भ में हमारे मत को संशोधित नहीं किया गया है।

अन्य मामला

इन वित्तीय पत्रों में शामिल पिछले वर्षों के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी, कंपनी लेखा अधिनियम, २०१३ की धारा १३३ के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ("Ind AS") के अनुसार तैयार पहले से जारी सांविधिक वित्तीय विवरणों पर आधारित है। कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, २०१५ (संशोधित) के साथ पढ़ें, जो पूर्ववर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किए गए थे, जिनकी रिपोर्टों ने उन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एक असंशोधित मत व्यक्त की थी।

अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट, दी जानेवाली जिसमें निदेशक की रिपोर्ट के साथ उससे संलग्न परिशिष्टों का समावेश है। लेकिन उसमें वित्तीय पत्रों एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं। अन्य जानकारी प्रस्तुत लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बाद उपलब्ध करवाए जाने की अपेक्षा है।

वित्तीय पत्रों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी का अन्तर्भाव नहीं है और उसपर हमने किसी भी तरह का आश्वासक निर्णय अभिव्यक्त नहीं किया है।

वित्तीय पत्रों पर हमारे लेखापरीक्षण से संबंधित हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त पहचानी गई जानकारी जब उपलब्ध हो जाए, तब उसे पढना है और ऐसा करने में यह बात हमें ध्यान में रखनी हैं कि, कहीं उपलब्ध कराई गई अन्य जानकारी वास्तव में वित्तीय पत्रों से या लेखापरीक्षण में मिले ज्ञान से असंगत या अन्य प्रकार से वह वास्तव में गलत जानकारी है।

जब हम अन्य जानकारी पढते हैं, तब अगर वह वास्तव में गलत है ऐसा हमारा निष्कर्ष हुआ, तो हमें इस मामलें में जिनपर नियामकता करने की जिम्मेदारी है, उनसे संपर्क करने की आवश्यकता है और अन्य जानकारी की प्राप्ति पर प्रबंधन पहले से समीक्षण की जानकारी दी गई हो तो उनसे संवाद करने के लिए क्या कदम उठाए गए, उसका समीक्षण करना है।

वित्तीय पत्रों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कानून की धारा १३३ के तहत भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के साथ भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा तत्वों के अनुसार कंपनी के वित्तीय पत्रों में उसकी वित्तीय स्थिती, वित्तीय कार्यपालन (अन्य सर्वसमावेशी आय के साथ), इक्विटी में बदलाव और कैश फ्लो का वास्तविक एवं उचित दृष्य दिखाने के संदर्भ ऐसे वित्तीय पत्रों को कानून की धारा १३४(५) में उल्लेखित मामलों के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है। इस जिम्मेदारी में कानून के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए और धोखधडी तथा अन्य अनियमितताओं को खोजने और प्रतिबंधित करने के लिए लेखा अभिलेखों का यथास्थित अनुरक्षण करना; उचित लेखा नीतियों को चुनकर उनको लागू करना तर्कसंगत और विवेकपूर्ण प्राक्कलन एवं निर्णय लेना; उचित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की रचना करना, उसका कार्यान्वियन और अनुरक्षण करके लेखा अभिलेखों को अचूकता से पूर्ण करना की सुनिश्चिती करने के लिए उन्हे प्रभावी ढंग से चलाना, इन सारी बातों का समावेश है, जिससे कि, वित्तीय पत्रों का सादरीकरण वास्तविक रूप में किसी धोखाधडी या त्रुटी के चलते गलत बयानी से मुक्त होकर हिसाब का सच्चा और उचित दृष्य दिखा सके।

वित्तीय पत्रों को तैयार करने में वर्तमान मामले, प्रकटीकरण, जहां पर लागू हों, तथा जबतक प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने या उसके कार्य को समाप्त करने या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हों, तो इन सारी क्षमताओं का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन पर आती है।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर देखरेख करने की जिम्मेदारी भी उस मंडल के निदेशकों की है।

वित्तीय पत्रों के लेखा परीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

वित्तीय पत्र बडी गलत बयानी से पूरी तरह से मुक्त है, फिर चाहे वह धोखाधडी या त्रुटी से हो जाए, इस बात पर उचित आश्वासन प्राप्त करना और उसपर हमारे मत की समावेशता के साथ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना यह हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। उचित आश्वासन उच्च स्तरिय आश्वासन होता है, लेकिन सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ किये गए लेखापरीक्षण में हमेशा महत्वपूर्ण गलत बयानी खोजी जा सकती, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। धोखाधडी या त्रुटी से गलत बयानी उभर सकती है और वह स्वतंत्रता से या एकसाथ की गई हो, तो उसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, उनसे इन वित्तीय पत्रों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ किये गए लेखापरीक्षण के भाग में हम पुरे लेखापरीक्षण में पेशेवर निर्णय एवं पेशेवर संदेह का अनुरक्षण किया है। तथा हमने:

(a) चाहे धोकाधडी या त्रुटी के साथ वित्तीय पत्र में महत्वपूर्ण गलत बयानी की हो, उस जोखीम को पहचानना और उसका मूल्यांकन करना, उन जोखीमों के प्रतिक्रियात्मक लेखापरीक्षण की रचना करके उसे निष्पादन करना तथा हमारे मत को आधार देनेवाले पर्यात्प एवं उचित लेखापरीक्षण सबूतों को प्राप्त करना। धोखाधडी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी को नहीं खोजा गया, तो उससे त्रुटी के परिणाम स्वरूप होनेवाली जोखीम से भी ज्यादा बडी माना जाता है, जैसे कि, इस प्रकार की धोखधडी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई अनदेखी, गैरप्रदर्शन या आन्तरिक नियंत्रण पर ओवरराईड जैसी बातें समावेशित हो सकती हैं।

(b) लेखापरीक्षण से संबंधित आन्तरिक नियंत्रण को समझने की जानकारी प्राप्त करना, जिससे कि परिस्थितियों में उचित तरिकों के लेखापरीक्षणों की रचना की जा सके। कानून की धारा १४३ (३)(i) के तहत वित्तीय पत्रों के संदर्भ में कंपनी की आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है या नहीं और ऐसे नियंत्रणों के कार्यकारी प्रभावं पर हमारा मत व्यक्त करना भी हमारी जिम्मेदारी है।

(c) उपयोग की गई लेखा नीतियों की उपयोगिता का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा दिये हुए लेखा अनुमानों का लेखा अनुमान करना।

(d) प्रबंधन द्वारा लेखा तत्वों के चालू संदर्भों में उपयोग किये हुए औचित्यों का निष्कर्ष निकालना और लेखापरीक्षण के आधारों पर प्राप्त करना, फिर चाहे घटनाओं या परिस्थितिओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितताएं मौजूद हो या नहीं जो कंपनी की चालू मामलों में योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह दिखाती हों। अगर महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, ऐसा हमने निष्कर्ष निकाला, तो हमे वित्तीय पत्रों में उससे संबंधित रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की जरूरत

होगी या अगर ऐसी प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हम अपने मत में सुधार करेंगे। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षण के साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि चालू मामलों में भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियाँ कंपनी के कार्य को समाप्त करने का कारण हो सकती हैं।

(e) वित्तीय पत्रों के समस्त प्रदर्शन, संरचना तथा सामग्री का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, और यह देखना कि क्या वित्तीय पत्र के प्रदर्शन में दिये हुए वित्तीय व्यवहार तथा घटनाएं उनका उचित प्रदर्शन प्राप्त करते हैं या नहीं।

वित्तीय पत्रों में गलत बयानी का परिणाम भौतिकता है जो कि, वित्तीय पत्रों में उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को स्वतंत्र रूप से या एकत्रित रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षण कार्य की व्याप्ति का नियोजन और हमारे कार्य के मूल्यांकन परिणाम तथा (ii) वित्तीय पत्रों में खोजी गई किसी भी गलत बयानी के प्रभावों को मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ शासन से संबंधित अधिकारीयों से संपर्क करके लेखापरीक्षण की व्याप्ति तथा समय का नियोजन करते हैं और हमारे लेखापरीक्षण के दौरान आन्तरिक नियंत्रण की किसी भी महत्वपूर्ण न्युनता को खोजने का भी समावेश है।

शासन से संबंधित अधिकारीयों को मामलों के बारे में बताने पर हमने चालू कालावधि के वित्तीय पत्रों के लेखापरीक्षण में महत्वपूर्ण लगनेवाले मामलों को निश्चित किया है और इसलिए वह मुख्य लेखापरीक्षण के मामले हैं। हमने इन मामलों को हमारे लेखापरीक्षण रिपोर्ट में जबतक कानून या विनिमय उन्हें सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं करता या जो बहुत दुर्लभ परिस्थितियों के हैं, तबतक हम निर्णय करते हैं कि, ऐसे मामलों को हमारी रिपोर्ट में उल्लेखित न किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से जो विपरित परिणाम होते हैं उनसे सार्वजनिक हित के लाभ से पल्ला झाडना है, ऐसा अपेक्षा की जा सकती है।

अन्य कानूनी तथा नियामक जरूरतों पर रिपोर्ट

१. कानून की धारा १४३ की उपधारा (११) के अनुसार भारत के केन्द्रीय सरकार ने जारी किये हुए आदेश, २०१६ (आदेश) के अनुसार कंपनीयों (लेखापरीक्षण रिपोर्ट) में जैसा जरूरी है वैसे हमने आदेश के अनुच्छेद ३ और ४ में उल्लेखित मामलों के बारे में विवरण **परिशिष्ट "ए"** में दिया हुआ है।

२. कानून की धारा १४३ (५) की जरूरत के अनुसार भारत के लेखानियंत्रण और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये हुए निर्देशो एवं उपनिर्देशों को, उनपर की गई कार्रवाईयों को और कंपनी के वित्तीय पत्रों के हिसाब में उनके प्रभावों को **परिशिष्ट "बी"** में हमनें दिया गया है।

जैसा कि कानून की धारा १४३(३) में आवश्यक है, हम उसपर रिपोर्ट देते हैं कि:

(अ) हमारे अच्छे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षण के लिए आवश्यक सारी जानकारी तथा स्पष्टीकरण जो हमने मांगे थें वह हमें प्राप्त हुए हैं।

(ब) हमारे मतानुसार कंपनी द्वारा कानून की जरूरतों के अनुसार उचित लेखा पुस्तकों को रखा है और हमने उन पुस्तकों का परीक्षण किया है, जिससे कि वह प्रदर्शित होता है।

(क) इस रिपोर्ट में दिये गए बैलेन्स शीट, लाभ और हानि का पत्र (साथ में अन्य व्यापक आय), इक्विटी में बदलाव का पत्र एवं कैश फ्लो का पत्र लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं।

(ड) हमारे मतानुसार उपरोक्त वित्तीय पत्र कानून की धारा १३३ के साथ उसके तहत दिये हुए संबंधित नियमों के निर्देशों का पालन करते हैं।

(इ) निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख पर लिए गए तारीख ३१ मार्च २०१९ को निदेशकों द्वारा प्राप्त लिखित प्रदर्शनों के आधार पर तारीख ३१ मार्च २०१९ को कानून की धारा १६४ (२) के अनुसार नियुक्त किये गए निदेशकों में से कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं हुआ है। (दो निदेशकों से प्राप्ती और अद्यतन के अलावा)।

(फ) कंपनी के वित्तीय पत्रों के संदर्भ में आन्तरिक नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और इन नियंत्रणों के कार्यकारी प्रभाव के लिए "परिशिष्ट सी" में हमारी अलग से रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(ज) कंपनी एक सरकारी कंपनी है, तदनुसार तारीख ५ जुन २०१५ की अधिसूचना जी.एस.आर. ४६३(E) के संदर्भ में कानून की धारा १९७ पठित अनुसूची ५ के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(झ) कंपनीयों के (लेखापरीक्षण और लेखापरीक्षक) नियम २०१४ के नियम ११ के अनुसार लेखापरीक्षण रिपोर्ट में समावेश किये जानेवाले अन्य मामलों के संदर्भ में हमारे मत तथा हमारी जानकारी एवं हमे दिये गए स्पष्टीकरण योग्य हैं:

अ. कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिती में विलंबित मुकदमों के प्रभावों को प्रकट किया है - वित्तीय पत्रों में संदर्भ नोट २१.१;

ब. तारीख ३१ मार्च २०१९ को समाप्त हुए वर्ष में दीर्घकालिन अनुबंधों के लिए कंपनी के निकट भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण घाटे नहीं हैं। कंपनी के कोई भी व्युत्पन्न अनुबंध नहीं हैं।

क. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधी को हस्तांतरण करने के लिए जरूरी राशियों के हस्तांतरण में कोई भी विलंब नहीं किया गया है।

कल्याणीवाला ऐण्ड मिस्त्री एल.एल.पी. के लिए
चार्टर्ड अकौन्टन्ट्स
फर्म पंजिकरण संख्या: १०४६०७W / W१००१६६

फरहाद एम. भेसानिया
भागीदार
सदस्यता संख्या: १२७३५५
UDIN: 19127355AAAACF1505
स्थान: मुंबई
तारीख: २१.०७.२०१९

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का परिशिष्ट ए

३१ मार्च २०१९ को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को हमारी 'स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट' में 'अन्य कानूनी और नियमक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के लिए परिशिष्ट के अनुच्छेद 1 को संदर्भित करें।

कंपनीयों के (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, २०१६ में विनिर्देशित मामलों का निवेदन अनुच्छेद ३ और ४ में दिया हुआ हैः

अ) कंपनी द्वारा सारे विवरण जिनमें अचल संपत्ति का मात्रात्मक विवरण एवं स्थिती समावेशित है, उनके सारे अभिलेख उचित रूप से अनुरक्षित किये गये हैं।

ब) कंपनी द्वारा उसकी अचल संपत्ति के वास्तविक सत्यापन का नियमित कार्यक्रम है, जिससे तीन साल के कालावधि में सारी अचल संपत्ति को चरणबद्धता से सत्यापित किया जाता है। हमारे मतानुसार इस प्रकार की वास्तविक सत्यापन की समयावधिकता कंपनीके आकार एवं संपत्ति का स्वरुप देखते हुए उचित है। कार्यक्रम के अनुसार साल में निश्चित अचल संपत्ति का वास्तविक सत्यापन किया गया था एवं इस सत्यापन के पश्चात सामग्री में किसी भी प्रकार की विसंगतियां नहीं दिखाई दी हैं।

क) जिस प्रकार हमें जानकारी एवं स्पष्टीकरण दिये गए हैं, उसके अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों के हमारे द्वारा किये गए परीक्षणों के आधार पर निम्न सारणी के अलावा कंपनी के स्वामित्व की अचल संपत्तियों के स्वामित्व अनुबंध कंपनी द्वारा धारण किये हुए हैः

विवरण	सकल खंड / नक्त खंड (रू. लाख में)	प्रकरणों की संख्या	टिप्पणियां
मुक्त धारणा भूमी	रु. २,६९२.००	४३	अ. सरकारी प्राधिकरणों द्वारा ३८ भूमि खंड अनुदान के रूप में प्राप्त हुए हैं। आ. निजी पक्षकारों से ५ भूमि खंड प्राप्त हुए हैं।

लीज पर ली गईं अचल संपत्तियों के बारे में लीज अनुबंध कंपनी के नाम पर हैं।

I. iकंपनी के पास इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए ऑर्डर के पैराग्राफ 3 (ii) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

I. उक्त कानून की धारा १८९ के तहत अनुरक्षित किये गये रजिस्टर में शामील कंपनियों, फर्मों, सीमित भागीदारीयों या अन्य पक्षियों को कंपनी द्वारा कोई भी सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं मंजूर किया गया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद ३ (iii) के उप-धारा (a), (b) तथा (c) के प्रावधान नहीं लागू होते।

ii. हमारी राय में और हमे दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जाँच किये गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार धारा १८५ और १८६ के तहत समावेशित पक्षकारों को कंपनी ने कोई भी ऋण का अग्रिम नहीं दिया है या कोई भी निवेश नहीं किया है या कोई भी गारंटी या सुरक्षा नहीं प्रदान की है। इसलिए आदेश के खंड (iv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते।

iii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तंपनी नें कोई भी सार्वजनिक जमा नहीं स्वीकार की है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए निर्देश एवं उक्त कानून की धाराएं ७३ से ७६ के प्रावधान या अन्य संबंधित प्रावधान तथा उसे तहत बनाए गए नियम लागू नहीं होते।

v. हमारी राय में और हमे दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार लागत अभिलेखों का अनुरक्षण कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षण) नियम, २०१४ के तहत उक्त कानून की धारा १४८ की उपधारा (i) के प्रावधान लागू नहीं होते।

vi. (अ) हमारी राय में और हमे दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा जाँच किये गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार निर्विवाद वैधानिक बकाया जिसमें प्रॉविडंट फंड, कर्मचारी राज्य बिमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर तथा उचित प्राधिकरणों के अन्य वैधानिक बकाया आदि जहां पर लागू हों वहां जमा करने में कंपनी नें सामान्यथः नियमितता बरती है तथा ३१ मार्च २०१९ में उनके देयता के दिन से छह महिनों से अधिक कालावधि में बकाया राशि निर्विवाद है।

(ब) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी नें विवादीत खातों पर आयकर, बिक्री कर, सेवा, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुक्ल, मुल्यवर्धित कर जमा नहीं किये हैं।

(क) ३१ मार्च २०१९ जो संपत्ति कर जमा नहीं किया गया उसके विवादीत खातों का विवरण निम्न प्रकार है:

संस्था का नाम	बकाया स्वरुप	राशि (रू.)	किस कालावधि से राशि संबंधित है	किस न्यायमंच पर विवाद विलंबित है	टिप्पणिया, अगर कोई हैं
मुंबई महानगर पालिका अधिनियम, १८८८	संपत्ति कर	९२०.२२ लाख	२०१५-१६ से २०१८-१९	सहायक मूल्यनिर्धारक तथा जिलाधिकारी (HE ward)	मांग को रद्द / माफ करने के लिए पत्र लिखा गया है

Vii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमे उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों एवं अभिलेखों के आधार पर भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से लिए गए अधीनस्त ऋण तथा जपान इंटरनैशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी (JICA) से प्राप्त ऋण जो कि शहर विकास मंत्रालय (MOUD) द्वारा 'सहायता द्वारा पारित' के तौर पर मुहय्या कराया गया है, इनका कोई बकाया नहीं है और इसलिए इसमें किसी भी चूक का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। JICA द्वारा लिए गए उपरोक्त उधार पर ब्याज का भुगतान नियत तारीख को किये जाने के बारे में स्पष्टता का अभाव होने के कारण हम उसपर विलंब या चूक के बारे में कोई भी भाष्य करने में असमर्थ हैं। कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान और बैंकों से कोई भी ऋण या उधार नहीं लिया है और कोई भी डिबेंचर्स जारी नहीं किये हैं।

viii) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (जिसमें ऋण विलेखों का समावेश है) मार्ग से कोई भी पैसा एकत्रित नहीं किया है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद ३(ix) के प्रावधान लागू नहीं होते।

ix. कंपनी के बहिखातों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण एवं प्रबंधन द्वारा किये गये प्रदर्शनों के अनुसार कंपनी द्वारा एक साल में कोई भी महत्वपूर्ण धोखाधडी की गई है, ऐसा नजर में नहीं आया है या उसकी कोई रिपोर्ट देखने में नहीं आई है।

x. कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण उसपर अधिसूचना जी.एस.आर. ४६३(E) ता. ५ जुन २०१५, उक्त कानून की धारा १९७ पठित अध्याय ५ के प्रावधान लागू नहीं होते। इसलिए आदेश के अनुच्छेद ३(xi) के प्रावधान लागू नहीं होते।

xi. हमारी राय में और हमे दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी एक निधी कंपनी नहीं है, जैसा कि उक्त कानून की धारा ४०६ में निर्धारित किया गया है। अतः आदेश के (xi) के तहत रिपोर्टिंग करना लागू नहीं होता।

xii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों का परीक्षण करने पर, कंपनी नें संबंधित पक्षकारों से किये हुए वित्तीय लेन-देन जहां पर उक्त कानून के धारा १७७ और १८८ के प्रावधान लागू होते हैं, उनका पालन करके किये हैं और भारतीय लेखा मानदंडों के लागू होने वाले प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार उनका विवरण वित्तीय निवेदनों में दिया गया है।

xiii. हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों का परीक्षण करने पर, साल के दौरान कंपनी ने अपने शेअर्स या पुर्णतः या अंशतः रुपांतरित डिबेंचर्स का आबंटन अधिमान्य या निजी नियुक्ति द्वारा नहीं किया है।

xiv. हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों का परीक्षण करने पर, कंपनी ने निर्देशकों या उनके संपर्क के व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर-नगदी के लेन-देन प्रवेशित नहीं किये हैं। अतः उक्त कानून की धारा १९२ के प्रावधान लागू नहीं होते।

xv. हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा ४५-आईए के तहत कंपनी का पंजिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश के (xvi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

कल्याणीवाला ऐण्ड मिस्त्री एल.एल.पी. के लिए
चार्टर्ड अकौन्टन्ट्स
फर्म पंजिकरण संख्या: १०४६०७W / W१००१६६

फरहाद एम. भेसानिया
भागीदार
सदस्यता संख्या: १२७३५५
UDIN: 19127355AAAACF1505
स्थान: मुंबई
तारीख: २१.०७.२०१९

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का परिशिष्ट ब

३१ मार्च २०१९ को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को हमारी 'स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट' में 'अन्य कानूनी और नियमक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के लिए परिशिष्ट के अनुच्छेद 2 को संदर्भित करें।

कानून की धारा १४३ (५) के तहत भारत के लेखानियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए निर्देशों एवं उप-निर्देशों पर की गई कार्रवाईयां और उसका कंपनी के वित्तीय पत्रों एवं लेखा पर हुए प्रभाव की रिपोर्ट:

अ निर्देश

I. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली द्वारा हिसाब के लेनदेन की सारी प्रक्रियाएं करने की व्यवस्था है? अगर है, तो आईटी प्रणाली से बाहर के हिसाब के लेनदेन व्यवहारों की प्रक्रिया के लेखा की अखंडता से निहितार्थ तथा वित्तीय निहितार्थों अगर है, तो उनका विवरण दें?

उत्तर:

कंपनी अपनी मुख्य लेखा प्रणाली के लिए Tally ERP-9 (Series 6.4.3) का उपयोग करती है और एकल अखंडता के लिए कोई आईटी प्रयोज्यता नहीं है। लेनदेन के व्यवहारों पर प्रक्रिया करने तथा उनपर मंजूरीयां लेने के उद्देश्य से उन्हे अधिकृत करके अभिलेखन करने के लिए विभिन्न एप्लिकेशन प्रणालीयों का उपयोग किया जाता है। इन एप्लिकेशन प्रणालीयों तथा Tally ERP के दरमियान मैनुअल इंटरफेस होता है।

मैनुअल इंटरफेस के जरिए विभिन्न आईटी एप्लिकेशन्स का उपयोग करके लेखा व्यवहारों की प्रक्रिया का निहितार्थ निकालने में एक एप्लिकेशन से दुसरे में डेटा का हस्तांतरण करने में त्रुटीयों का जोखीम रहता है, जिसके परिणाम स्वरुप वित्तीय पत्रों में गलय बयानी होती है। तथापि, इस जोखीम को कम करने के लिए प्रतिपूरक मैनुअल निवारक नियंत्रण है।

II. क्या वर्तमान कर्ज या कंपनी कर्ज चुकाने में अक्षम हो, तो कंपनी को ऋणदाता द्वारा कर्जों/ ब्याज से मुक्तता / राईट ऑफ के लिए उनकी पुनर्रचना करनी है? अगर है, तो उसके वित्तीय प्रभाव क्या हो सकते है यह बताएं।

उत्तर:

हमे दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण एवं कंपनी के अभिलेखों का परीक्षण करने के आधार पर पुनर्भुगतान के लिए कोई भी कर्ज देयता नहीं हैं। अतः पुनर्रचना / मुक्तता का प्रश्न नहीं उठता। किसी भी ऋण को राईट ऑफ नहीं किया है।

तथा शहरी विकास मंत्रालय (MOUD) द्वारा 'सहायता के माध्यम से पास किए गए' जपान इंटरनैशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) से लिए गए उधार के ब्याज की अदायगी की नियत तारीख पर किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं होने पर हम इस बारे में किसी भी विलंब या व्यतिक्रम पर भाष्य नहीं कर सकते. लेकिन ३१ मार्च २०१९ को भुगतान किये जानेवाले ब्याज का प्रावधान लेखा पुस्तकों में किया गया है।

III. क्या केन्दीय / राज्य की एजन्सियों की ओर से किसी विशेष परियोजना पर प्राप्त हुए / प्राप्त होनेवाले निधीयों को उनके नियम तथा शर्तों के अनुसार लेखांकित किया गया / उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

उत्तर:

हमे दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण एवं कंपनी के अभिलेखों का परीक्षण करने के आधार पर मुंबई मेट्रो लाईन - ३ (कुलाबा-बांद्रा-सिप्झ) की एक ही परियोजना (योजना) है। सभी ऋणदाता / निवेश एजन्सियों से प्राप्त निधीयों को उक्त परियोजना में लगाया गया है और हमें इसमें कोई भी विचलन नजर नहीं आया।

कल्याणीवाला ऐण्ड मिस्त्री एल.एल.पी. के लिए
चार्टर्ड अकौन्टन्ट्स
फर्म पंजिकरण संख्या: १०४६०७W / W१००१६६

फरहाद एम. भेसानिया
भागीदार
सदस्यता संख्या: १२७३५५
UDIN:19127355AAAACF1505
स्थान: मुंबई
तारीख: २१.०७.२०१९

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का परिशिष्ट क

३१ मार्च २०१९ को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को हमारी 'स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट' में 'अन्य कानूनी और नियमक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के लिए परिशिष्ट के अनुच्छेद 2 को संदर्भित करें।

कंपनीयों का अधिनियम २०१३ ("उक्त कानून") की धारा १४३ की उप-धारा ३ के अनुच्छेद (i) के तहत वित्तीय पत्रों में संदर्भित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमनें **मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** ("कंपनी") के ३१ मार्च २०१९ तक के वित्तीय पत्रों में संदर्भित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का उसी दिन समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित किये हुए वित्तीय पत्रों के संयोग से लेखापरीक्षण किया है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आन्तरिक नियंत्रण के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर दिशानिर्देश नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया है ("मार्गदर्शक नोट") जिन्हें भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी किया गया। अधिनियम के तहत आवश्यकताओं के अनुसार इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है, जो कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से चल रहे थे। सटीकता और लेखा रिकॉर्ड की पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी आदी बातों का समावेश है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर वित्तीय पत्रों में संदर्भित कंपनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमार मत अभिव्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने ICAI द्वारा जारी किये हुए मार्गदर्शन नोट तथा लेखापरीक्षण के मानकों तथा कानून की धारा १४३(१०) में दिये गए माने गए निर्धारणों के अनुसार लेखापरीक्षण किया है जो आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाओं तक लागू होते हैं तथा दोनों को ICAI द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की यह आवश्यकता है कि, हम लेखापरीक्षण में नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें कि, क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया और बनाए रखा गया था और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

वित्तीय पत्रों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का लेखापरीक्षित सबूत लेना और उनके कार्यकारी प्रभाव को देखना यह बात हमारे लेखापरीक्षण के प्रदर्शन की प्रक्रियाओं में शामिल हैं। वित्तीय पत्रों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, महत्वपूर्ण कमजोरीयों की जोखीम का मूल्यांकन करना और आंकी गई जोखीम के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रभावशाली रचना और कार्यचालन करना आदि चीजों का हमारे लेखापरीक्षण में समावेश है। लेखापरीक्षक के निर्णय जिसमें वित्तीय पत्रों में महत्वपूर्ण गलय बयानी में जोखीम का मूल्यांकन जो कि धोखाधडी या त्रुटी से उत्पन्न हुआ हो आदि चीजों के कार्यपद्धति का चुनना निर्भर होता है।

हम विश्वास करते हैं कि, हमने जो लेखापरीक्षण के साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय पत्रों के संदर्भ में कंपनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षण के मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग के साथ आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय पत्रों के संदर्भ में एक कंपनी का आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय पत्रों के बाहरी उद्देश्यों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए सुरचित की गई प्रक्रिया है। वित्तीय पत्रों के संदर्भ के साथ कंपनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्न नीतियाँ और कार्यपद्धतीयों का समावेश हैं; (१) अभिलेखों के अनुरक्षण, जो कंपनी की संपत्ति के साथ हुए लेनदेन के व्यवहार तथा निपटान का सही रूप उचित विवरण से प्रतिबिंबित करते हैं; (२) सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय पत्रों को तैयार करने के लिए ऐसे अभिलिखित लेनदेन के व्यवहारों की उचित सुनिश्चतता देना और कंपनी की सारी रसिदें तथा व्यय केवल प्रबंधन और कंपनी के निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार करना; (३) वित्तीय पत्रों को महत्वरूर्ण रिती से प्रभावित कर सकनेवाली कंपनी की संपत्ति का अनधिकृत संपादन, उपयोग या निपटान की समय पर खोज और प्रतिबंध की जानकारी उचित आश्वासन के साथ देना।

वित्तीय रिपोर्टींग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक मर्यादाएं

वित्तीय पत्रों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक मर्यादाओं के कारण, जिनमें नियंत्रणों के ऊपर प्रबंधन की साँठ-गाँठ या असंगति की संभावना, त्रुटी या जालसाजी की वजह से होनेवाली महत्वपूर्ण गलत बयानी, जिन्हें खोजा नहीं जा सकता, आदि बातों का समावेश होता है। साथ ही वित्तीय पत्रों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का प्रक्षेपण आनेवाले काल के लिए जोखीम के अधिन होता है, जैसे कि, वित्तीय रिपोर्टींग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण नीतियों की शर्तों में बदलाव या उनके पालन या कार्यपद्धती में हुए बिगाड आदि।

अभिमत

हमारे मत में कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में वित्तीय पत्रों के संदर्भ में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी "आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के वित्तीय ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट" में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के आधार पर वित्तीय पत्रों के संदर्भ में ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण ३१ मार्च २०१९ से प्रभावी ढंग से कार्यरत थे।

कल्याणीवाला ऐण्ड मिस्त्री एल.एल.पी. के लिए
चार्टर्ड अकौन्टन्ट्स
फर्म पंजिकरण संख्या:१०४६०७W / W१००१६६

फरहाद एम. भेसानिया
भागीदार
सदस्यता संख्या: १२७३५५
UDIN:19127355AAAACF1505
स्थान: मुंबई
तारीख: २१.०७.२०१९

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
३१ मार्च, २०१९तक बैलन्स शीट

(रु. लाख में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 (पुनर्निवेदित*)	1 अप्रैल, 2017 तक (पुनर्निवेदित*)
A. संपत्ति				
1 गैर-वर्तमान संपत्तियां				
a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2(a)	44,719.06	7,303.30	1,346.80
b) प्रगतिपथ पर पूंजीगत कार्य	3(a)	721,069.01	311,809.89	71,793.35
c) अन्य अमूर्त संपत्तियां	2(b)	1,115.65	1,717.54	2,236.27
d) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	3(b)	281.90	240.99	217.07
e) वित्तीय संपत्ति				
ऋण	4	627.30	558.98	81.60
f) आयकर संपत्ति (शुद्ध)	19 (g)	1,087.05	315.40	788.22
g) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	19 (f)	169.85	88.95	27.22
h) अन्य गैर-वर्तमान संपत्ति	5	203,765.98	166,091.74	93,599.56
कुल गैर-वर्तमान संपत्ति		**972,835.80**	**488,126.79**	**170,090.09**
2 वर्तमान संपत्तियां				
a) वित्तीय संपत्तियां				
(i) नकद और नकद समतुल्य	6A	88,500.16	74,956.54	49,823.38
(ii) उपरोक्त (i) से बैंक शेष	6B	402.45	-	-
(iii) कर्ज	4	155.98	30.60	1.36
(iv) अन्य	7	10,586.74	486.34	72.21
b) अन्य वर्तमान संपत्तियां	5	1,217.19	282.78	267.78
कुल वर्तमान संपत्तियां		**100,862.52**	**75,756.26**	**50,164.73**
कुल संपत्तियां		**1,073,698.32**	**563,883.05**	**220,254.82**
B. इक्विटी तथा दायित्व				
इक्विटी				
a) इक्विटी शेअर पूंजी	8	231,520.00	131,520.00	51,520.00
b) अन्य इक्विटी	9	(1,009.58)	(1,433.98)	19,822.51
कुल इक्विची		**230,510.42**	**130,086.02**	**71,342.51**
दायित्व				
1 गैर-वर्तमान दायित्व				
a) वित्तीय दायित्व				
उधारी	10	639,118.94	355,132.16	85418.81
b) प्रावधान	13	224.78	237.48	-
c) अन्य गैर वर्तमान दायित्व	11	112,893.36	28,454.44	12093.12
कुल गैर-वर्तमान दायित्व		**752,237.08**	**383,824.08**	**97,511.93**
2 वर्तमान दायित्व				
a) वित्तीय दायित्व				
अन्य वित्तीय दायित्व	12	81,737.58	48,041.16	45,912.78
b) अन्य वर्तमान दायित्व	11	9,053.12	1,806.83	4,870.10
c) प्रावधान	13	160.12	85.14	93.54
d) वर्तमान कर दायित्व (शुद्ध)		-	39.82	523.96
कुल वर्तमान दायित्व		**90,950.82**	**49,972.95**	**51,400.38**
कुल दायित्व		**843,187.90**	**433,797.03**	**148,912.31**
कुल इक्विटी और दायित्व		**1,073,698.32**	**563,883.05**	**220,254.82**

*** यहां दिखाई गई कुछ रकम पिछले वित्तीय विवरणों के अनुरूप नहीं है और किए गए समायोजन को दर्शाती है, नोट्स 29 और 30 को देखें**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 1

साथ में दी गई नोट्स 1 से 31 प्रसिद्ध किये गए वित्तीय विवरणों का आंतरिक भाग हैं।

सम तारीख के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कल्याणीवाला ऍण्ड मित्री एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकौन्टन्ट्स
फर्म पंजिकरण नंबर 10460W/W100166

बैलेंस शीट और वित्तीय पत्रों के नोट्स पर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षर किये गए
CIN:U60100MH2008SGC181770

हस्ता /-
फरहाद एम. भेसानिया
पार्टनर
सदस्यता नंबर 127355

हस्ता /-
अश्विनी भिडे
प्रबंधकीय निदेशक
DIN: 0002861008

हस्ता /-
अबोध खंडेलवाल
निदेशक (वित्त)
DIN:0007807394

हस्ता /-
रितु देब
कंपनी सेक्रेटरी
सदस्यता नंबर: F6754

स्थान:मुंबई
तारीख:21 july 2019

स्थान:मुंबई
तारीख:21 July 2019

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च, २०१९ को समाप्त वर्ष तक लाभ और हानि का विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च , 2018 समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन से राजस्व		-	-
अन्य आय	14	3,568.01	2,217.05
कुल आय		**3,568.01**	**2,217.05**
व्यय			
कर्मचारी लाभ व्यय	15	976.41	1,040.78
वित्तीय लागत	16	432.15	193.30
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	2	410.73	94.21
अन्य व्यय	17	1,373.77	1,172.27
कुल व्यय		**3,193.06**	**2,500.56**
वर्ष के लिए कर से पूर्व लाभ / (हानि)		**374.95**	**(283.51)**
कर व्यय			
वर्तमान कर	19 (a)	56.46	1,067.09
आस्थगित कर		(88.18)	(56.27)
पूर्व वर्ष के लिए कर समायोजन		-	(51.14)
कुल कर व्यय		**(31.72)**	**959.68**
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		**406.67**	**(1,243.19)**
अन्य व्यापक आय			
लाभ और हानि में पुनर्वगीकृत नहीं की जानेवाले विषय			
i) परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनःपूर्ति		25.01	(18.77)
ii) ऊपर दिए गए विषय नंबर (i) से संबंधित आयकर		(7.28)	5.47
अन्य व्यापक आय/(हानि) (शुद्ध कर)		**17.73**	**(13.30)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय / (हानि)		**424.40**	**(1,256.49)**
प्रति शेअर अर्जन - दर्शनी मूल्य रु.100 प्रति शेअर	18		
(1) मूल (in Rs.)		0.27	(1.40)
(2) सौम्य (in Rs.)		0.27	(1.40)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1		

*** यहां दिखाई गई कुछ रकम पिछले वित्तीय विवरणों के अनुरूप नहीं है और किए गए समायोजन को दर्शाती है, नोट्स 29 और 30 को देखें।**

साथ में दी गई नोट्स 1 से 31 प्रसिद्ध किये गए वित्तीय विवरणों का आंतरिक भाग हैं।

सम तारीख के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कल्याणीवाला ऍण्ड मित्री एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकौन्टन्ट्स
फर्म पंजिकरण नंबर 10460W/W100166

बैलेंस शीट और वित्तीय पत्रों के नोट्स पर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षर किये गए
CIN:U60100MH2008SGC181770

हस्ता /-
फरहाद एम. भेसानिया
पार्टनर
सदस्यता नंबर 127355

स्थान:मुंबई
तारीख:21 july 2019

हस्ता /-
अश्विनी भिडे
प्रबंधकीय निदेशक
DIN: 0002861008

हस्ता /-
अबोध खंडेलवाल
निदेशक (वित्त)
DIN:0007807394

हस्ता /-
रितु देब
कंपनी सेक्रेटरी
सदस्यता नंबर: F6754

स्थान:मुंबई
तारीख:21 july 2019

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च , २०१९ को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण

(रु लाख में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च , 2018 समाप्त वर्ष के लिए
A. परिचालन कार्यों से कैश फ्लो			
कर पूर्व लाभ / (हानि)		374.95	**(283.51)**
के लिए समायोजन :			
मूल्यह्रास और परिशोधित व्यय		410.73	94.21
वित्त लागत (वित्तीय साधनों में उचित मूल्य परिवर्तन और ब्याज बंद नेट) सहित		431.85	193.30
सुरक्षा जमाओं के उचित मूल्यांकन पर शुद्ध घाटा		72.52	15.00
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री पर नुकसान		0.12	0.07
ब्याज आय (वित्तीय साधनों में उचित मूल्य परिवर्तन सहित)		(1,680.50)	(1,509.29)
गैर-मौद्रिक सरकारी अनुदान		(1,879.82)	(703.64)
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्भुगतान हानि		3.86	(25.56)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		**(2,266.29)**	**(2,219.42)**
के लिए समायोजन:			
वित्तीय संपत्तियों में कमी / (वृद्धि)		(181.19)	(753.75)
गैर वित्तीय संपत्तियों में कमी / (वृद्धि)		(926.61)	(314.30)
वित्तीय दायित्व में वृद्धि / (कमी)		1,040.35	534.82
गैर वित्तीय दायित्वों में वृद्धि / (कमी)		4,501.08	(3,500.81)
प्रावधानों में वृद्धि (कमी)		62.28	229.08
संचालन से नकदी उत्पन्न हुई		**2,229.62**	**(6,024.38)**
आयकर का भुगतान (शुद्ध)		(867.94)	(1,027.27)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो	A	**1,361.68**	**(7,051.65)**
B. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद और प्रगतिपथ पर पूंजीगत कार्य		(463,798.60)	(320,184.52)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से आय		3.97	0.58
अन्य अमूर्त संपत्ति की खरीद		(28.83)	(90.50)
सावधि जमा में निवेश		(579,766.12)	-
सावधि जमा में निवेश (परिपक्व)		579,363.66	-
प्राप्त ब्याज		3,767.86	5,430.25
निवेश प्रक्रिया से शुद्ध कैश फ्लो	B	**(460,458.06)**	**(314,844.19)**
C. वित्तीय प्रक्रियाओं से कैश फ्लो			
संवितरण । (चुकौती) गैर-वर्तमान उधारों की		372,640.00	287,029.00
शेअर आबंटन से आय		100,000.00	80,000.00
शेअर आवेदन से प्राप्त आय		-	(20,000.00)
वित्तीय प्रक्रियाओं से शुद्ध कैश फ्लो	C	**472,640.00**	**347,029.00**
नकद और नकद समतुल्य पर शुद्ध वृद्धि	A+B+C	**13,543.62**	**25,133.16**
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	6A/6B	**74,956.54**	**49,823.38**
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नकद और नकद समतुल्य	6A/6B	**88,500.16**	**74,956.54**

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
३१ मार्च , २०१९ को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण

नोट्स:

1. नकद और नकद समतुल्य के घटक **(रु. लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
हाथ में नकद		
बैंकों में शेष	2,500.16	15,456.54
तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट	86,000.00	59,500.00
वर्ष की समाप्ति पर नकद और नकद समतुल्य	**88,500.16**	**74,956.54**

कैश और बैंक बैलेंस के विवरण को पुनः प्राप्त करना	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
उपरोक्त अनुसार वर्ष की समाप्ति पर नकद और नकद समतुल्य	88,500.16	74,956.54
बैलन्स शीट के अनुसार नकद और नकद समतुल्य	**88,500.16**	**74,956.54**

2. उपरोक्त कैश फ्लो विवरण इनडायरेक्ट मेथड 'के तहत तैयार किया गया है, जैसा कि कंपनी (लेखा) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित कैश फ्लो के स्टेटमेंट - 7 में AS-7 में स्थापित किया गया है।
3. नकदी प्रवाह के उपरोक्त विवरण को नोटों के साथ संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए।

सम तारीख के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कल्याणीवाला ऍण्ड मित्री एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकौन्टन्ट्स
फर्म पंजिकरण नंबर 10460W/W100166

हस्ता /-
फरहाद एम. भेसानिया
पार्टनर
सदस्यता नंबर 127355

स्थान:मुंबई
तारीख:21 july 2019

बैलेंस शीट और वित्तीय पत्रों के नोट्स पर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षर किये गए
CIN:U60100MH2008SGC181770

हस्ता /-
अश्विनी भिडे
प्रबंधकीय निदेशक
DIN: 0002861008

हस्ता /-
अबोध खंडेलवाल
निदेशक (वित्त)
DIN:0007807394

हस्ता /-
रितु देब
कंपनी सेक्रेटरी
सदस्यता नंबर: F6754

स्थान:मुंबई
तारीख:21 july 2019

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव का पत्र

A. इक्विची शेअर पूंजी (रू. लाख में)

विवरण	रकम
१ अप्रैल, २०१७ तक स्थिति	51,520.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेअर पूंजी में हुए बदलाव	80,000.00
३१ मार्च, २०१८ तक स्थिति	**131,520.00**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेअर पूंजी में हुए बदलाव	100,000.00
३१ मार्च, २०१९ तक स्थिति	**231,520.00**

B अन्य इक्विटी (रू. लाख में)

विवरण	शेअर आवेदन के एवज में प्राप्त रकम	भंडार और अधिशेष - प्रतिधारित उपार्जन	कुल अन्य इक्विटी
१ अप्रैल, २०१७ तक स्थिति (पुनर्निवेदित)*	**20,000.00**	**(177.49)**	**19,822.51**
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	**-**	**(1,243.19)**	**(1,243.19)**
अन्य व्यापक आय (करों का निवल)	**-**	**(13.30)**	**(13.30)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**(1,256.49)**	**(1,256.49)**
इक्विटी शेअरों के ताजा विषय	**(20,000.00)**	**-**	**(20,000.00)**
३१ मार्च, २०१८ तक स्थिति (पुनर्निवेदित)*	**-**	**(1,433.98)**	**(1,433.98)**
वर्ष के लिए लाभ	-	406.67	406.67
अन्य व्यापक आय (करों का निवल)	-	17.73	17.73
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**424.40**	**424.40**
इक्विटी शेअरों के विषय	-	-	-
३१ मार्च, २०१९ तक स्थिति	**-**	**(1,009.58)**	**(1,009.58)**

*** यहां पर दिखाई गई कुछ राशियां पिछले वित्तीय पत्रों से अनुरूप नहीं है और किया गया समायोजन प्रतिबिबित करती हैं, नोट २९ र ३० का सदर्भ लीजिए।**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां नोट 1

साथ में दिये हुए नोट १-३१ वित्तीय पत्रों का आंतरिक भाग हैं।

सम तारीख के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कल्याणीवाला ऍण्ड मित्री एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकौन्टन्ट्स
फर्म पंजिकरण नंबर 10460W/W100166

बैलेंस शीट और वित्तीय पत्रों के नोट्स पर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षर किये गए
CIN:U60100MH2008SGC181770

हस्ता /-
फरहाद एम. भेसानिया
पार्टनर
सदस्यता नंबर 127355

स्थान:मुंबई
तारीख:21 july 2019

हस्ता /-
अश्विनी भिडे
प्रबंधकीय निदेशक
DIN: 0002861008

हस्ता /-
अबोध खंडेलवाल
निदेशक (वित्त)
DIN:0007807394

हस्ता /-
रितु देब
कंपनी सेक्रेटरी
सदस्यता नंबर: F6754

स्थान:मुंबई
तारीख:21 july 2019

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वित्तीय पत्रों की अंगभूत टिप्पणियां

कॉर्पोरेट जानकारी

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड ('कंपनी' या 'एमएमआरसीएल') का CIN: U60100MH2008SGC181770 है, उसका गठन भारत में लागू कंपनीयों का अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया। कंपनी भारत सरकार ('GOI') और महाराष्ट्र सरकार ('GOM') का ५०:५० संयुक्त उद्यम है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में मुंबई उपनगरिय रेल प्रणाली से न जुडे हुए क्षेत्रों के लोगों को "रेल आधारित व्यापक शीघ्र पारगमन सुविधा" देकर जोडना और मेट्रो प्रणाली को ५०० मीटर्स से १ किमी के भीतर पहुँच में लाना है।

कंपनी का मुख्य कार्यालय मुंबई, भारत में है। उसका पंजिकृत कार्यालय एमएमआरसीएल ट्रान्जिट ऑफिस, ई-ब्लाक, सिटी पार्क की उत्तर दिशा, आयकर कार्यालय के पिछे, ए-विंग, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई ४०० ०५१ महाराष्ट्र यहां पर स्थित है।

इसके स्वतंत्र मंजल को संयुक्त उद्यम के साझेदारों समानता से मनोनित किया है, जिसमें गैर-कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्ण-कालिक प्रबंधन निदेशक हैं। कंपनी सरकार का एक विशेष उद्देश्य वाहन ('SPV') है और उसके अनुसार उसपर कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की धारा १३९ (५) और १३९ (७) के प्रावधान लागू होते हैं।

३१ मार्च २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय पत्रों को जारी करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा १२ जुलाई २०१९ को प्राधिकृत किया और मंजूरी दी गई है।

१. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

१.१ वित्तीय पत्र को तैयार करने के आधार

कंपनी के इन वित्तीय पत्रों को कंपनीयों का अधिनियम २०१३ ('कानून') की धारा १३३ पठित सुधारित कंपनीयों (भारतीय लेखा मानक) के नियम २०१५ के नियम ३ और कानून के संबंधित अन्य प्रावधानों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत किये हुए अन्य प्रावधानो एवं अन्य लेखा सिद्धांतो के अनुसार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किये गए भारतीय लेखा मानक ('Ind AS') के सारे सामग्री का पालन करते हुए तैयार किया है। और कंपनी द्वारा लगातार अंगीकृत की गई और लागू होनेवाली भारत के चार्टर्ड अकौन्टन्ट्स की संस्था (ICAI) द्वारा जारी की गई मार्गदर्शक टिप्पणीयां / घोषणाओं को ध्यान में रखा गया है। कंपनी ने प्रदर्शित अवधि के दौरान लेखा नीतियों को समान रूप से लागू किया है।

१.२ मापन के आधार

वित्तीय पत्रों को संचय पर ऐतिहासिक लागत प्रथा एवं चालू मामलों के आधार पर निम्न बातों को सिवाय बनाया गया है: (Ind AS के अनुसार उचित मूल्य मापन किये गए कुछ विशेष साधन और संपत्ति।)

- परियोजना की जमीन का मूल्यांकन करने के लिए अनुमतियों के मूल्य का नाममात्र मापन

- सरकार से अनुदान में प्राप्त जमीन के मूल्य का नाममात्र मापन।

१.३ आकलन एवं प्रबंधन निर्णय का उपयोग

Ind AS का अनुपालन करते हुए तैयार किये गए वित्तीय पत्र में प्रबंधन के लिए ऐसे निर्णय, आकलन और धारणाओं को बनाना जरूरी है जो कि राजस्व और व्यय, संपत्ति और दायित्व में दी गई राशियों को प्रभावित करती हों और रिपोर्टिंग की तारीख तक प्रासंगिक दायित्वों को प्रकट करती हों। वित्तीय पत्रों को तैयार करते समय किया गया आकलन विवेकपूर्ण और उचित है ऐसा प्रबंधन का विश्वास है। लेकिन इन धारणाओं की अनिश्चितता के ऐसे भी परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि अगली कालावधि के लिए लाई गई राशियों में महत्वपूर्ण समायोजन करने की जरूरत पडें।

रिपोर्टिंग की हर तारीख पर आकलन तथा अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा की जाती है। लेखा आकलन तथा धारणाओं में की गई किसी भी समीक्षाओं को भावी रूप में पहचाना गया है, जैसे कि, आकलन को समीक्षा कालावधि में की गई पहचान और आगे प्रभावित होने वाले कालावधि।

१.४ हाल की लेखा घोषणाएं

कंपनीयों के (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम २०१९ और कंपनीयों के (भारतीय लेखा मानक) द्वितीय संशोधन नियम के जरीए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("MCA") ने Ind AS में निम्न प्रकार से कुछ नए नियम और संशोधन अधिसूचित किये हैं, जो कंपनी नें लागू नहीं किये हुए हैं, क्योंकि वे १ अप्रैल २०१९ से प्रभावी हुए हैं:

Ind AS 116 – पट्टा धारक : Ins AS 116 पट्टा धारक के वर्तमान मानक Ind AS 17 को बदलेंगे। पट्टा धारक और पट्टा दाता दोनों के लिए Ind AS 116 में मान्यता, मापन, प्रदर्शन और प्रकटन के लिए कुछ सिद्धांत स्थापित किये हैं। इसमें पट्टा धारक के लिए नया एकल बैलेंस शीट पट्टा धारक लेखा मोडल दिया हुआ है। पट्टा धारक को अन्तर्निहित संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार प्रदर्शित किया गया है, पट्टे का दायित्व और पट्टे की अदायगी के दायित्व को दर्शाया गया है। इस मानक में पट्टा धारक के लिए बढाई हुई जरूरतों भी दिया गया है। Ins AS 116 में काफी हद तक पट्टा दाता की Ind AS 17 की लेखा जरूरतों को आगे लाया गया है। वित्तीय पत्रों पर संशोधन के प्रभावों को कंपनी नें अभी तक निश्चित नहीं किया है।

Ind AS 12 - आय कर (आयकर से संबंधित संशोधन, लाभांश के परिणाम और आयकर व्यवहारों पर अनिश्चितता)

लाभांश के आयकर परिणामों से संबंधित संशोधन स्पष्ट करता है कि एक इकाई लाभ या हानि, अन्य व्यापक आय या इक्विटी में लाभांश के आयकर परिणामों को पहचानती है जहां इकाई मूल रूप से उन पिछले लेनदेन या घटनाओं को मान्यता देती है। कंपनी को इस घोषणा से कोई प्रभाव होने की उम्मीद नहीं है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि संशोधन उन स्थितियों में संशोधन नहीं करता है जहां इकाई टैक्सों के लाभांश का भुगतान करती

है जो शेयरधारकों की ओर से कराधान अधिकारियों को भुगतान किए गए लाभांश का एक हिस्सा है। कराधान प्राधिकरणों को भुगतान या देय राशि, लाभांश के हिस्से के रूप में इक्विटी के रूप में Ind AS 12 के अनुसार वसूल की जाती है।

Ind AS 12 संशोधन की अपेंडिक्स C में दिया हुआ है कि, करपात्र लाभा (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियां, अप्रयुक्त कर जमा और कर दर पर तब संशोधन लागू किया जाएगा, जब Ind AS 12 में आयकर के व्यवहार बारे में कुछ अनिश्चितता हो। यह निम्न बातों को रेखांकित करता है: (१) इकाई को निर्णय का उपयोग करना है, यह निर्धारित करने के लिए कि प्रत्येक कर व्यवहार को अलग से माना जाना चाहिए या क्या कुछ को एक साथ माना जा सकता है। निर्णय उस दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए जो अनिश्चितता के समाधान की बेहतर भविष्यवाणियां प्रदान करता है (२) इकाई को यह मान लेना है कि कराधान प्राधिकरण को किसी भी राशि (३) इकाई की जांच करते समय सभी प्रासंगिक जानकारी का पूरा ज्ञान होगा। कर उपचार को स्वीकार करने और कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कराधान प्राधिकरण की संभावना संभावना पर निर्भर करेगी। कंपनी अपने वित्तीय पत्रों पर इस संशोधन के किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव की अपेक्षा नहीं करती है।

Ind AS 19 –योजना संशोधन, छंटाई या निपटान

संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि, अगर योजना संशोधन, छंटाई या निपटान हुआ, तो चालू सेवा खर्च और पुनः मापन कालावधि के बाद का शुद्ध ब्याज पुनः मापन में उपयोग की हुई धारणों के द्वारा निश्चित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही इन संशोधनों में योजना संशोधन, छंटाई या निपटान जो संपत्ति मर्यादा के संबंध में जरूरी हो उनके प्रभावों को भी स्पष्ट करता है। कंपनी अपने वित्तीय पत्रों पर इस संशोधन के किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव की अपेक्षा नहीं करती है।

Ind AS 23 –उधार की लागत

संशोधन यह स्पष्ट करता है कि यदि संबंधित परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने के बाद कोई विशिष्ट उधार लेना बकाया है, तो वह उधार उन फंडों का हिस्सा बन जाता है जो एक इकाई आम तौर पर सामान्य उधारों पर पूंजीकरण दर की गणना करते समय उधार लेती है।

1.5 वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण

Ind AS 1 की जरूरत के अनुसार कंपनी के "वित्तीय पत्रों के प्रदर्शन"में बैलेंस शीठ में वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर संपत्ति और दायित्व को दर्शाया गया है।

विलंबित कर संपत्ति और दायित्व का वर्गीकरण गैर-वर्तमान संपत्ति और दायित्व के तौर पर किया गया है।

सार्वजनिक बुनियादी परियोजना में कंपनी के वर्तमान निर्माण काम की सामान्य आवृत्ति परियोजना दर

परियोजना में बदल सकती है, जैसे कि परियोजना का आकार, विकास का प्रकार, परियोजना की जटिलताएं तथा संबंधित मंजूरियां आदि। सभी पूर्ण परियोजनांओं की कार्य आवृत्ति एवं वर्तमान व्यवहार बारा महिनों की कालावधि के आधार पर दिये गए हैं। संपत्ति और दायित्व का वर्गीकरण उनकी चालू आवृत्तियों के आधार पर वर्तमान और गैर-वर्तमान ऐसा किया गया है।

१.६ कार्यकारी और प्रदर्शन चलन

इन वित्तीय पत्रों को भारतीय चलन (₹) में दर्शाया गया है, जो कंपनी का कार्यकारी चलन है और मूल्यों को जहाँ विशेषथ- से निर्देशित नहीं किया हों, वहां नजदिकी 'लाख' में पूर्ण किया गया है।

१.७ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण -

मान्यता और प्रारंभिक मापन

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE) को संपादन/निर्माण लागत कमतर संचित मूल्यह्रास / परिशोधन और हानि में दिया गया है। लागत में खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को उनके वर्तमान स्थान पर लाने और इसके उपयोग के लिए काम करने की स्थिति में जिम्मेदार / आवंटन लागत शामिल है। लागत में प्रत्यक्ष और अनंत संबंधित प्रासंगित खर्च भी शामिल हैं। संपत्ति के परीक्षण के दौरान अगर कोई राजस्व कमाया है, तो उसे संपत्ति की लागत में समायोजित किया गया है। लागत में संयंत्र और उपकरण के बदले हुए भाग के खर्च भी शामिल हैं। PPE के संपादन / निर्माण / विकास से संबंधित उधार की लागत जो पर्याप्त समय में उद्देश्यित उपयोग को तैयार करने में लगी हो, वह अबतक की संपत्ति को उपयोग के उद्देश्य के लिए तैयार करने की लागत में शामिल है।

  स्पेअर पार्ट्स, स्टैण्ड बाई उपकरण और सेवा उपकरण को उनकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण परिभाषा से संतुष्टि होने पर मान्य किया गया है। अन्य सभी मरम्मत और देखभाल की लागत को लाभ और हानि पत्र में व्यय के तौर पर दिखाया है।

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जो बैलेंस शीट बनाने के दिन तक उद्द्येशित उपयोग के लिए तैयार नहीं हुए हैं, उन्हें 'प्रगतीपथ के पूंजि कार्य' में दिखाया गया है।

- महाराष्ट्र सरकार से कायम उपयोग के लिए प्राप्त हुई विनामूल्य जमीन का नाममात्र मूल्य में मापन किया गया है।

- जमीन का संपान और कब्जा लेने की प्रक्रिया पुरी करने के बाद उसको पूंजीकृत किया गया है।

अनुवर्ती मापन (मूल्यह्रास और उपयोगी जीवन)

- मूल्यह्रास को सीधि रेखा पद्धती से दिया गया है, जिससे की उनकी लागत, उनका शुद्ध अवशिष्ट मूल्य उपयोगी जीन पर उनका आकलन आदि कंपनीयों का अधिनियम २०१३ की भाग C में दिए हुए निर्धारणों के अनुसार है, लेकिन कार्यालय इमारत में उपयोगी जीवन का काल पांच साल के तौर पर आंका गया है जो तांत्रिक और प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर किया है।

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास की पद्धती का प्रत्येक वित्तीय वर्श की समाप्ति पर समीक्षण किया गया है और उसे उचित लगने पर प्रत्याशित प्रभाव से समायोजित किया गया है।

- कालावधि और उपयोग की अन्य शर्तों के आधार पर पट्टाधारी जमीन के सुधारों को परिशोधित किया गया है।

- जिन संपत्तियों की लागत स्वतंत्र रूप रू.५०००/- या उससे कम हो उन्हें खरीदे के वर्ष में संपूर्ण मूल्यह्रासित / परिशोधित किया गया है।

- मूल्यह्रास की गणना प्रो-रेटा आधार पर की गई है।

- अलग उपयोगी जीवन के महत्वपूर्ण घटकों का हिसाब अलग से किया गया है और उसके अनुसार उनका मूल्यह्रास निकाला गया है।

गैर-मान्यता

- सेवानिवृत्ति या संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान पर हुए लाभ या हानि को लाभ और हानि पत्र में मान्य किया गया है।

१.८ अमूर्त संपत्ति

मान्यता और प्रारंभिक मापन

- अलग रूप से संपादित अमूर्त संपत्तियों की प्रारंभिक लागत का मापन किया गया है। उसके बाद किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि से अमूर्त संपत्तियों की लागत को आगे लाया गया।

- लागत में अधिग्रहण मूल्य, विकास लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए अपनी कार्यशील स्थिति में परिसंपत्ति लाने की कोई भी जिम्मेदार / आवंटन योग्य लागत शामिल है।

- सरकार / अन्य एजन्सियों से विनामूल्य प्राप्त जमीन के अस्थाई उपयोग की अनुमति का अमूर्त संपत्ति - अनुमतियां में लेखांकित किया गया है। इन अधिकारों की नाममात्र मूल्य में गणना की गई है।

- इसके बाद के व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब यह संभावना है कि भविष्य में व्यय से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे।

- विकास के तहत संपत्ति पर होने वाली लागत का खुलासा विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के तहत किया गया है और तब तक मूल्यह्रास नहीं किया गया जब तक संपत्ति उपयोग करने के लिए तैयार नहीं हुई है।

अनुवर्ती मापन (परिशोधन)

सभी अमूर्त संपत्तियां जो निश्चित उपयोगी जीवन की हैं उनके उपयोगी जीवन का आकलन परिशोधन की सीधि रेखा के आधार पर किया गया है। अमूर्त संपत्तियों में संबंधित हार्डवेअर का आन्तरिक भाग न होनेवाला

सॉफ्टवेअर शामिल है, जिसका परिशोधन पांच वर्षों के लिए या उससे कम उपयोग के कानूनी अधिकार के परिशोधन पर सीधि रेखा पद्धती से किया गया है।

अमूर्त संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन तथा परिशोधन पद्धति का समीक्षण हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किया गया है और उचित लगने पर उन्हे प्रत्याशित प्रभाव से समायोजित किया गया है।

१.९ प्रगतिपथ में पूंजीगत कार्य

प्रगतिपथ पर पूंजीगत कार्य को कम लागत की हानि में दिया गया है। निर्माण कार्य से संबंधित सभी प्रत्यक्ष और फलस्वरुप अप्रत्यक्ष व्यय (जिसमें निर्माण या PPE संपादन पात्रका के लिए गए उधार निधी से संबंधित वित्तीय लागत भी शामिल है), जो कंपनी की परियोजना के कार्यान्वयन करने के समय लगी है, उन सभी का समावेश है। जबतक परियोजना की फेज को परिभाषित नहीं किया जाता, तबतक इन खर्चों को प्रगतिपथ पर पूंजीगत कार्य (CWIP) के रूप में व्यवहारित किया जाएगा और परियोजना पुरी होने पर उन्हें पहचान योग्य PPE में हस्तांतरण / वितरण किया जाएगा। इन पूंजीगत परियोजना को पूंजीकरण होने से पूर्वी कोई भी अर्जित राजस्व प्रगतिपथ पर पूंजीगत कार्य के मूल्य में समायोजित किया जाएगा।

अवसायन नुकसान का हिसाब बिल के अंतिम समायोजन में किया गया है।

निर्माण के दौरान ब्याज का आवंटन

निर्माण अवधि (IDC) के वर्ष के दौरान कमीशन की गई अर्हक संपत्ति के संबंध में ब्याज, उस अनुपात में आवंटित किया जाता है, जिसमें कमीशन परिसंपत्तियों का मूल्य कमीशन के महीने के अंत में योग्यता पूंजी कार्य प्रगति में आता है। अन्य मामलों में, आईडीसी को पूंजीकरण की तारीख के आधार पर आवंटित किया जाता है।

१.१० गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि

हर बैलेंस शीट के दिन में संपत्तियों की आगे ली गई राशियों का समीक्षण आंतरिक / बाहरी घटकों की हानियों के निर्देशों के आधार पर किया गया है। ऐसे मूल्यांकनों पर हुए हानियों को वसुली का राशि से अधिका होनेवाली संपत्ति की आगे ली गई ऱाशियों पर मान्य किया गया है। संपत्ति की वसुलीयोग्य राशि शुद्ध विक्रय किमत या उपयोग की राशि में जो ज्यादा है वह राशि है। उपयोग की राशि का मूल्यांकन करते समय आकलन किया गया भविष्य का कैश फ्लो वर्तमान मूल्य में पूंजी की औसत लागत के भार का उपयोग करके उसमें छूंट दी गई है।

निश्चित उपयोगी जीवन की अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन उपयोगी जीवन के आधार पर किया गया है।

पहले मान्य की हुई हानि को आगे दिया गया है या परिस्थितियों में हुए बदलाव के अनुसार उन्हें प्रतिलोम किया गया है और तबतक वहन करनेवाली राशि तक सीमित रखा गया है, जबतक कोई पहले से मान्यका की गई हानि की राशि को निश्चित न किया जाए। ख्यातिमूल्य की हानि के प्रतिलोम की मान्यता नहीं की गई है।

१.११ विदेशी मुद्रा

प्रारंभिक मान्यता

विदेशी मुद्रा के वित्तीय व्यवहारों को उनकी राशि को कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रूपए) में विनिमय दर से रूपांतरण करके तथा उस दिन तक विदेशी मुद्रा के व्यवहारों को भारतीय रूपए में अभिलेखित किया गया है तथा

रूपांतरण

रिपोर्टिंग के दिन तक विदेशी मुद्रा के भारतीय रूपयों में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा के सारे वित्तीय विषयों के साल के बकाया का भारतीय मुद्रा में रूपांतरण किया गया है। गैर-वित्तीय विषयों का विनिमय दर उनके व्यवहार के दिन के दर पर रिपोर्ट किया गया है तथा गैर-वित्तीय विषय जो उचित मूल्य रखते हों या अन्य विदेशी मुद्रा के समान मूल्यांकन रखते हों, उन्हें उनके मूल्य निश्चित करने के बाद वर्तमान विनियम दर से रिपोर्ट किया गया है।

विनिमय अंतर

रूपांतरण एवं व्यवहारों के समायोजन पर उभरे हुए विनिमय के अंतर को संपत्तियों के उद्देशित हेतू तक तैयार होने पर पूंजीकृत किया गया है और उसके बाद उन्हें लाभ और हानि पत्र में मान्यता दी गई है।

१.१२ राजस्व मान्यता

१ अप्रैल २०१८ से प्रभावि, कंपनी ने कब और कितना राजस्व मान्य किया जाएगा, इसको निश्चित करने की सर्वसमावेशी चौखट स्थापित करने के लिए Ind AS 115 के अनुसार आवेदन किया है। Ind AS 18 का राजस्व एवं Ind AS 11 निर्माण कान्ट्रैक्ट्स Ind AS 115 द्वारा बदले गये हैं। कंपनी के वित्तीय पत्रों पर मानकों की अंगीकारिता के प्रभाव नगण्य हैं, क्योंकि वर्तमान में कंपनी निर्मिती प्रक्रिया से गुजर रही है और उसके संचालन तथा रखरखाव (O & M) अभी शुरू नहीं हुए हैं।

ग्राहकों से किए हुए अनुबंधो से मिलनेवाला राजस्व उन्हे प्रतिज्ञा किये हुए सामान या सेवा की राशि सेवा के हस्तांतरण के नियंत्रण से मान्य किया गया है, जो कि इन सामान या राशि के विनिमय पर कंपनी को अपेक्षित आधिकारिक मुआवजे की राशि प्रतिबिंबित करता है। यह परिवर्तनीय मुआवजा आऊटफ्लो के अपेक्षित मूल्य के आधार पर आंका गया है। किसी प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि के लिए राजस्व को उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित लेनदेन व्यवहार मूल्य (शुद्ध परिवर्तनीय मुआवजा) की मात्रा पर मापा जाता है।

अन्य गैर-संचालित आय

अन्य गैर-संचालित आय को प्राप्ति के आधार पर रिपोर्ट किया गया है। (जैसे कि, स्क्रैप और टेंडर फीज आदि।)

ब्याज की आय

कंपनी की परियोजना में अव्ययित निधी से किये गए निवेश द्वारा मिलनेवाले ब्याज की आय (सहायता माध्यम द्वार दिए हुए के अलावा (PTA) - JICA कर्ज) को प्रभावी ब्याद दर (EIR) पद्धति से होनेवाले उपार्जन से मान्य किया गया है। लाभ और हानि पत्र में अन्य आय में वित्तीय आय को शामिल किया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्व और व्यय के जिन विषयों पर खर्च किया गया, वह खर्च पूंजीगत संपत्ति के निर्माण से सीधा संबंधित नहीं है, उसे लाभ और हानि पत्र में राजस्व व्यय दिखाया गया है।

१.१३ उधार की लागत

पात्र होनेवाली संपत्ति के संपादन, निर्माण या उत्पादन से सीधे तौर पर संबंधित उधार की लागत को उनके पुरा होने के लिए और संपत्ति को उद्देशित उपयोग या विक्रय के लिए लगनेवाले जरूरी समय में पूंजीकृत किया गया है।

पात्र होनेवाली संपत्तियां वह होती हैं, जो उनके उद्देशित उपयोग या विक्रय के लिए पुरी तरह तैयार होने में महत्वपूर्ण समल लेती हों। विशेष उधार पर किये गए अस्थाई निवेश से प्राप्त निवेशी आय पात्र होनेवाली संपत्तियों पर किये गए व्यय की उधार लागत से घटाई जाती है, जो पूंजीकरण के लिए पात्र होती हैं। इस कालावधि में हुई अन्य उधार की लागत को खर्च किया जाता है।

१.१४ सेवायोजन-पश्चात लाभ

निर्धारित योगदान योजना

प्रॉविडंट फंड और पेन्शन फंड के रूप में किये गए योगदान में निवृत्ति के लाभ लाभ और हानि पत्रक में दिये गए हैं।

निर्धारित लाभ योजना

ग्रॅच्युईटी निर्धारित लाभ योजना का स्वरूप है।

ग्रॅच्युईटी के प्रावधान के लिए रिपोर्टिंग की तारीख बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर गणना की गई है और उसे लाभ एवं हानि पत्र में दिया गया है। बीमंकित मूल्यांकन की प्रक्षेपित इकाई जमा पद्धति का उपयोग करके गिनती की गई है।

पुन: मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि, परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव, शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर और योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर) , बैलेंस शीट में तुरंत संबंधित डेबिट या क्रेडिट के साथ अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उस अवधि में मान्यता प्राप्त है, जिसमें वे होते हैं। बाद की अवधि में लाभ या हानि के लिए पुन: माप को पुनर्वर्गीकृत नहीं किया गया है।

कर्मचारी के अन्य लाभ - अर्जित छुट्टी

छुट्टी के भुगतान को लाभ और हानि पत्र में खर्च की मान्यता दी है। प्रक्षेपित इकाई की क्रेडिट पद्धती बैलेंस शीट की दिन तक आगे लाये गए बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके कंपनी का दायित्व निश्चित किया गया है। पुनः मापन में हुए लाभ और हानि की अन्य सर्वसमावेशी आय निवेदन में मान्यती की गई है।

प्रतिनियुक्ति पर सेवायोजन-पश्चात लाभ

अन्य GoI/GoM/PSUs से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों के सेवायोजन-पश्चात के लाभ उन्हें उनके संबंधित पालक संघटन / नियोक्ता द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार भुगतान किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऐसे देय लाभ के लिए आवश्यक प्रावधान आकलन करके दिए जाएंगे।

१.१५ आयकर

वर्तमान आयकर

रिपोर्टिंग के दिन तक प्रभावी कर के दर एवं कर के अधिनियमों का उपयोग करके कर प्राधिकरणों को भुगतान किये जानेवाली अपेक्षित रकम का वर्तमान आयकर के लिए मापन किया जाएगा।

लाभ और हानि पत्र के बाहर मान्यता किए गए वर्तमान आयकर संबंधि विषयों की अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता की गई है। वर्तमान कर विषयों की OCI या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में अन्तर्निहित व्यवहार के सहसंबंध के रूप में मान्यता की गई है।

जहां मान्यता प्राप्त राशियों को सेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और जहां यह या तो शुद्ध आधार पर बसने का इरादा रखता है, या परिसंपत्तियों का एहसास करने और एक साथ देयता का निपटान करना है, वहां कंपनी वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों को बंद कर देती है।

आस्थगित कर

कर आधारित संपत्तियां और दायित्व के बीच अस्थाई अंतर पर दायित्व पद्धति का उपयोग करके और रिपोर्टिंग के दिन तक उनके वहन राशि की वित्तीय रिपोर्टिंग करने के लिए आस्थगित कर निकाला जाता है।

आस्थगित आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरूद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर नुकसानों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि का समीक्षण प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में किया जाता है और इस हद तक कम कर दिया जाता है कि अब यह सम्भावना नहीं रह जाती है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या भाग का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध हो।

आस्थगित कर संपत्ति और दायित्व का पुनर्भुगता तब होता है जब वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित होते हैं और संबंधित इकाई अपनी मौजूदा कर संपत्तियां और दायित्वों को शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा रखती है।

लाभ और हानि पत्र के बाहर मान्य किए गए आस्थगित कर से संबंधित विषयों की लाभ और हानि पत्र के बाहर मान्यता की गई है। ऐसे आस्थगित कर विषयों को अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में अन्तर्निहित व्यवहार के सहसंबंधों के तौर पर मान्यता दी गई है।

संपत्तियां और दायित्व के आस्थगित कर का मापन वर्ष में प्राप्त या समायोजित होने के अपेक्षित अस्थाई अंतर पर ठोस अधिनियमित लागू होने वाले अपेक्षित कर दरों का उपयोग करके किया जाता है।

१.१६ पट्टे

व्यवस्था में उपस्थित (या शामिल) पट्टा उसकी शुरूआती व्यवस्था सत्व में दिया गया है या नहीं, इसका निर्धारण करना। व्यवस्था में उपस्थित या शामिल पट्ट अगर संपत्ति या संपत्तियों के विशिष्ट उपयोग की निर्भरता को पुरा करता है और व्यवस्था संपत्ति या संपत्तियों के उपयोग के अधिकारों का वहन करती है, जो कि व्यवस्था में विशेष रूप से उल्लेखित न किये गए हों।

जहां कंपनी पट्टा धारक है

पट्टे की व्यवस्था में जहां संपत्ति को ठोस रूप से स्वामित्व के लिए निहित किया गया है, उसके प्रासंगिक जोखीम और पुरस्कारों को संचालित पट्टे के तौर पर मान्यता दी गई है। संचालित पट्टे के भुगतानों को लाभ और हानि पत्र में सीधि रेखा पर आधारित पट्टा अवधि के खर्च से तब तक मान्यता दी गई है जब तक कि पट्टे के अन्य समयावधि पैटर्न को अन्य व्यवस्थित आधार पर प्रदर्शित नहीं करता।

पट्टे के डिपॉजिट्स वित्तीय संपत्ति है और उनका परिशोधित लागत में मापन किया गया है। डिपॉजिट के वर्तमान मूल्य और नाममात्र मूल्य के बीच का अंतर पूर्व-भुगतान भाडा माना गया है और उसे पट्टे के अवधि पर मान्यता दी गई है। खुली छुट को लाभ और हानि पत्र में वित्तीय आय के रूप में मान्यता दी गई है।

जहां कंपनी पट्टा दाता है

संचालित पट्टों में दी गई संपत्तियों में निवेशी संपत्तियों का समावेश है। पट्टे की आय को लाभ और हानि पत्र में सीधि रेखा के आधार पर पट्टा कालावधि पर तब तक मान्यता दी गई है जब तक कि पट्टे के अन्य समयावधि पैटर्न को अन्य व्यवस्थित आधार पर प्रदर्शित नहीं करता।

संचालित पट्टे पर बातचित और व्यवस्था करने के लिए आई प्रारंभिक सीधि लागत को पट्टे की संपत्ति में वहन राशि के तौर पर जोडा गया है और उसे पट्टे के अवधि के समान आधार पर किराये की आय के तौर पर मान्यता दी गई है।

पट्टे के डिपॉजिट्स वित्तीय अनुबंध (वित्तीय दायित्व) हैं और उन्हे प्रारंभी मान्यता पर उचित मूल्य में मापन करने की आवश्यकता है। डिपॉजिट्स के उचित मूल्य एवं नाममात्र मूल्य के बीच अंतर को एडवान्स किराया माना गया है और उसकी पट्टे की अवधि पर सीधि रेखा आधार से मान्यता की गई है।

१.१७(EPS) प्रति शेअर आय

प्रति शेअर मूल आय को वर्ष के शुद्ध लाभ / (हानि) को वर्ष में इक्विटी शेअरों के भारीत औसत संख्या द्वारा विभाजित करके इक्विटी शेअर धारकों के फलस्वरूप (प्रेफरेन्स लाभांश और फलस्वरुप करों को घटाकर) गणन किया जाता है।

प्रति शेअर की सौम्य आय की गणना करने के लिए इक्विटी शेअर धारकों को वर्ष के शुद्ध लाभ / (हानि) के फलस्वरुप और वर्ष के दौरान भारीत औसक संख्या के शेअरों का बकाया सभी संभावित इक्विटी शेअर्स के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

१.१८ नगद एवं नगद समतुल्य

बैलेंन्स शीट में दिए हुए नगद और नगद समतुल्य में बैंक और हाथ में रखी नगदी, माँग डिपॉजिट और लघु कालिक डिपॉजिट आते हैं जो मूल्य में बदलाव की नगण्य जोखीम के अधीन हैं।

Ind AS 7 के संशोधन में वित्तीय क्रियाकलाप, जिसमें कैश फ्लो से उभरे बदलाव तथा गैर-नगदी बदलाव (जैसे कि विदेशी मुद्रा मे वृद्धि या हानि) इन दोनों का समावेश है, उनके जरिए दायित्वों में हुए बदलाव का सत्व देना जरूरी है। कैश फ्लो पत्र में कंपनी ने वर्तमान और तुलनात्मक कालावधि इन दोनों के लिए जानकारी दी है।

१.१९ प्रावधान, प्रासंगिक दायित्व और प्रासंगिक संपत्तियां

प्रावधान तब मान्य होता है, जब:

- पिछली घटना के परिणाम स्वरुप जब कंपनी दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) प्रदर्शित करती है;
- दायित्व को समायोजित करने के लिए स्त्रोतों में अवतरीत वित्तीय लाभ को संभवतः बर्हिवाह करने की जरूरत होती है; और
- दायित्व की राशि का वास्तविक आकलन किया जा सके।
- यदि पैसों का समय मूल्य प्रभाव महत्वपूर्ण हो, तो जब दायित्व के विशेष जोखीम योग्य हो जाए, तब वर्तमान पूर्व - कर दर का उपयोग करके प्रावधान में छुंट दी जाती है। जब छुंट का उपयोग किया जाता है, तब समय के बीतने पर प्रावधान में वृद्धि की जाती है, जिसे वित्तीय लागत से मान्य किया गया है।
- संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के प्रावधान तब किए जाते हैं, जब इसके बकाए की अवधि के बावजूद बोध की अनिश्चितता होती है और असत्यता स्थापित होने पर लिखा जाता है। ----- संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के प्रावधान तब बनाए जाते हैं, जब उनके बकाये के कालावधि की निरपेक्षता से वास्तविकरण की अनिश्चितता हो और जब अवास्तविकता स्थापित हो, तब उन्हे रिटन ऑफ किया जाता है।

- प्रासंगिक दायित्व के लिए प्रकटन तब किया जाता है जब वहां संभावित दायित्व हो या वर्तमान दायित्व जिसमें स्त्रोतों के बहिर्वाह की आवश्यकता संभवतः जरूरी न हो। कुछ चरम मामलों में भी प्रासंगिक दायित्व उभरता है, जब संभावित दायित्व का वास्तविकता में मापन करना संभव न हो सके।

- जहां पर संभावित दायित्व है या संसाधनों के बहिर्वाह का संभावना दूर तक नहीं है, ऐसे वर्तमान दायित्वों के लिए कोई भी प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता।

- प्रबंधन / स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रासंगिक दायित्वों का प्रकटन किया जाता है। प्रासंगिक संपत्तियों की मान्यता नहीं होती, लेकिन उन्हें वित्तीय पत्रों में प्रकट किया जाता है।

  हर बैलेंन्स शीट की तारीख पर प्रासंगिक दायित्वों के प्रावधान और समीक्षण किये जाते हैं और वर्तमान आकलन / निर्णय में प्रतिबिंबित होने के लिए उनका समायोजन किया जाता है।

१.२० सहायता अनुदान

संपत्ति के सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के लिए सरकारी प्राधिकरणों से मिला अनुदान शुरू में "आस्थगित आय" के रूप में दिखाया गया है। इन्हें बाद में उन संपत्तियों पर मूल्यह्रास के अनुपात में प्रासंगिक संपत्ति के जीवन पर प्रत्येक वर्ष आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

जहां कंपनी को सरकारी प्राधिकरणों से गैर-मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है तो अनुदान और संपत्ति को नाममात्र मूल्यों पर दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित संपत्ति के लाभ के उपभोग के अपेक्षित उपयोगी जीवन और पैटर्न पर आय विवरण के लिए जारी किया जाता है।

सरकारी प्राधिकरणों से प्राप्त (उप ऋण) बाजार के ब्याज दर से निम्न दर के ब्याजमुक्त ऋण को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है जो प्रचलित बाजार ब्याज दरों के आधार पर ऋण के आय और उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में गिना जाता है।

१.२१ खंड की रिपोर्टिंग

कंपनी के पास सिर्फ एक रिपोर्टेबल संचालित खंड है, जो मुंबई में मेट्रो रेल प्रणाली का विकास कर रहा है। उसके अनुसार वित्तीय पत्रों में दर्शायी गई राशियां कंपनी के एकल व्यवसाय खंड से संबंधित हैं।

१.२२ वित्तीय अनुबंध

एक सत्व की वित्तीय संपत्ति तथा वित्तीय दायित्व या दुसरे सत्व की इक्विटी अनुबंध को वित्तीय अनुबंध उभारता है।

प्रभावी ब्याज दर (EIR) वह दर है जो भविष्य में मिलनेवाली नगदी के आकलन पर या वित्तीय अनुबंध के अपेक्षित जीवन के उपर भुगतान के लिए या लघु कालावधि के ले अचुकता से छूट दिया जाता है, जहां पर वित्तीय संपत्ति या दायित्व की वहन राशि उचित हो।

१.२३ वित्तीय संपत्तियां

प्रारंभिक मापन

वित्तीय संपत्तियों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी उपकरण के अनुबंध संबंधी प्रावधानों के लिए एक पक्षकार बन जाती है। वित्तीय संपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेन-देन के व्यवहार की लागत जो सीधे वित्तीय संपत्तियों के अधिग्रहण या जारी करने के लिए जिम्मेदार होती है (लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों के अलावा) वित्तीय संपत्ति की प्रारंभिक मान्यता पर मापा उचित मूल्य से जोड़ या घटा दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय संपत्तियों का अनुवर्ती वर्गीकरण और मापन निम्न प्रकार से किया जाता है

- प्रभावी ब्याज दर (EIR) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत
- अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य (FVOCI)
- लाभ और हानि द्वारा उचित मूल्य (FVTPL)

1. परिशोधित लागत पर वित्तीय संपत्तियां

प्रारंभिक मापन के बाद, इस तरह की वित्तीय संपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (EIR) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। EIR परिशोधन लाभ और हानि पत्र में अन्य आय में शामिल है। हानि से उत्पन्न होने वाले नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

2. अन्य व्यापक आय द्वारा वित्तीय संपत्तियों का उचित मूल्य (FVOCI)

गतिविधियों के उचित मूल्य अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्य किये गए हैं। ऋण अनुबंधों, पूर्व के OCI में मान्य किये हुए संचयी वृद्धि या हानि के गैर-मान्यता को लाभ और हानि पत्र में इक्विटी द्वारा पुनःवर्गीकृत किया गया है।

3. लाभ या हानि द्वारा वित्तीय संपत्तियों का उचित मूल्य (FVTPL)

कोई भी वित्तीय संपत्ति जो परिशोधित लागत या FVOCI के वर्गीकरण के मानदंडो से मेल नहीं खाती हों, उन्हें FVTPL में वर्गीकृत किया गया है। वृद्धि या हानि को लाभ और हानि पत्र में मान्यता दी गई है।

गैर-मान्यता

जब वित्तीय संपत्ति से कैश फ्लो के अनुबंधिय अधिकार समाप्त हो जाए या वित्तीय संपत्ति का हस्तांतरण हो जाए तो वित्तीय संपत्तियों को गैर-मान्यता दी जाती है और हस्तांतरण गैर-मान्यता के लिए पात्र होता है।

जब वित्तीय संपत्ति से कैश फ्लो के अनुबंधिय अधिकार समाप्त हो जाते है या जब वित्तीय संपत्ति और उसके सारे पर्याप्त जोखीम तथा पुरस्कार हस्तांतरित हो जाते हैं, तब वित्तीय संपत्तियों की गैर-मान्यता की जाती है। वित्तीय दायित्व को तब गैर-मान्य किया जाता है, जब वह समाप्त, मुक्त, रद्द होता है या उसका अंत हो जाता है।

१.२४ वित्तीय दायित्व

सभी वित्तीय दायित्वों के प्रारंभिक उचित मूल्य मान्य किये जाते हैं, कर्ज और उधार तथा भुगतान योग्य मामले में सीधे फलस्वरूप लेन-देन व्यवहार लागत शुद्ध होती है।

कर्ज और उधार

प्रारंभिक मान्यता के बाद ब्याज पर लिये गए कर्ज तथा उधार का बाद में EIR पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत में मापन किया जाता है। लाभ या हानि में वृद्धि और नुकसान को तब मान्य किया है जब दायित्व की गैर-मान्यता होती है, उसके साथ वह EIR परिशोधन प्रक्रिया से गुजरती है।

किसी भी छूट या संपादन पर अधिमूल्य तथा EIR का आन्तरिक भाग रहनेवाला कोई भी शुल्क या लागत को हिसाब में लेकर परिशोधन लागत की गणना की जाती है। EIR परिशोधन को लाभ और हानि पत्र में वित्तीय लागत के तौर पर शामिल किया गया है।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय दायित्वों का अनुवर्ती मापन परिशोधन लागत पर प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, इसमें व्यापार या FVTPL के लिए नामित धारण किये हुए वित्तीय दायित्वों को छोड दिया जाता है, जो अनुवर्ती उचित मूल्य को वहन करते है या उन्हे लाभ या हानि में वृद्धि या नुकसान से मान्यता दी है। FVTPL में सारे व्युत्पन्न वित्तीय अनुबंधो का हिसाब किया है।

गैर-मान्यता

कंपनी के बैलेन्स शीट में वित्तीय दायित्व की गैर-मान्यता तब की जाती है जब दायित्व के तहत जिम्मेदारियां मुक्त या रद्द या समाप्त हो जाती हैं। जब वर्तमान वित्तीय दायित्व को एक ही ऋणदाता द्वारा पर्याप्त अलग शर्तों पर बदला जाता है या वर्तमान दायित्व की शर्तों को पर्याप्तता से सुधारित किया जाता है, तो ऐसा विनिमय या सुधार मूल दायित्व की गैरमान्यता के रूप में व्यवहारित किया जाता है और उसे नये दायित्व के तौर पर मान्यता दी जाती है। संबंधित वहन राशियों के अंतर को लाभ और हानि पत्र में मान्यता दी गई है।

वित्तीय अनुबंधों को पूरा करना

जब मान्यता की राशि को वर्तमान में पूरा करने का प्रभावशाली कानूनी हक हो और उसे शुद्धता के आधार पर समायोजित करने का उद्देश्य हों, जिससे कि संपत्तियों की प्राप्ति और दायित्व का समायोजन एक साथ हो जाए, तो वित्तीय संपत्तियां और वित्तीय दायित्वों को पूरा किया जाता है और बैलेन्स शीट में उसे रिपोर्ट किया जाता है।

१.२५ उचित मूल्य का मापन

उचित मूल्य वह किमत है जो संपत्ति की बिक्री या मापन के दिन बाजार के साझेदारों के दरमियान क्रमबद्ध व्यवहार में दायित्व के हस्तांतरण से प्राप्त होती है। उचित मूल्य का मापन संपत्ति की बिक्री या दायित्व के

हस्तांतरण के अनुमान पर आधारित होती है:

- संपत्ति या दायित्व के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिती पर संपत्ति और दायित्व के लिए अधिक फायदेमंद बाजार में।

संपत्ति या दायित्व के उचित मूल्य का मापन बाजार के साझेदारों द्वारा संपत्ति या दायित्व के लिए अनुमानों का उपयोग करके किया जाता है, इसमें बाजार के साझेदार उनके अच्छे वित्तीय हित के लिए कार्य करते हैं।

गैर-वित्तीय संपत्ति के उचित मूल्य का मापन बाजार के साझेदारों की संपत्ति का उपयोग करके वित्तीय लाभ निर्मित करने की उच्च क्षमता और दुसरे बाजार के साझेदार को उच्चता से संपत्ति को बेचने और अच्छा उपयोग करने पर आंकी जाती है।

कंपनी उन मूल्यांकन तंत्रों का उपयोग करती है, जो परिस्थितियों के अनुसार उचित लगे और जिसमें उचित मूल्य का मापन करने के लिए संबंधित नमूदार इनपुट्स का महत्तम उपयोग के लिए पर्याप्त विदा (data) हो:

- स्तर १ - समान संपत्तियां या दायित्वों के लिए सक्रिय बाजार में कोट की गई किमतों में इनपुट्स
- स्तर २ - स्तर १ में कोटेड किमतों के अलावा इनपुट्स, जो नमूदार संपत्ति या दायित्व के लिए सीधे (किमतें) या परोक्ष (किमतों का व्युत्पन्न) में दिये गए हैं।
- स्तर ३ - नमूदार बाजार विदा पर गैर-आधारित इनपुट्स (गैर-नमूदार इनपुट्स)। अनुमान के मूल्यांकन मॉडल आधार का उपयोग करके उचित मूल्य पुरा या अंशतः निश्चित किया जाता है, जिसे नमूदार वर्तमान बाजार के व्यवहारों में उसी अनुबंध पर किमत में सहाय नहीं किया जाता या वह उपलब्ध बाजार विदा पर आधारित नहीं होते।

वित्तीय पत्रों दी गई संपत्तियां और दायित्वों आवर्ति आधार पर मान्य किया गया है, --- आवर्ती आधार पर वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त संपत्तियों और दायित्वों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में (न्यूनतम स्तर के इनपुट के आधार पर उचित मूल्य माप के रूप में महत्वपूर्णता) के आधार पर पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानान्तरण हुआ है या नहीं पूरे) पुनर्मूल्यांकन श्रेणीकरण हुआ है।

उचित मूल्य के प्रकटन के लिए कंपनी नें संपत्तियों और दायित्वों के वर्ग उनके स्वरुप, विशिष्टताएं और जोखीमों के आधार पर निश्चित किये हैं और उचित मूल्य के स्तर का अनुक्रम उपरलिखित अनुसार स्पष्ट किया गया है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

नोट 2: संपत्ति संयंत्र और उपकरण

(रू. लाख में)

अ. क्र.	विवरण	सकल खंड				संचित मूल्यहास / परिशोधन				
		१ अप्रैल, २०१८ तक शेष (पुनर्निवेदित)	अतिरिक्त	निपटान / समायोजन	३१ मार्च, २०१९ तक शेष	१ अप्रैल, २०१८ तक (पुनर्निवेदित)	वर्ष के लिए	निपटान पर	३१ मार्च, २०१९ तक	३१ मार्च २०१९ तक शेष
	a) मूर्त संपत्तियां									
1	**जमीन**									
a.	मुक्त धारणा जमीन #	5,942.60	35,115.42	-	41,058.02	-	-	-	-	41,058.02
b.	पट्टा धारणा जमीन	1,108.27			1,108.27					1,108.27
2	इमारत	-	2,234.60	-	2,234.60	-	246.60	-	246.60	1,988.00
3	संगणक और बाह्य उपकरणे	253.69	19.56	0.55	272.70	129.26	69.93	0.23	198.96	73.74
4	कार्यालय उपकरण	75.14	285.90	4.06	356.98	24.20	45.92	0.28	69.84	287.14
5	कार्यालय फर्निचर	47.38	146.53		193.91	7.55	12.17		19.72	174.19
6	वाहन	60.25	-	-	60.25	23.02	7.53	-	30.55	29.70
	A के लिए कुल	**7,487.33**	**37,802.01**	**4.61**	**45,284.73**	**184.03**	**382.15**	**0.51**	**565.67**	**44,719.06**
	b) अमूर्त संपत्तियां									
1	सॉफ्टवेअर और लाईसन्स शुल्क अन्य लागत	129.96	28.84	-	158.80	29.33	28.58	-	57.91	100.89
2	अनुमतियां		-							
	=--- क्षतिपूर्ति के साथ	1,609.31		601.44	1,007.87	-	-	-	-	1,007.87
	'---नाममात्र रकम पर #	7.60	0.09	0.80	6.89	-	-	-	-	6.89
	B के लिए कुल	**1,746.87**	**28.93**	**602.24**	**1,173.56**	**29.33**	**28.58**	**-**	**57.91**	**1,115.65**

नोट: निपटान / समायोजन में प्रगति में पूंजी कार्य के लिए हस्तांतरित अनुमति का परिशोधन शामिल है।

(रू. लाख में)

अ. क्र.	विवरण	सकल खंड				संचित मूल्यहास / परिशोधन				
		१ अप्रैल, २०१७ तक शेष (पुनर्निवेदित)	अतिरिक्त	निपटान / समायोजन	३१ मार्च, २०१८ तक शेष	१ अप्रैल, २०१७ तक (पुनर्निवेदित)	वर्ष के लिए	निपटान पर	३१ मार्च, २०१८ तक	३१ मार्च, २०१८ तक शेष (पुनर्निवेदित)
	a) मूर्त संपत्तियां									
1	**जमीन**									
a.	मुक्त धारणा जमीन #	5.35	5,937.25		5,942.60	-			-	5,942.60
b.	पट्टा धारणा जमीन	1,108.27			1,108.27	-			-	1,108.27
2	इमारत	-			-	-			-	-
3	संगणक और बाह्य उपकरणे	219.84	35.77	1.92	253.69	64.84	65.94	1.52	129.26	124.43
4	कार्यालय उपकरण	43.13	32.51	0.50	75.14	12.21	12.24	0.25	24.20	50.94
5	कार्यालय फर्निचर	20.27	27.11		47.38	4.85	2.70		7.55	39.83
6	वाहन	47.98	12.27		60.25	16.14	6.88		23.02	37.23
	A के लिए कुल	**1,444.84**	**6,044.91**	**2.42**	**7,487.33**	**98.04**	**87.76**	**1.77**	**184.03**	**7,303.30**
	b) अमूर्त संपत्तियां									
1	सॉफ्टवेअर और लाईसन्स शुल्क अन्य लागत	39.46	90.50		129.96	22.88	6.45	-	29.33	100.63
2	अनुमतियां	-			-	-			-	-
	=--- क्षतिपूर्ति के साथ	2,212.38		603.07	1,609.31	-	-	-	-	1,609.31
	'---नाममात्र रकम पर #	7.31	0.29		7.60	-	-	-	-	7.60
	B के लिए कुल	**2,259.15**	**90.79**	**603.07**	**1,746.87**	**22.88**	**6.45**	**-**	**29.33**	**1,717.54**

नोट: निपटान / समायोजन में प्रगति में पूंजी कार्य के लिए हस्तांतरित अनुमति का परिशोधन शामिल है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

(रु. लाख में)

अ. क्र.	विवरण	सकल खंड				संचित मूल्यह्रास / परिशोधन				
		१ अप्रैल, २०१६ तक शेष (पुनर्निवेदित)	अतिरिक्त	निपटान / समायोजन	३१ मार्च, २०१७ तक शेष	१ अप्रैल, २०१६ तक (पुनर्निवेदित)	वर्ष के लिए	निपटान पर	३१ मार्च, २०१७ तक	३१ मार्च, २०१७ तक शेष (पुनर्निवेदित)
	a) मूर्त संपत्तियां									
1	**जमीन**									
a.	मुक्त धारणा जमीन #	2.99	2.36		5.35					5.35
b.	पट्टा धारणा जमीन	-	1,108.27		1,108.27					1,108.27
2	इमारत				-					-
3	संगणक और बाह्य उपकरणे	29.05	190.79		219.84		64.84		64.84	155.00
4	कार्यालय उपकरण	9.73	33.40		43.13		12.21		12.21	30.92
5	कार्यालय फर्निचर	12.00	8.27		20.27		4.85		4.85	15.42
6	वाहन	47.98	-		47.98		16.14		16.14	31.84
	A के लिए कुल	**101.75**	**1,343.09**	**-**	**1,444.84**		**98.04**	**-**	**98.04**	**1,346.80**
	b) अमूर्त संपत्तियां									
1	सॉफ्टवेअर और लाईसन्स शुल्क अन्य लागत	6.65	32.81		39.46		22.88		22.88	16.58
2	अनुमतियां		-		-					-
	=--- क्षतिपूर्ति के साथ	-	2,412.30	199.92	2,212.38					2,212.38
	'---नाममात्र रकम पर #	5.69	1.62		7.31					7.31
	B के लिए कुल	**12.34**	**2,446.73**	**199.92**	**2,259.15**	**-**	**22.88**	**-**	**22.88**	**2,236.27**

 # सरकारी भूमि को सरकारी आदेश के आधार पर पूंजीकृत किया गया है। हालांकि, समझाने के लिए कानूनी औपचारिकताएं जारी हैं।

नोट: कृपया संपत्ति वर्ग के पुनःवर्गीकरण के लिए नोट ३० का संदर्भ लें।

नोट: निपटान / समायोजन में प्रगति में पूंजी कार्य के लिए हस्तांतरित अनुमति का परिशोधन शामिल है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

नोट 3 (a) :- प्रगतिपथ पर पूंजिगत कार्य (रू. लाख में)

विवरण	परियोजना - मेट्रो 3	आबंटन के लिए विलंबित अन्य प्रासंगिक व्यय	इमारत और अन्य	कुल
01 अप्रैल, 2017 तक (पुनर्निवेदित)	42,151.16	29,644.92	(2.73)	71,793.35
अतिरिक्त	240,378.71	27,849.01	1,066.51	269,294.23
निपटान, हस्तांतरण तथा समायोजन	(13,298.99)	(4,378.70)	-	(17,677.69)
योगदान*	(11,600.00)	-	-	(11,600.00)
31 मार्च. 2018 तक (पुनर्निवेदित)	**257,630.88**	**53,115.23**	**1,063.78**	**311,809.89**
01 अप्रैल, 2018 तक (पुनर्निवेदित)	257,630.88	53,115.23	1,063.78	311,809.89
अतिरिक्त	387,401.79	36,208.42	-	423,610.21
पूंजिकृत संपत्तियां	-	-	1,575.70	1,575.70
निपटान, हस्तांतरण और समायोजन	-	(37.31)	(2,639.48)	(2,676.79)
योगदान*	(13,250.00)	-	-	(13,250.00)
मार्च, २०१९ तक	**631,782.67**	**89,286.34**	**-**	**721,069.01**

प्रगतिपथ पर पूंजिगत कार्य में शामिल INR 5,671.17 लाख उधार लागत को वर्ष के दौरान पूंजिकृत किया गया है [अस्थाई निवेश पर शुद्ध ब्याज की रकम INR 1,796.39 लाख है]।
वर्ष 2017-18 के दौरान
प्रगतिपथ पर पूंजिगत कार्य में शामिल INR (481.77) लाख उधार लागत को पूंजिकृत किया गया है [अस्थाई निवेश पर शुद्ध ब्याज की रकम INR 4,352.11 लाख है]। विशेष उधार पर ब्याज का दर 0.01% से 1.5% प्रति वर्ष है।

* निर्माण लागत / तृतीय पक्षों के द्वारा रिअलाईनमेंट में पुनर्प्राप्ति के लिए योगदान

नोट: 3(b) विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां (नोट 30 का संदर्भ लें)

(रू. लाख में)

विवरण	सॉफ्टवेअर
01 अप्रैल, 2017 तक	217.07
अतिरिक्त	23.92
31 मार्च, 2018 तक	**240.99**
01 अप्रैल, 2018 तक	240.99
अतिरिक्त	40.91
31 मार्च, 2019 तक	**281.90**

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

नोट 4 : ऋण (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक		31 मार्च, 2018 तक		1 अप्रैल, 2017 तक	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
असुरक्षित, अच्छा माना है						
सुरक्षा जमा	155.98	627.30	30.60	558.98	1.36	81.60
कुल	**155.98**	**627.30**	**30.60**	**558.98**	**1.36**	**81.60**

नोट 5 : अन्य गैर-वर्तमान (गैर-चालू) / वर्तमान (चालू) संपत्तियां (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक		31 मार्च, 2018 तक		1 अप्रैल, 2017 तक	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
पूंजि अग्रिम						
बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित, अच्छी मानी गई	1,217.19					
सिविल ठेकेदारों को प्राथमिक तैयारी के लिए अग्रिम	-	71,358.10	-	85,188.09	-	46,004.06
संयंत्र और उपकरण के लिए अग्रिम	-	71,582.96	-	80,318.71	-	47,578.28
प्रणालि ठेकेदारों के लिए अग्रिम	-	60,119.80	-	-	-	-
सामान्य सलाहकार के लिए अग्रिम	-	-	-	-	173.30	-
अन्य अग्रिम						
असुरक्षित, अच्छा माना है						
सिविल ठेकेदारों को सामान के लिए अग्रिम	-	345.96	-	192.57	-	-
सरकारी प्राधिकरणों से शेष (WCT)	-	183.73	-	183.73	-	-
पक्ष से संबंधित अग्रिम (ईएमडी और टेंडर शुल्क)	-	-	-	-	63.14	-
आस्थगित पट्टे का भाडा	70.58	175.43	62.78	208.64	8.39	13.88
विक्रेताओं / सप्लायर्स के साथ जमा	-	-	0.42	-	2.32	3.34
प्रिपेड व्यय	1,141.28	-	215.07	-	12.80	-
कर्मचारी अग्रिम	5.33	-	4.51	-	7.83	-
कुल	**2,434.38**	**203,765.98**	**282.78**	**166,091.74**	**267.78**	**93,599.56**

नकद और बैंक शेष (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक	1 अप्रैल, 2017 तक
A. नकद और नकद समतुल्य			
बैंक में शेष			
# चालू खाते में	2,500.16	15,456.54	333.38
जमा खाते में (मूल परिपक्वता 3 महिनों से कम)	86,000.00	59,500.00	49,490.00
	88,500.16	74,956.54	49,823.38
B. उपरलिखित के अलावा शेष			
मूल परिपक्वता 3 महिनों से ज्यादा लेकिन 12 महिनों से कम है, ऐसी जमा*	402.45	-	-
कुल	**88,902.61**	**74,956.54**	**49,823.38**

***परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) को आवंटित किए गए सदनिकाओं के रखरखाव आदि के लिए झोपडपट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) से प्राप्त राशि**
 # चालू खातों में शेष राशि में एस्क्रौ खाते में में आईसीआईसीआई बैंक के साथ शामिल राशि है रु. 50.26 लाख (पिछले वर्ष में 20.88 लाख रुपये)।

नोट 7 : अन्य वित्तीय संपत्तियां (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक	1 अप्रैल, 2017 तक
असुरक्षित, अच्छा माना है			
दूसरों को प्राप्य *	10,440.00	-	-
उपार्जित ब्याज	146.74	486.34	72.21
कुल	**10,586.74**	**486.34**	**72.21**

*** मेट्रो लाईन 3 के तीन भूमिगत स्थानक याने टी1, टी2 और सहार स्टेशन के लिए शेअर लागत रु.77,700 लाख योगदान पर MIAL द्वारा MOU हस्ताक्षरित किया गया है। इसमें से रु.30,500 लाख का लेखा 31 मार्च 2019 तक किया गया है तथा रु.47,200 लाख कार्य की प्रगति के आधार पर स्तरिय रूप में अभिलेखित किये जाएंगे।**

मुंबई मेट्रो लाईन 3 की अलाईनमेन्ट बदलने के लिए अपने योगदान के भाग के प्रति सैफी फाऊन्डेशन नें रु.900 लाख देने के लिए MOU हस्ताक्षरित किया है। जिसमें से रु.450 लाख का31 मार्च, 2019 तक लेखा किया गाया है और रु.450 लाख सैफी फाऊन्डेशन द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के अनुसार अभिलेखित किये जाएंगे।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

नोट 8 : इक्विटी शेअर पूंजि (रू. लाख में)

विवरण	31मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018	1 अप्रैल, 2017 तक
अधिकृत रू. 100 प्रति के 50,00,00,000 इक्विटी शेअर	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	500,000.00	**500,000.00**	**500,000.00**
जारी, सब्सक्राइब और पूरी तरह से पेड-अप रू. 100 प्रति के 23,15,20,000 इक्विटी शेअर (31 मार्च, 2018 : रू.100 प्रति के 13,15,20,000 इक्विटी शेअर) (1 अप्रैल, 2017 : रू.100 प्रति के 5,15,20,000 इक्विटी शेअर)	231,520.00	131,520.00	51,520.00
कुल	231,520.00	1,31 5.20 00	,51 5.20 00

(a) प्रतिवेदन अवधि की शुरुआत में और अंत में बकाया राशि और शेयरों की संख्या का सामंजस्य:

विवरण	31मार्च, 2019 तक		31 मार्च, 2018		1 अप्रैल, 2017 तक	
	संख्या	रू. लाख में	रू. लाख में	रू. लाख में	रू. लाख में	रू. लाख में
वर्ष के प्रारंभ में	131,520,000	131,520.00	51,520,000	51,520.00	7,320,000.00	7,320.00
अधिक : वर्ष के दौरान जारी	100,000,000	100,000.00	80,000,000	80,000.00	44,200,000.00	44,200.00
वर्ष के अंत में शेष	**231,520,000**	**231,520.00**	**131,520,000**	**131,520.00**	**51,520,000.00**	**51,520.00**

(b) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम / अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेअरों का केवल एक वर्ग है जिसमें रुपये का सममूल्य मूल्य है रू.100 प्रति शेअर। इक्विटी शेअर का प्रत्येक धारक प्रति शेअर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेअरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह वितरण शेअरधारकों द्वारा आयोजित इक्विटी शेअरों की संख्या के अनुपात में होगा।

c) 5% से अधिक इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण:

शेअरधारक का नाम	31मार्च, 2019 तक		31 मार्च, 2018		1 अप्रैल, 2017 तक	
	शेअरों की धारणा का %	शेअरों की संख्या	शेअरों की धारणा का %	शेअरों की संख्या	शेअरों की धारणा का %	शेअरों की संख्या
भारत के राष्ट्रपति	50.00%	115,760,000.00	50.00%	65,760,000.00	50.00%	25,760,000.00
महाराष्ट्र के राज्यपाल	50.00%	115,760,000.00	50.00%	65,760,000.00	50.00%	25,760,000.00
कुल	100.00%	231,520,000.00	100.00%	131,520,000.00	100.00%	51,520,000.00

नोट 9 : अन्य इक्विटी (रू. लाख में)

विवरण	31मार्च , 2019 तक	31 मार्च,2018	1 अप्रैल, 2017 तक
a) शेअर आवेदन राशि आबंटन के लिए विलंब	-	-	20,000.00
b) प्रतिधारित कमाई			
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(1,433.98)	(177.49)	(177.49)
अधिक : वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	424.40	(1,256.49)	-
वर्ष के अंत तक शेष	(1,009.58)	(1,433.98)	(177.49)
कुल	(1,009.58)	(1,433.98)	19,822.51

नोट 10 : उधारी (रू. लाख में)

विवरण	31मार्च, 2019 तक		31 मार्च, 2018		1 अप्रैल, 2017 तक	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
असुरक्षित						
भारत सरकार से कर्ज (अधीनस्त ऋण)	-	4,633.82	-	1,646.38	-	706.21
महाराष्ट्र सरकार से कर्ज (अधीनस्थ ऋण)	-	7,239.12	-	1,239.77	-	448.60
PTA द्वारा JICA से कर्ज *	-	627,246.00	-	352,246.01	-	84,264.00
कुल	-	639,118.94	-	355,132.16	-	85,418.81

* कंपनी को जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) ऋण की ओर भारत सरकार से पास थ्रू असिस्टेंस (PTA) क रूप में ऋण प्राप्त हुआ है। ऋण अनुबंध भारत सरकार और JICA क बीच है। पुनर्भुगतान की अवधि 10 साल की अनुग्रह अवधि के 20 साल बाद होगी। अब तक कंपनी को दो किश्तों में ऋण प्राप्त हुआ है। कंपनी ने जेआईसीए ऋण के संवितरण के लिए प्रतिपूर्ति प्रक्रिया का पालन किया है।

JICA ऋण का विवरण निम्न प्रकार है:

विवरण	राशि	आर.ओ.आई. (%)	सलाह के लिए आर.ओ.आई. (%)
1ला अंश	71 Billion JPY	1.40	0.01
2रा अंश	100 Billion JPY	1.50	0.01

यह ब्याज 20 मार्च और 20 सितंबर को अर्द्ध-वार्षिक देय है। कंपनी ने कंपनी को दिए गए ऋण की सीमा तक एक समझौते का पालन करने के लिए ब्याज के संबंध में पर्याप्त प्रावधान किया है। ब्याज, और सेवा शुल्क, जो नियंत्रक, लेखा और लेखापरीक्षण (CAAA) के लिए देय हैं, उसके लिए वित्त मंत्रालय प्रगति पर और समायोजन में है, यदि कोई हो, तो सुलह पर किया जाएगा। भारत सरकार / महाराष्ट्र सरकार और एमएमआरसीएल के बीच हुए एमओयू के अनुसार, विदेशी विनिमय दर भिन्नता को भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

नोट 11 : अन्य उत्तरदायित्व (रू. लाख में)

विवरण	31मार्च, 2019 तक		31 मार्च, 2018 तक		1 अप्रैल, 2017 तक	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
टी.डी.एस. देय	698.14	-	503.91	-	1,564.34	-
जी.एस.टी. देय	3,798.19	-	1.17	-	-	-
लेबर सेस / डब्ल्यूसीटी / अन्य वैधानिक देय	1,025.29	-	523.12	-	647.95	-
सेवा कर और उपकर देय	-	-	-	-	2,319.48	
व्यवसाय कर देय	0.44	-	0.42	-	0.40	-
सी.पी.एफ./जी.पी.एफ./ई.पी.एफ. देय	31.30	-	23.65	-	20.93	-
स्थगित सरकारी अनुदान *	3,499.76	112,893.36	754.56	28,454.44	317.00	12,093.12
कुल	**9,053.12**	**112,893.36**	**1,806.83**	**28,454.44**	**4,870.10**	**12,093.12**

स्थगित सरकारी अनुदान *

उप ऋण: मौद्रिक अनदान

भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा कंपनी को दिया गया उप ऋण कर्ज केंद्रीय करों के भुगतान के लिए है, हालांकि महाराष्ट्र सरकार का उप ऋण पुनर्वास और पुनर्वास (आर एंड आर) और भूमि की लागत के लिए है। इन ऋणों को जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ऋण की चुकौती के बाद नि: शुल्क दिया जाता है। इन ऋणों को Ind AS 20 के अनुसार अनुदान के रूप में माना जाता है।

नोट 12 : अन्य वर्तमान वित्तीय उत्तरदायित्व (रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक	1अप्रैल, 2017 तक
a) व्यय के लिए लेनदार			
सिविल ठेकेदारों को देय	42,527.62	31,412.90	30,542.65
प्रणालि ठेकेदारों को देय	339.50	-	-
सामान्य सलाहकारों को देय	6,570.46	5,524.66	5,408.17
सलाहकारों, ठेकेदारों / विक्रेताओं और अन्य को देय	1,200.72	555.87	249.71
लेखापरीक्षकों को देय	5.68	7.86	7.34
संबंधित पक्षकार को देय	1,279.37	833.54	6,871.39
b) ई.एम.डी, प्रतिदेय	74.73	36.72	80.70
c) * सुरक्षा जमा	551.81	51.52	13.13
d) प्रतिधारण रकम			
- सिविल ठेकेदारों पर	12,725.46	4,584.16	2,411.65
- अन्य ठेकेदारों पर	3,877.36	145.76	128.80
e) भूमि के लिए देय	3.63	278.73	-
f) अर्जित ब्याज लेकिन JICA PTA पर देय बकाया नहीं	241.62	137.56	4.15
g) अर्जित ब्याज JICA PTA पर देय	9,094.73	3,028.99	133.79
g) नुकसान के प्रति अन्य प्रतिधारण	-		-
h) कर्मचारियों को देय	29.33	414.01	38.32
i) व्यय तथा अन्य देय (नोट 24 का संदर्भ लें)	1,074.54	187.15	22.98
j) अन्य को देय	1.52	-	-
k) JICA PTA को देय फ्रन्ट एंड शुल्क	2,139.50	841.73	-
कुल	**81,737.58**	**48,041.16**	**45,912.78**

*** इसमें झोपडपट्टी पुनर्वास प्राधिकरण से प्राप्त रु.44.88 लाख की सुरक्षा जमा राशि शामिल है।**

नोट 13 : प्रावधान (रू. लाख में)

विवरण	31मार्च, 2019 तक		31 मार्च, 2018 तक		1 अप्रैल, 2017 तक	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
a) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान						
ग्रैच्युईटी के लिए	15.35	121.83	10.30	96.96	27.77	-
छुट्टी वेतन योगदान के लिए	92.08	102.95	35.65	140.52	57.59	-
निवृत्तिवेतन योगदान के लिए	52.69	-	39.19	-	8.18	-
कुल	**160.12**	**224.78**	**85.14**	**237.48**	**93.54**	**-**

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

नोट 14 : अन्य आय (रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ब्याज आय		
- फिक्स्ड डिपॉजिट पर	1,620.88	1,492.28
- भुगतान विलंब पर	7.67	-
अन्य गैर-परिचालन आय		
प्रकीर्ण आय	0.01	4.11
स्थगित सरकारी अनुदान आय	1,879.82	703.64
परिशोधन लागत पर मापे गए उपकरणों पर ब्याज आय	59.63	17.02
कुल	**3,568.01**	**2,217.05**

नोट 15 : कर्मचारी लाभ व्यय (रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	2,464.45	2,013.10
प्रॉविडन्ट और अन्य निधियों के लिए योगदान	195.72	169.37
कर्मचारी कल्याण व्यय	575.16	214.89
कुल कर्मचारी लाभ व्यय	**3,235.33**	**2,397.36**
कमः प्रगति में पूंजी के काम के लिए पूंजीकृत [नोट -3 (a) देखें]]	2,258.92	1,356.58
कुल	**976.41**	**1,040.78**

नोट 16 : वित्तीय लागत (रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ब्याज	6,601.95	3,221.91
अन्य उधारी लागत	1,297.76	841.73
कुल वित्तीय लागत	**7,899.71**	**4,063.64**
कमः अस्थायी निवेश से ब्याज आय	1,796.39	4,352.11
कमः प्रगति में पूंजी के काम के लिए पूंजीकृत [नोट -3 (a) देखें]]	5,671.17	(481.77)
कुल	**432.15**	**193.30**

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

नोट 17 : अन्य व्यय (रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
विज्ञापन व्यय	26.45	15.00
बैंक चार्जेस	12.96	7.91
ब्रोकरेज और कमीशन	5.06	-
कार चालन और रखरखाव व्यय	16.46	17.83
कम्प्युटर मरम्मत और रखरखाव	1.83	2.16
शुल्क और सदस्यता	0.39	0.26
बीमा व्यय	1.76	3.80
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक - सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में	4.72	4.72
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	46.20	31.65
बैठक और सम्मेलन व्यय	85.13	65.67
कार्यालय और प्रशासनिक व्यय	17.09	21.22
कार्यालय की मरम्मत और रखरखाव व्यय	92.84	96.78
मशीन की मरम्मत और रखरखाव	8.91	3.94
कर्मचारियों की उपठेकेदारी	207.29	142.66
डाक और टेलीग्राम खर्च	2.49	4.17
छपाई और स्टेशनरी	81.13	76.92
दरें और कर	144.63	203.25
किराया व्यय	300.40	274.11
सुरक्षा व्यय	49.74	26.69
सॉफ्टवेअर व्यय	62.92	66.87
संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान	0.12	0.07
दूरसंचार व्यय	15.34	12.75
यात्रा और वाहन व्यय	74.46	71.36
बिजली और पानी का खर्च	98.39	22.48
* प्रकीर्ण व्यय	17.06	-
कुल	**1,373.77**	**1,172.27**

*** इसमें CSR के समरूप कार्यप्रणाली में आए रू. 14.05 लाख राशि का समावेश है।**

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

नोट 18: प्रति शेअर अर्जन

प्रति शेअर अर्जन (EPS) - बुनियादी और पतला EPS की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संख्यात्मक और भाजक:

विवरण	एकक	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष (पुनर्निवेदित)
इक्विटी शेअरधारकों को वर्ष के लिए कर के बाद लाभ	Rs. Lakhs	406.68	(1,243.20)
वर्ष के दौरान बकाया शेअरों की भारित औसत संख्या	Number	1,520.68	887.80
इक्विटी शेअर का नाममात्र मूल्य	Rs.	100.00	100.00
प्रति इक्विटी शेअर हिस्सेदारी मूल और मन्दित आय	Rs.	0.27	(1.40)

नोट 19 : वर्तमान और स्थगित कर

31 मार्च, 2019 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्षों के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक:

a) आयकर व्यय **(रू. लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
i) वर्तमान कर		
वर्ष के लिए मुनाफे पर वर्तमान कर	56.46	1,067.09
पूर्व अवधि के वर्तमान कर के लिए समायोजन	-	(51.14)
कुल वर्तमान कर व्यय	**56.46**	**1,015.95**
ii) स्थगित कर		
(घट) । स्थगित कर दायित्वों में वृद्धि	-	0.91
घट । (वर्धन) आस्थगित कर संपत्तियों में	(24.44)	(62.65)
OCI को हस्तांतरित बीमांकिक लाभ या हानि पर	(7.28)	5.47
अप्रयुक्त MAT क्रेडिट	(56.46)	-
कुल आस्थगित कर व्यय (लाभ)	**(88.18)**	**(56.27)**
आयकर व्यय	**(31.72)**	**959.68**

b) कंपनी पर लागू वैधानिक आयकर दर और कंपनी की प्रभावी आयकर दर के बीच सामंजस्य निम्न प्रकार है

(रू लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
कर देने से पूर्व लाभ	374.95	(283.51)
वैधानिक आयकर दर	21.55%	29.12%
कंपनी की घरेलू कर दर के उपयोग से कर	80.80	-
कर के प्रभाव		
रिटर्न के अनुसार कर प्रावधान	-	1,067.09
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति	(6.30)	0.91
ग्रेच्युईटी, अवकाश नकदी और पेंशन का प्रावधान	(25.42)	(57.18)
मैट क्रेडिट हकदारी	(56.46)	-
कर दर अंतर	(24.34)	-
पिछले वर्षों के लिए कर समायोजन	-	(51.14)
प्रभावी आयकर	**(31.72)**	**959.68**

c) समीक्षाधीन अवधि में वर्तमान और आस्थगित कर की कुल मात्रा उत्पन्न नहीं हुई है, जिन्हें इक्विटी में मान्यता दी गई है तथा लाभ और हानि या अन्य व्यापक आय के विवरण में नहीं है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

d) **वर्तमान कर दायित्व (शुद्ध)** **(रू. लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
प्रारंभिक शेष	39.82	523.96
अधिक: वर्ष के लिए देय कर	-	1,067.09
कम: कर का भुगतान किया	(39.82)	(1,551.23)
अंतिम शेष	**-**	**39.82**

e) **वर्तमान कर संपत्तियां (शुद्ध)** **(Rs.in lakhs)**

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
प्रारंभिक शेष	315.40	788.22
अधिक: अग्रिम में चुकाए गए कर, वर्ष के दौरान प्रावधानों का शुद्ध	771.65	(472.82)
अंतिम शेष	**1,087.05**	**315.40**

f) **आस्थगित कर (शुद्ध)**

i) शेष राशि में निम्न विषयों के कारण अस्थायी अंतर शामिल है और आस्थगित दायित्व में इसकी गतिविधि है | (संपत्तियां):

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 तक	(प्रभारित) / लाभ या हानि पर क्रेडिट	(प्रभारित) / OCI को क्रेडिट	31 मार्च, 2019 तक
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति	(4.99)	6.30	-	1.31
ग्रेच्युईटी, अवकाश नकदी और पेंशन का प्रावधान	93.94	25.42	(7.28)	112.08
अप्रयुक्त कर क्रेडिट	-	56.46	-	56.46
**शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति	(दायित्व)**	**88.95**	**88.18**	**(7.28)**	**169.85**

ii) वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आस्थगित कर गतिविधि

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 तक	(प्रभारित) / लाभ या हानि पर क्रेडिट	(प्रभारित) / OCI को क्रेडिट	31 मार्च, 2018 तक
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति	(4.07)	(0.92)	-	(4.99)
ग्रेच्युईटी, अवकाश नकदी और पेंशन का प्रावधान	31.29	57.19	5.46	93.94
**शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति	(दायित्व)**	**27.22**	**56.27**	**5.46**	**88.95**

g) **आयकर संपत्ति (शुद्ध)** **(रू. लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक	1 अप्रैल, 2017 तक
अग्रिम कर (शुद्ध)	1,087.05	315.40	788.22
कुल	**1,087.05**	**315.40**	**788.22**

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

नोट 20.1 : संबंधित पक्ष प्रकटीकरण
संबंधित पक्ष का नाम तथा संबंध का स्वरूप

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध का विवरण
मुख्य प्रबधकीय अधिकारी	
श्री. दुर्गा शंकर मिश्रा	अध्यक्ष / मनोनीत निदेशक
श्रीमती झांजा त्रिपाठी	मनोनीत निदेशक
श्री. मुकुंद कुमार सिन्हा	मनोनीत निदेशक
श्री. एस. एस. जोशी (17 जनवरी, २०१९ से)	मनोनीत निदेशक
श्री. उर्विंदर पाल सिंग मदान	मनोनीत निदेशक
श्री. अजॉय मेहता	मनोनीत निदेशक
डॉ. नितिन नंदकिशोर करीर	मनोनीत निदेशक
श्री. आर. ए. राजीव (02 मई, २०१८ से)	मनोनीत निदेशक
श्री. अनूप कुमार गुप्ता (13 अक्तुबर, २०१८ तक)	मनोनीत निदेशक
श्री. दिनेश कुमार जैन (05 मई, 2018 तक)	मनोनीत निदेशक
श्री. के. के. अग्गरवाल (30 जनवरी, 2018 तक)	मनोनीत निदेशक
श्री. अचल जैन (23 जुलाई, 2018 से)	मनोनीत निदेशक
श्री. राहुल अस्थाना (25 जुन, 2018 तक)	स्वतंत्र निदेशक
श्री. अदित्य प्रकाश मिश्रा (02 जुलाई, 2018 तक)	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती अश्विनी भिडे	प्रबंधन निदेशक / मनोनीत निदेशक
श्री. सुबोध कुमार गुप्ता	निदेशक (परियोजना)
श्री. अजयकुमार भट्ट	निदेशक (प्रणाली)
श्री. अबोध खंडेलवाल	निदेशक (वित्त)
श्रीमती रितु देब	कंपनी सेक्रेटरी
ऐसी संस्थाएँ जहाँ प्रमुख प्रबंधन कार्मिक या उनके करीबी परिवार के सदस्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है।	
मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजन डेवलपमेन्ट एथोरिटी (MMRDA)	MMRDA के महानगर आयुक्त श्री. उर्विंदर पाल सिंग मदान (02 मई, 2018 तक) MMRDA के महानगर आयुक्त श्री. आर. ए. राजीव (02 मई, 2018 से)

नोट 20.2 : मुख्य प्रबंधकीय अधिकारीयों को मुआवजा **(रू. लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
1. पारिश्रमिक	198.33	148.32	-
2. स्वतंत्र निदेशकों को बैठने के लिए शुल्क का भुगतान	0.18	2.70	-

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

नोट 20.3 :- उन संस्थाओं के साथ लेन-देन जिन पर KMP या उनके करीबी परिवार के सदस्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव है

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
a) **खरीद और खर्च**			
1. प्रतिपूर्ति	679.47	777.55	326.95

नोट 20.4 : वर्ष समाप्ति पर बकाया शेष

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2017 तक
a) **मुख्य प्रबंधकीय अधिकारीयों के साथ**			
1. प्राप्य	-	-	-
2. देय	-	23.22	-
b) **जिन संस्थाओं पर KMP या उनके करीबी परिवार के सदस्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव है**			
1. प्राप्य	-	-	-
2. देय	1,666.32	833.53	6,871.39

नोट 20.5 : मुख्य प्रबंधकीय अधिकारीयों को सेवायोजन के उपरान्त लाभ

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
1. सेवायोजन उपरान्त लाभ	45.78	42.56	-

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

नोट 21.1 : आकस्मिक दायित्व

कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के तौर पर स्वीकार नहीं किया है:

दायित्व / न्यायप्रकरण का स्वरूप	रकम
1. सिविल ठेकेदारों को देय सिविल ठेकेदारों से संबंधित सेवा कर दायित्व।	रू.3,346.07 लाख
2. सिविल ठेकेदारों को देय सिविल अनुबंधों से संबंधित वस्तु और सेवा कर।	GST ने सभी अप्रत्यक्ष कर जैसे सेवा कर, वैट को रद्द कर दिया है। अनुबंध मूल्य सभी करों को शामिल किया गया था। कंपनी ने ठेकेदारों से अनुबंध मूल्य पर पूर्व तथा पश्चात GST प्रभाव के ब्रेक-अप प्रदान करने का अनुरोध किया है। ठेकेदारों ने अभी तक इसका ब्रेक-अप प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए, GST के तहत देय राशि सुनिश्चित करना योग्य नहीं है।
3. (PAPs) परियोजना बाधीत व्यक्तियों से संबंधित	कंपनी ने MOU में प्रवेशित किये हैं और कुछ PAP's के साथ अनंतिम समझौता किया है। हालाँकि, PAP के पुनर्वास और पुन: निपटान के लिए कुल राशि निर्धारित नहीं की जा सकती है।
4. PAPs को आबंटन करने हेतू झोपडपट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) तथा महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास प्राधिकारण (MMRDA) से प्राप्त सदनिकाएं	PAP's के पुनर्वास के लिए एसआरए और म्हाडा द्वारा आवंटित सदनिकाओं के लिए मूल्य (यदि भविष्य में दावा किया गया है) बैलेंस शीट की तारीख में पता लगाने योग्य नहीं है। इन संपत्तियों की रखरखाव लागत एमएमआरसीएल द्वारा उस सोसायटी के पंजीकरण तक वहन की जाएगी जो बैलेंस शीट की तारीख तक निर्धारित नहीं की जा सकती है। "
5. संपत्ति कर के लिए मांग	ज्ञानेश्वर नगर, BKC में MMRDA द्वारा आवंटित भूमि के संबंध में BMC ने रू. 920.22 लाख का संपत्ति कर मांग नोटिस जारी किया है। BMC अधिनियम की धारा 143 - 1 (बी) के तहत ऐसी मांग को रद्द करने / छूट देने के लिए MMRCL ने कर मूल्यनिर्धारक तथा जिलाधिकारी (एच ई वॉर्ड) को पत्र लिखा है।
6. पर्यावरण के प्रकरण	पर्यावरण से संबंधित कंपनी के विरूद्ध ६ प्रकरण दाखिल किये गए हैं, जो गैर-मौद्रिक विषयों से संबंधित न्यायप्रकरण हैं और इसलिए इसकी रकम को निर्धारित नहीं किया जा सकता।
7. भूमि और पुनर्वास तथा पुनःस्थापन (R & R) के प्रकरण।	भूमि और पुनर्वास तथा पुनःस्थापना (R&R) से संबंधित 17 चालू प्रकरणों में से 2 प्रकरणों में रू.25 लाख का दावा किया गया है, अन्य सभी प्रकरणों में रकम का निर्धारण नहीं किया जा सकता।
8. दिवाणी याचिकाएं	FLGRC/HLGRC से संबंधित कंपनी के विरूद्ध ६ प्रकरण दाखिल किये गए हैं, जो गैर-मौद्रिक विषयों से संबंधित न्यायप्रकरण हैं और इसलिए इसकी रकम को निर्धारित नहीं किया जा सकता।

नोट 21.2 : पूंजिगत प्रतिबद्धताएं

प्रतिवेदन अवधि की समाप्ति के लिए अनुबंधित पूंजीगत व्यय लेकिन जो दायित्व के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, वह

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 अप्रैल, 2018 तक
निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि और अग्रिम के लिए प्रदान नहीं की गई (शुद्ध अग्रिम) :	1,643,745.67	1,761,251.00

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

नोट 22 : कर्मचारी लाभ दायित्व

ग्रेच्युईटी:

ग्रेच्युईटी अधिनियम १९७२ या कंपनी की योजना, जो भी लाभदायक हो, उसके अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को हर पुरे किये सेवा वर्ष के लिए पंधरह दिनों के समकक्ष वेतन लाभ मिलने का हक है। यह राशि कंपनी से अलग होने या सेवानिवृत्ति के समय, जो भी पहले हो, वही देय है। लाभ पांच साल की निरंतर सेवा के बाद बन जाता है।

(रू. लाख में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	शुद्ध रकम
01 अप्रैल, 2017	**31.32**	**-**	**31.32**
वर्तमान सेवा लागत	53.37	-	53.37
ब्याज व्यय (आय)	2.37	-	2.37
लाभ और हानि में मान्यताप्राप्त कुल राशि	**55.73**	**-**	**55.73**
पुनःमापन			
(वृद्धि) । वित्तीय मान्यताओं में बदलाव के कारण हानि	9.36	-	9.36
अनुभव (वृद्धि) । हानि	9.41	-	9.41
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**18.77**	**-**	**18.77**
कर्मचारी योगदान	-	-	-
लाभ भुगतान	-	-	-
31 मार्च, 2018	**105.82**	**-**	**105.82**
वर्तमान सेवा लागत	48.09	-	48.09
ब्याज व्यय (आय)	8.25	-	8.25
लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**56.34**	**-**	**56.34**
पुनः मापन			
(वृद्धि)। वित्तीय मान्यताओं में बदलाव से हानि	2.69	-	2.69
अनुभव (लाभ) । हानियाँ	(27.69)	-	(27.69)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(25.01)**	**-**	**(25.01)**
कर्मचारी योगदान	-	-	-
लाभ भुगतान	-	-	-
31 मार्च, 2019	**137.18**	**-**	**137.18**

ऊपर प्रकट किया गया शुद्ध दायित्व वित्त पोषित और अप्रकाशित योजनाओं से संबंधित है:

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	137.18	105.82
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
Deficit of Gratuity plan	137.18	105.82

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

महत्वपूर्ण अनुमान: बीमांकिक मान्यताएं और संवेदनशीलता
महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताए निम्न प्रकार हैं:

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018
रियायती दर	7.65%	7.80%
आर्कषक मुल्य		
30 वर्षों तक	6.00%	5.00%
31 से 44 वर्षों तक	5.00%	5.00%
44 वर्षों के ऊपर	8.00%	6.00%
योजना संपत्तियों के परतावे की दर	NA	NA
वेतन वृद्धि दर	7.00%	7.00%

संवेदनशीलता विश्लेषण
भारित प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता है:

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018
कालावधि समाप्ति पर दायित्व का वर्तमान मूल्य	13,717,542.00	10,582,917.00
रियायती दर में बदलाव पर 0.50% वृद्धि के कारण प्रभाव	(654,259.00)	(78,622.00)
रियायती दर में बदलाव पर 0.05% कमी के कारण प्रभाव	712,786.00	79,401.00
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के प्रभाव पर 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	713,822.00	71,728.00
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के प्रभाव पर 0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(661,031.00)	(71,140.00)

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए एक धारणा में बदलाव पर आधारित हैं। व्यवहार में, यह होने की संभावना नहीं है, और कुछ मान्यताओं में परिवर्तन सहसंबद्ध हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताओं के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय एक ही विधि (प्रतिवेदन अवधि के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के साथ गणना की गई परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य) को परिभाषित दायित्व की गणना करते समय लागू किया गया है बैलेंस शीट में।

संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में उपयोग की जाने वाली विधियाँ और प्रकार की धारणाएँ पिछले वर्ष की तुलना में नहीं बदलीं।

नोट 23 : अनुभाग प्रतिवेदन

(a) सामान्य जानकारी
संगठन के आधार सहित इकाई के प्रतिवेदन योग्य अनुभाग की पहचान करने के लिए कारक

a) प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए, कंपनी के पास केवल एक प्रतिवेदन करने योग्य खंड है, "मुंबई में मेट्रो रेल प्रणाली का विकास"। कंपनी के प्रबंध निदेशक मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता ("सीओडीएम") के रूप में कार्य करते हैं। सीओडीएम कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और संसाधनों के आधार पर विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण पर आवंटन करता है।

उत्पाद और सेवाओं के बारे में जानकारी। कंपनी के पास बाहरी ग्राहक से रुपये शून्य की सीमा तक राजस्व है। (पिछला वर्ष: रुपये शून्य)

(b) भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी
भारत के अंदर राजस्व रुपये शून्य और भारत के बाहर रुपये शून्य है (पिछला वर्ष : भारत में रुपये शून्य और भारत के बाहर रुपये शून्य) तथा गैर-वर्तमान संपत्ति जोकि वित्तीय उपकरण और आस्थगित कर संपत्तियों, भारत द्वारा आयकर से अलग है, उनकी राशि रू.970,952/- लाख है। (पिछला वर्ष 2017-18 रू.487,163/- लाख और भारत से बाहर रू. शून्य, पिछला वर्ष 2017-18 रू. शून्य)

(c) मुख्य ग्राहकों के बारे में जानकारी

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रतिवेदन करने योग्य प्रमुख ग्राहक नहीं थे (पिछला वर्ष: शून्य)

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

नोट 24 : सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि

सूक्ष्म और लघु उद्यम, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED अधिनियम) के तहत परिभाषित किया गया है, कंपनी द्वारा उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर कंपनी द्वारा पहचान की गई है और लेखापरीक्षकों ने उसी पर भरोसा किया है। विविध लेनदारों में सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के लिए कुल बकाया राशि शामिल है, जो रु.8.26 लाख (2017-18: रु.7. 44 लाख)। खाते की पुस्तकों के आधार पर MSMED अधिनियम के अनुसार खुलासे निम्नानुसार हैं

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
(a) किया जानेवाला बकाया	8.26	7.44
(b) मूलधन	-	-
(c) ब्याज	-	-
(d) MSMED अधिनियम री धारा 16 के अनुसार भुगतान किया गया ब्याज	-	-
(e) वर्ष के दौरान नियत दिन से परे भुगतान पर विलंब की अवधि के लिए देय और देय राशि, लेकिन MSMED अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
(f) उपार्जित ब्याज और शेष भुगतान की रकम	-	-
(g) अनुवर्ती वर्ष में देय ब्याज की राशि और देय राशि, जब तक कि ऐसे दिन तक ब्याज की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से बकाया राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान की जाती है।	-	-
कुल	**8.26**	**7.44**

नोट 25 : पट्टों का प्रकटीकरण

कंपनी ने कर्मचारियों के पट्टे के आवास के लिए समझौता किया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने रु.427.42 लाख (पिछले वर्ष 356.17 लाख रुपये) कर्मचारियों की ओर से लीज रेंट के लिए भुगतान किया गया। कंपनी ने परियोजना प्रभावित व्यक्तियों ('पीएपी') के पुनर्वास और पुन:स्थापना के लिए पट्टे के आवास के समझौते किए हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने रु.3,020.81 लाख (पिछले वर्ष 1,013.93 लाख रुपये) पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए भुगतान किया है।

ये आम तौर पर रद्द करने योग्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 11 महीने से 5 साल के बीच होता है और नवीकरण के लिए कोई विशेष दायित्व नहीं होता है। भुगतान को नोट 17 और नोट 3 (a) में 'किराए' के तहत लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

(रू. लाख में)

विवरण	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
गैर-रद्दीकरण चालित पट्टे के तहत भविष्य के कम से कम पट्टे के भुगतान		
एक वर्ष के बाद नहीं	2,628.08	2,603.96
एक वर्ष के बाद और पांच वर्ष के बाद नहीं	4,421.78	6,623.14
पांच वर्ष के बाद	-	-
कुल	7,049.86	9,227.10

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

नोट 26 : मापन के उचित मूल्य (रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक			31 मार्च, 2018 तक			31 मार्च, 2017 तक		
	FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत	FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत	FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत
वित्तीय संपत्तियां									
गैर-वर्तमान ऋण	627.30	-		558.98	-		81.60	-	
नकद और नकद समतुल्य	-	-	88,500.16	-	-	74,956.54	-	-	49,823.38
नकद और नकद समतुल्य के तहत अनाच्छादित बैंक बैलन्स	-	-	402.45			-			-
वर्तमान ऋण	155.98	-		30.60	-		1.36	-	
अन्य	-	-	10,586.74	-	-	486.34	-	-	72.21
कुला वित्तीय संपत्तियां	**783.28**	**-**	**99,489.35**	**589.58**	**-**	**75,442.88**	**82.96**	**-**	**49,895.59**
वित्तीय दायित्व									
गैर-वर्तमान उधारी	11,872.94	-	627,246.00	2,886.15	-	352,246.01	1,154.81	-	84,264.00
वर्तमान उधारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय दायित्व	-	-	81,737.58	-	-	48,041.16	-	-	45,912.78
कुल वित्तीय दायित्व	**11,872.94**	**-**	**708,983.58**	**2,886.15**	**-**	**400,287.17**	**1,154.81**	**-**	**130,176.78**

a) उचित मूल्य का पदानुक्रम

यह खंड उन वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णय और अनुमानों की व्याख्या करता है, जो (a) मान्यता प्राप्त हैं और उचित मूल्य पर मापा जाता है और (b) को परिमित लागतों पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा होता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए जाने वाले इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखा मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण तालिका के नीचे दिया गया है।

i) वित्तीय संपत्तियाँ और दायित्वों, जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है, जिसके लिए उचित मूल्य 31 मार्च, 2019 को प्रकट किए गए हैं। (रू. लाख में)

विवरण	नोट्स	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय संपत्तीयां					
गैर-वर्तमान ऋण	4	-	627.30	-	627.30
वर्तमान ऋण	4	-	155.98	-	155.98
कुल वित्तीय संपत्तीयां		**-**	**783.28**	**-**	**783.28**
वित्तीय दायित्व					
गैर-वर्तमान उधारी	10	-	11,872.94	-	11,872.94
कुल वित्तीय दायित्व		**-**	**11,872.94**	**-**	**11,872.94**

ii) वित्तीय संपत्तियाँ और दायित्वों, जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है, जिसके लिए उचित मूल्य 31 मार्च, 2018 को प्रकट किए गए हैं। (रू. लाख में)

विवरण	नोट्स	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय संपत्तीयां					
गैर-वर्तमान ऋण	4	-	558.98	-	558.98
वर्तमान ऋण	4	-	30.60	-	30.60
कुल वित्तीय संपत्तीयां		**-**	**589.58**	**-**	**589.58**
वित्तीय दायित्व					
गैर-वर्तमान उधारी	10	-	2,886.15	-	2,886.15
कुल वित्तीय दायित्व		**-**	**2,886.15**	**-**	**2,886.15**

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

iii)वित्तीय संपत्तियाँ और दायित्वों, जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है, जिसके लिए उचित मूल्य 31 मार्च, 2017 को प्रकट किए गए हैं। **(रू. लाख में)**

विवरण	नोट्स	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय संपत्तीयां					
गैर-वर्तमान ऋण	4	-	81.60	-	81.60
वर्तमान ऋण	4	-	1.36	-	1.36
कुल वित्तीय संपत्तीयां		-	**82.96**	-	**82.96**
वित्तीय दायित्व					
गैर-वर्तमान उधारी	10	-	1,154.81	-	1,154.81
कुल वित्तीय दायित्व		-	**1,154.81**	-	**1,154.81**

वर्ष के दौरान किसी भी स्तर पर बदलीयां नहीं हुई हैं।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धत कीमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी उपकरण और म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिनकी उद्धत कीमत दी गई है। सभी इक्विटी साधनों का उचित मूल्य जो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जाता है, प्रतिवेदन अवधि के दौरान समापन मूल्य का उपयोग करके मूल्यवान है। म्यूचुअल फंड को क्लोज़िंग नेट एसेट वैल्यू (NAV) का उपयोग करके मूल्यवान माना जाता है।

स्तर 2: वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है (उदाहरण के लिए-काउंटर-काउंटर डेरिवेटिव), मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा का उपयोग अधिकतम करते हैं और इकाई-विशिष्ट पर जितना संभव हो उतना कम भरोसा करते हैं अनुमान। यदि किसी साधन के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारी अवलोकन योग्य हैं, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया गया है।

स्तर 3: यदि महत्वपूर्ण इनपुट्स में से एक या अधिक अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो वह साधन 3 स्तर में शामिल है।

b) मूल्यांकन तकनीक का उपयोग उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए किया जाता है

विशेष मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय उपकरणों के मूल्य में किया जाता है, जिसमें शामिल हैं:

i) समान उपकरणों के लिए उद्धत बाजार मूल्य या डीलर उद्धरण का उपयोग

ii) ब्याज दर विनिमय का उचित मूल्य गणना योग्य उपज घटता के आधार पर अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में गणना की जाती है।

iii) अग्रेषित विदेशी मुद्रा अनुबंध का उचित मूल्य बैलेंस शीट की तारीख में आगे विनिमय दरों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

iv) विदेशी मुद्रा विकल्प अनुबंधों का उचित मूल्य ब्लैक स्कोल्स मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

v) शेष वित्तीय साधनों का उचित मूल्य रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

सभी परिणामी उचित मूल्य अनुमान स्तर 1 और 2 में शामिल हैं।

c) मूल्यांकन प्रक्रियाएं

कंपनी के वित्त विभाग में एक टीम शामिल है जो वित्तीय प्रतिवेदन उद्देश्यों के लिए आवश्यक वित्तीय संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यांकन करती है, जिसमें स्तर 3 उचित मूल्य भी शामिल हैं। यह टीम सीधे मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) को रिपोर्ट करती है।

नोट 27 : पूंजी प्रबंधन

जोखीम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेअरधारक मूल्य को अधिकतम करना है। कंपनी शुद्ध ऋण-इक्विटी अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करती है।

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए, कंपनी अपनी बैलेंस शीट के निम्नलिखित घटकों को प्रबंधित पूंजी मानती है।

बैलेंस शीट में दिखाए गए कुल इक्विटी में जनरल रिजर्व, रिटायर्ड कमाई, शेयर पूंजी, सुरक्षा प्रीमियम शामिल हैं। कुल ऋण में वर्तमान ऋण और गैर-वर्तमान ऋण शामिल हैं।

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2017 तक
कुल ऋण	639,118.94	355,132.16	85,418.81
कम: नकद और नकद समतुल्य	88,500.16	74,956.54	49,823.38
कम : कम : नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक बैलन्स	402.45	-	-
शुद्ध ऋण	550,216.33	280,175.62	35,595.43
कुल इक्विटी	230,510.42	130,086.02	71,342.51
शुद्ध ऋण से इक्विटी का प्रमाण	2.39	2.15	0.50

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

नोट 28 : वित्तीय जोखीम प्रबंधन

वित्तीय जोखीम कारक

कंपनी वित्तीय साधनों के संबंध में विभिन्न जोखिम से अनावृत्त है। कंपनी की वित्तीय संपत्ति और श्रेणी के हिसाब से दायित्वों का सारांश ऊपर दिया गया है। मुख्य प्रकार के जोखिम बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन सक्रिय रूप से अस्थिर वित्तीय बाजारों के लिए जोखिम को कम करके कंपनी के मध्यम से नकदी प्रवाह को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम जिनके बारे में कंपनी को पता चला है, नीचे वर्णित हैं।

(a) बाजार की जोखीम

बाजार जोखिम के रूप में कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिम है। कंपनी का कोई ब्याज दर जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी के सभी ऋण ब्याज दर को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा कंपनी के पास मूल्य जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय संपत्ति नहीं है।

विनिमय में उतार-चढ़ाव का जोखिम सामान्य कंसल्टेंट्स और ठेकेदारों को विदेशी मुद्रा भुगतान के कारण होता है। विदेशी मुद्रा रिस्क को कवर करने के लिए कंपनी के पास कोई हेजिंग साधन नहीं है।

वित्तीय विलेखों से होनेवाली विदेशी मुद्रा जोखीम का विश्लेषण निम्न टेबलों में दिया गया है:

विवरण	USD	Euro
31 मार्च , 2019 तक		
वित्तीय संपत्तियां		
अन्य वित्तीय संपत्तियां	-	-
कुल	-	-
वित्तीय दायित्व		
अन्य वित्तीय दायित्व	(20,133,274.00)	(563,811.00)
कुल	**(20,133,274.00)**	**(563,811.00)**
विदेशी मुद्रा जोखीम की शुद्ध अनावृत्ति	**(20,133,274.00)**	**(563,811.00)**
31 मार्च , 2018 तक		
वित्तीय संपत्तियां		
अन्य वित्तीय संपत्तियां	-	-
कुल	**-**	**-**
वित्तीय दायित्व		
अन्य वित्तीय दायित्व	(17,242,637.00)	(525,030.00)
कुल	**(17,242,637.00)**	**(525,030.00)**
विदेशी मुद्रा जोखीम की शुद्ध अनावृत्ति	**(17,242,637.00)**	**(525,030.00)**

निम्नलिखित महत्वपूर्ण विनिमय दरें लागू की गई हैं

मुद्रा	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
USD 1	69.17	65.04
EUR 1	77.70	80.62

संवेदनशील विश्लेषण

31 मार्च 2019 को सभी मुद्राओं के मुकाबले INR की यथोचित संभावित मजबूती (कमजोर पड़ना) ने विदेशी मुद्रा में निक्षेपित वित्तीय साधनों के मापन को प्रभावित किया और नीचे दिखाई गई राशियों से लाभ या हानि को प्रभावित किया। यह विश्लेषण मानता है कि अन्य सभी चर, विशेष रूप से ब्याज दरों में स्थिर रहते हैं।

विवरण	कर पूर्व लाभ या हानि	
	INR को मजबूत बनना	INR का कमजोर होना
31 मार्च, 2019		
USD (10% गतिविधि)	1,392.64	(1,392.64)
EUR (10% गतिविधि)	43.81	(43.81)
	1,436.45	**(1,436.45)**
March 31, 2018		
USD (10% movement)	1,192.70	(1,192.70)
EUR (10% movement)	40.80	(40.80)
	1,233.49	**(1,233.49)**

(b) क्रेडिट जोखीम

क्रेडिट जोखिम प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व पर डिफ़ॉल्ट के जोखिम को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान होता है। कंपनी को विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए इस जोखिम से अवगत कराया जाता है, उदाहरण के लिए कर्मचारियों को अग्रिम अनुदान, बैंकों से प्राप्य, सुरक्षा जमा आदि।" रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम मुख्य रूप से निम्न प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की राशि से होता है।

कंपनी ग्राहकों और अन्य काउंटर पार्टियों की चूक की लगातार निगरानी करती है, जिसे व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा पहचाना जाता है, और इस जानकारी को अपने क्रेडिट जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है। जहां उचित लागत पर उपलब्ध है, बाहरी क्रेडिट रेटिंग और/या ग्राहकों और अन्य काउंटर पार्टियों पर रिपोर्ट प्राप्त और उपयोग की जाती है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

(i) क्रेडिट जोखीम प्रबंधन

नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य से संबंधित क्रेडिट जोखिम शेड्यूल किए गए वाणिज्यिक बैंकों में धन रखकर प्रबंधित किया जाता है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के नियामक निरीक्षण के अधीन हैं, और इन बैंकिंग रिश्तों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है।

अन्य वित्तीय संपत्तियां

अन्य वित्तीय संपत्ति जिसमें कर्मचारियों और अन्य लोगों को दिए हुए ऋण और अग्रिम शामिल हैं, जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा गया है।

(ii) तरलता जोखीम

हमारी तरलता की जरूरतों की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी के तरलता के मुख्य स्रोत नकद और नकद समकक्ष, गैर-परिचालन राजस्व, JICA से दीर्घकालिक ऋण, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, शेयर पूंजी और अनुदान हैं।

हम नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करके और पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष बनाए रखकर हमारी तरलता जरूरतों का प्रबंधन करते हैं। किसी भी कमी को निर्धारित करने के लिए उपलब्ध नकदी की तुलना में शुद्ध नकदी आवश्यकताओं की तुलना की जाती है।

लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं में मुख्य रूप से विविध लेनदार, व्यय देय, कर्मचारी बकाया, उधार की वर्तमान परिपक्वता और प्रत्येक प्रतिवेदन तारीख के रूप में व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान आने वाले जमा और जमा शामिल हैं। हम अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी और नकदी समकक्षों में पर्याप्त संतुलन बनाए रखते हैं।

हम एक आवधिक आधार पर दीर्घकालिक तरलता आवश्यकताओं का आकलन करते हैं और उन्हें आंतरिक अभिवृद्धि और भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से सहायता के माध्यम से प्रबंधित करते हैं। हमारे गैर-वर्तमान देनदारियों में जेआईसीए ऋण, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, प्रतिधारण और जमा और कर्मचारी लाभ के लिए देयताएं शामिल हैं।

नीचे दिये गए टेबल में गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के अनुबंध संबंधी परिपक्वताओं के बारे में विवरण प्रदान करती है। तालिका को वित्तीय देनदारियों के नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार किया गया है, जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। तालिका में मूलधन और ब्याज नकदी प्रवाह दोनों शामिल हैं।

(रु. लाख में)

विवरण	6 महिनों ले रम	6 महिनें से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष तक	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2019						
उधारी (नोट 10 का संदर्भ लें)	-	-	-	-	642,659.16	642,659.16
अन्य वित्तीय दायित्व (नोट 12 का संदर्भ लें)	59,371.64	-	551.81	16,677.55	-	76,601.00
कुल	**59,371.64**	**-**	**551.81**	**16,677.55**	**642,659.16**	**719,260.16**
31 मार्च, 2018						
उधारी (नोट 10 का संदर्भ लें)	-	-	-	-	355,973.89	355,973.89
अन्य वित्तीय दायित्व (नोट 12 का संदर्भ लें)	42,381.26	-	51.51	4,766.65	-	47,199.42
कुल	**42,381.26**	**-**	**51.51**	**4,766.65**	**355,973.89**	**403,173.31**

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

नोट 29: लेखा नीतियों में बदलाव

सरकारी अधिकारियों से स्थायी उपयोग के लिए प्राप्त नि: शुल्क भूमि को उसी के उचित मूल्य पर विचार करते हुए सरकारी अनुदान के रूप में लेखा किया गया था। 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने इंडस्ट्रीज़ 20 "सरकारी अनुदान" के रूप में संशोधन किया है, जो गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति से संबंधित अनुदान को शुरू में उचित मूल्य पर या मामूली मूल्य पर पहचानने के लिए एक विकल्प प्रदान करता है।

पिछले वित्तीय वर्ष में, पूर्व-संशोधित मानक के अनुसार, कंपनी ने भूमि की मान्यता देने की लेखांकन नीति का पालन किया है और लाभ के रूप में अनुदान को निर्धारित आय में मान्यता प्राप्त आय के रूप में अनुदान की स्थापना करके उचित मूल्य पर शुरू में सरकारी अनुदान दिया है। या अवधि के आधार पर एक व्यवस्थित आधार पर हानि, जिसमें इकाई संबंधित लागतों को मानती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों में पहले से ही जमीन और अनुदान शामिल हैं, दोनों को ऊपर बताए अनुसार लेखांकन नीति के अनुसार उचित मूल्य पर मापा गया है।

चालू वर्ष से कंपनी ने Ind AS 20 के रूप में इंडस्ट्रीज़ में संशोधन का पालन किया है - सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण और नाममात्र मूल्य पर गैर-मौद्रिक अनुदान का मूल्य है जो कि रु. 1 / - प्रति वर्ग मीटर भूमि है।

भारत सरकार / महाराष्ट्र सरकार द्वारा आवंटित भूमि (दोनों स्थायी और अस्थायी) के सभी टुकड़ों को "क्लास II ऑक्यूपेंसी" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात इसका उपयोग अन्य उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता है। इसलिए, उचित मूल्य के बजाय नाममात्र मूल्य पर इसे पहचानना अधिक विश्वसनीय है।

संशोधित Ind AS 20 - सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण में कोई विशिष्ट संक्रमणकालीन प्रावधान शामिल नहीं हैं। तदनुसार, कंपनी ने Ind AS 8 के अनुसार, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार, पूर्वव्यापी रूप से परिवर्तन लागू किया है, और स्वेच्छा से अपनी अकाउंटिंग नीति को उचित मूल्य से नाममात्र मूल्य में बदलने का निर्णय लिया है।

इस बदलाव का कंपनी की बैलेंस शीट, नफा और हानि पत्र तथा इक्विटी में बदलाव पत्र पर प्रभाव पड़ता है और वित्तीय वक्तव्यों में पूर्ववर्ती अवधि के आंकड़ों में आवश्यक प्रभाव दिए जाते हैं। वित्तीय वक्तव्यों में उक्त परिवर्तनों का प्रभाव नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 तक (पुनर्निवेदित)	31 मार्च, 2018 (प्रतिवेदित)	1 अप्रैल, 2017 (पुनर्निवेदित)	1 अप्रैल, 2017 (प्रतिवेदित)	टिप्पणियां
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण					
गैर वर्तमान संपत्तियां					
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण					
- मुक्त धारणा भूमि	5,942.60	118,080.28	5.35	104,603.66	भारत सरकार से प्राप्त स्थायी भूमि के मूल्यांकन में परिवर्तन नि: शुल्क है।
प्रगतिपथ पर पूंजिगत कार्य	311,809.89	339,217.72	71,793.35	86,360.06	नीतियों में बदलाव के कारण पूंजीकरण में बदलाव।
अमूर्त संपत्ति					
- अनुमतियां	1,616.91	188,784.86	2,219.69	167,789.28	भारत सरकार से प्राप्त अस्थायी भूमि के मूल्यांकन में परिवर्तन नि: शुल्क है।

इक्विटी तथा दायित्व					
इक्विटी					
अन्य इक्विटी	(1,433.98)	(37,919.78)	19,822.51	(14,615.49)	आस्थगित कर और अनुदान आय में परिवर्तन के कारण प्रभाव।
गैर-वर्तमान दायित्व					
आस्थगित कर दायित्व	(88.95)	26,092.54	(27.22)	24,106.50	उचित मूल्यांकन के उलट होने के कारण प्रभाव।
आस्थगित सरकारी अनुदान	28,454.44	301,249.47	12,093.12	252,783.70	आस्थगित सरकारी अनुदान (गैर-वर्तमान) के मूल्यांकन में परिवर्तन।
वर्तमान दायित्व					
आस्थगित सरकारी अनुदान	754.56	64,736.30	317.00	54,448.23	आस्थगित सरकारी अनुदान के मूल्यांकन में परिवर्तन (वर्तमान)

वित्तीय वर्ष के लिए	2017-18 (Restated)	2017-18 (Reported)	Difference		टिप्पणियां
(हानि) कर से पहले	(283.51)	(269.52)	(13.99)		अवकाश नकदीकरण से संबंधित व्यय अब पुनर्वर्गीकृत हो गया है
कर व्यय					
वर्तमान कर	1,067.09	1,067.09	-		
आस्थगित कर	(52.22)	1,995.58	(2,047.80)		उचित मूल्यांकन के उलट होने के कारण कर प्रभाव का उलटा
आस्थगित कर	(4.05)	-	(4.05)		अवकाश नकदीकरण से संबंधित कर प्रभाव का उलटा अब पुनर्वर्गीकृत
पिछले वर्ष का कर समायोजन	(51.14)	(51.14)	-		उचित मूल्यांकन के उलट होने के कारण कर प्रभाव का उलटा
कुल कर व्यय	**959.68**	**3,011.53**			
(हानि) वर्ष के लिए	(1,243.19)	(3,281.05)			
प्रति शेअर अर्जन (INR)					
मूलभूत	(1.40)	(3.70)			
सौम्य	(1.40)	(3.70)			

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च, २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय पत्रों के लिए नोट्स

नोट 30 : पुनर्वर्गीकरण

कम्प्युटर और पेरिफेरल्स	253.69	281.07	219.84	242.08	
कार्यालय उपकरण	75.14	95.14	43.13	41.16	
फर्निचर और फिक्स्चर्स	47.38	-	20.27	-	
प्रगतिपथ पर पूंजीगत कार्य दुवारा		240.99		217.07	विकास के तहत अमूर्त संपत्ति को पूंजी कार्य के तहत प्रगति में शामिल
विकास अंतर्गत अमूर्त संपत्तियों के लिए	240.99		217.07		किया गया था जिसे पुनर्वर्गीकृत और अलग से रिपोर्ट किया गया है

नोट 31: पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुन: व्यवस्थित / बहाल किया गया है।

बैलेंस शीट पर हस्ताक्षर और मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड CIN के निदेशक मंडल की ओर से वित्तीय विवरणों के लिए नोट: U60100MH2008SGC181770

हस्ता /-
अश्विनी भिडे
प्रबंधकीय निदेशक
DIN: 0002861008

हस्ता /-
अबोध खंडेलवाल
निदेशक (वित्त)
DIN:0007807394

हस्ता /-
रितु देब
कंपनी सेक्रेटरी
Membership No.: F6754

स्थान:मुंबई
तारीख:21 july 2019

फॉर्म नं. एम.जी.टी. - ११

प्रतिनिधी फॉर्म

[कंपनीयों का अधिनियम की धारै ०५(६) तथा कंपनीयों के (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, २०१४ के नियम १९(३) के अनुसार]

सी.आई.एन. : U60100MH2008SGC181770
कंपनी का नाम : मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.
कंपनी का पंजिकृत कार्यालय : ट्रान्झिट कार्यालय - ई ब्लाक सिटी पार्क उत्तर दिशा, आयकर कार्यालय के पिछे, ए-विंग बांद्रा (पू.), बी.के.सी. मुंबई सदस्य का/के मुंबई शहर एमएच ४०० ०५१

सदस्य का/के नाम:	
पंजिकृत पता:	
ई-मेल आईडी:	
फोलिओ नं. / ग्राहक आईडी:	
डीपी आईडी (यदि आवश्यक हो):	

मैं/हम उपरलिखित नाम की कंपनी का सदस्य हूँ / के सदस्य हैं, मैं निम्न को नियुक्त करता हूँ / करते हैं

नाम: ______________________

पता: ______________________

ई-मेल आईडी: ______________________

हस्ताक्षर: ______________________

(या उसे विफल किया) ______________________

मेरा / हमारा प्रतिनिधि होगा जो मेरे / हमारे लिए मेरी / हमारी ओर से कंपनी की ट्रान्जिट कार्यालय ई-ब्लाक, सिटी पार्क की उत्तर दिशा, आयकर कार्यालय के पिछे, ए-विंग, बांद्रा (पू.) बी.के.सी., मुंबई - ४०० ०५१ में **शनिवार तारीख २८ नवंबर २०१९ को सुबह ११.०० बजे आयोजित की जानेवाली** अथवा स्थगन प्रस्ताव के उपरान्त आयोजित की जानेवाली वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित रहेगा तथा वोट देगा, सभा में निम्न प्रस्ताव रखें जाएंगे:

साधारण व्यवहार:

(१) ३१ मार्च २०१९ तक की लेखा परीक्षण की हुई बैलंन्स शीट एवं उसी तारीख को समाप्त हुए वितिय वर्ष का लाभ और हानि पत्र और साथ में उसपर निदेशक मंडल और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा उसपर भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखापाल की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उसपर विचार करना तथा उसका अंगीकार करना।

(२) कंपनीयों का अधिनियम, २०१३ की धारा १३९(५) पठित धारा १४२ के प्रावधानों के अनुसार वितिय वर्ष २०१९-२० के लिए भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखापाल द्वारा कंपनी में नियुक्त किये गए संवैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकार प्रदत्त करना।

विशेष व्यवहार:

(3) **श्री. एस.एस. जोशी की कंपनी में नामित निदेशक के तौर पर नियुक्ति करना**
विचार करके और अगर उचित लगे तो किसी भी सुधार के साथ / बिना **विशेष प्रस्ताव** पारित करना।

(4) **श्री. प्रविण परदेशी की कंपनी में नामित निदेशक के तौर पर नियुक्ति करना:** विचार करके और अगर उचित लगे तो किसी भी सुधार के साथ / बिना **विशेष प्रस्ताव** पारित करना।

(5) **श्री. संजय रस्तोगी (पी.ई.डी./एस.पी.वी.) रेल्वे की कंपनी में नामित निदेशक के तौर पर नियुक्ति करना:**
विचार करके और अगर उचित लगे तो किसी भी सुधार के साथ / बिना **विशेष प्रस्ताव** पारित करना।

(6)उधार सीमा में वृद्धि करना

विचार करके और अगर उचित लगे तो किसी भी सुधार के साथ / बिना **विशेष प्रस्ताव** पारित करना।
आज तारीख ..... महिना .... को हस्ताक्षरीत किया गया

सदस्य के हस्ताक्षर

रेवेन्यु स्टैम्प चिपकाएं.

प्रतिनिधि का / के हस्ताक्षर

नोट: **यह प्रतिनिधि फॉर्म प्रभावी होने के लिए उसे पूर्ण रुप भरना चाहिए एवं उसे कंपनी के पंजिकृत कार्यालय में सभा शुरू होने से पहले 48 घंटों से पहले जमा किया जाना चाहिए।**

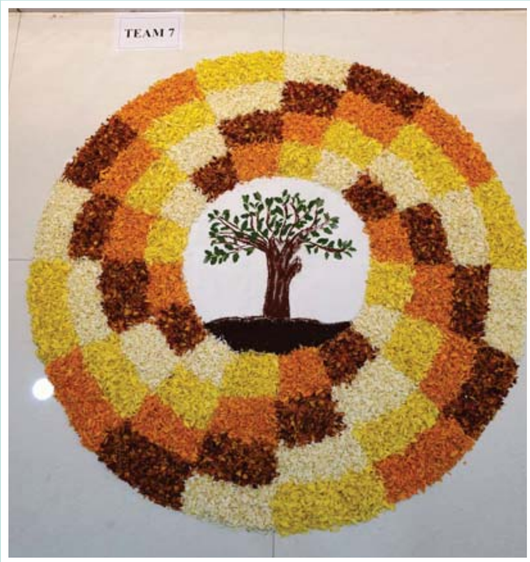
TEAM 7

TEAM 3

Print Add: COPYTRONICS
C3, Balarama, Opp. MMRDA, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-51 M: +91 9819913191 T: +91 22 26591907

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उद्यम)
1ली मंजिल, ए - विंग, "ई" ब्लाक, सिटी पार्क उत्तर दिशा,
आयकर कार्यालय के पिछे, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा - पू., मुंबई - 400 051

MMRC